खण्ड-211, अंक-6
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1882
(21 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारी रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री

शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री

सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:--सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ मार्च, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

किसान कालेज, शामली के लिए गन्ने के मूल्य में कटौती

१--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती), कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ), श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या किसान कालेज शामली, मुजफ्फरनगर के लिये शामली (मुजफ्फरनगर) में गेट पर गन्ना सप्लाई करने वाले शामली गन्ना सोसाइटी के काश्तकारों से एक पैसा प्रति मन चन्दा काटा जा रहा है जिसकी स्वीकृति न तो शामली गन्ना सोसाइटी की जनरल बाडी ने अपने ६-२-६० की सालाना बैठक, जिसमें यह प्रस्ताव चन्दा काटने का पेश हुआ था, में ही दी थी और न बाद में ही, और न केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने ही कोई मन्जूरी दी थी ?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--किसान कालेज, शामली (मुजफ्फरनगर) के लिये शामली मिल गेट पर किसानों से एक पैसा प्रतिमन के हिसाब से उनके गन्ने के मूल्य से की गयी कटौती का रुपया शामली गन्ना सोसाइटी द्वारा एकत्र किया जा रहा है। इसकी स्वीकृति शामली गन्ना सोसाइटी के ६-२-६० की सालाना बैठक में प्रस्ताव पारित करके दी गई थी और यह प्रस्ताव गन्ना आयुक्त द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन सोसाइटी का प्रस्ताव पास हो जाने के बाद सब किसानों पर वह प्रस्ताव वैधानिक रूप से लागू हो सकता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां। आप नियम देखें तो प्रतीत होगा कि नियमानुकूल काम हुआ है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की कटौती किस काम के लिये होती है और कब से हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आप प्रश्न पढ़ लीजिये, पता लग जायगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से यह प्रस्ताव कटौती के लिये पास हुआ, उसके पहले से ही यह कटौती की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कटौती प्रस्ताव के अनुसार हो रही है। एक साल पहले भी उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पास किया था। उस साल भी कटौती हुई। वहां किसान इस स्कीम को चलाने के लिये इस पैसे को कटवाते हैं, एक मुनासिब काम के लिये और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सवालों से ऐसी प्रतिध्वनि नहीं निकलेगी कि जिससे ऐसा आभास हो कि किसानों का ऐसा करना अहितकर है।

आचार्य दीपंकर—क्या यह बात सही है कि किसानों का बहुमत अपनी मीटिंग के द्वारा लिखित रूप में यह मांग कर चुका है कि उनसे इस प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष—किस हैसियत से ?

आचार्य दीपंकर—क्या जो सोसाइटी के सदस्य हैं वे लिखित रूप में इस प्रकार की मांग कर चुके हैं कि यह कटौती उनको अभिप्रेत नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह बात बिलकुल सही नहीं है। किसानों ने प्रस्ताव पास किया और ऐसा फैसला किया। कोई दूसरा प्रस्ताव पास किया होता तो बात सामने आती, लेकिन हम ने अपने मन से काम नहीं किया है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ और अगर उसका विरोध कहीं किसी के मस्तिष्क में पैदा होता हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाकयात में कहीं किसी ने विरोध नहीं किया।

कोयले की कमी के सम्बन्ध में केन्द्र से पत्र-व्यवहार

२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री ८-३-६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में दिये गय पूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा कोयले के सम्बन्ध में भारत सरकार के रेल एवं इस्पात मंत्री को लिखे गये पत्र का परिणाम क्या हुआ है ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—भारत सरकार के इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री ने निम्नलिखित सूचना दी है :

१—कोयला नियंत्रक, उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को तत्काल कोयला सप्लाई करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

२—कोयला चूर की कमी को तुरन्त दूर करने के लिये कोयला नियंत्रक द्वारा यह आदेश जारी किये जा रहे हैं कि इस व्यवसाय के सब वस्तु आदेश (indents) ५ दिनों तक लगातार पूरे-पूरे मंजूर किये जायें और वैगनों के एलाटमेन्ट के लिये वस्तु आदेश (indents) विशेष (special) शब्द द्वारा चिन्हित किये जायें।

३—साफ्ट कोक की कमी तथा निजी उद्योगों में कोयले की कमी को दूर करने के लिये यातायात की अपर्याप्तता एक समस्या है। लेकिन इस मामले में रेलवे मन्त्रालय से बातचीत हो रही है और यह आशा की जाती है कि उनकी सहायता से शीघ्र ही स्थिति में कुछ सुधार हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र का उत्तर रेलवे मंत्राणी जी ने कुछ दिया है या नहीं और दिया है तो क्या दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चूंकि उन्होंने मुख्य मंत्री जी को यह लिख दिया है कि स्वयं उन्होंने खान मंत्री जी से बातें कर ली हैं इसलिये उनके पत्र के उत्तर की आवश्यकता नहीं है। इस बीच में उनकी बातचीत हो चुकी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कोयले की कमी हो गयी है उसके लिये सरकार की तरफ से कोई इस बात के आदेश जिले में भेजे गये हैं कि जब तक साढ़े चार सौ रुपये जमानत के जमा न किये जायं तब तक कोयले की व्यवस्था न की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पत्र से इतना तो साफ हो गया है कि यह समस्या रेल के बैगन की है और कोयले की कमी की नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनके पत्र से ऐसा मालूम होता है कि यह कोयले की नहीं रेलवे की थी ।

** ३—**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—[स्थगित ।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत ।]

* १—**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

राज्य व्यापार योजना का वर्गीकरण

*२—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गल्ले के राज्य व्यापार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई 'आदर्श योजना' या उस सम्बन्ध में विशिष्ट निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । राज्य व्यापार योजना का केन्द्रीय सरकार ने दो भागों में वर्गीकरण किया है ।

(१) अन्तिम आकार ।

(२) अन्तरिम योजना, जो राज्य व्यापार के पूरे पैमाने पर चालू होने तक कार्यान्वित की जायेगी ।

अन्तिम आकार में यह व्यवस्था होगी कि गांवों में किसानों के पास बचा हुआ खाद्यान्न (farm surpluses) वहां की सेवा-सम्बन्ध सहकारी संस्थाओं (service co-operatives) द्वारा एकत्रित किया जायेगा और फिर उस का क्रय-विक्रय तथा वितरण का प्रबन्ध भी उच्च सहकारी संस्थाओं द्वारा होगा ।

अन्तरिम योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(१) आरम्भ में राज्य व्यापार केवल दो प्रमुख खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) में लागू करना ।

(२) सर्वप्रथम राज्य में खाद्यान्नों के थोक व्यापारियों, जिनमें चावल व आटा मिल भी सम्मिलित हैं, अनिवार्य रूप से लाइसेन्स देना ।

(३) लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों के खाद्यान्न स्टाक का एक निश्चित भाग राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य पर ले लेना ।

(४) राज्य भर के लिये (बहुतायत तथा कमी वाले क्षेत्रों के लिये अलग-अलग) विधिवत् खाद्यान्नों के थोकभाव निर्धारित करना ।

(५) अगर किसान निर्धारित मूल्य पर अपने खाद्यान्न को व्यापारियों को न बेच सके तो राज्य सरकार द्वारा किसानों से सीधे खरीदारी करने के लिये व्यवस्था करना ।

राज्य व्यापार योजनान्तर्गत खाद्यान्नों के मूल्य का निर्धारण

* ३--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गल्ले के राज्य व्यापार को स्थायित्व प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी तो केवल उपरोक्त अन्तरिम योजना इस प्रदेश में लागू की गयी है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि, जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा है स्केरसिटी एरियाज में निश्चित मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में, इसके लिये आधार क्या होगा, जिस आधार पर वह मूल्य निश्चित करेंगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसका आधार यही होगा कि कंज्यूमर्स के लिये भी रीजनेबिल प्राइस हो और प्रोड्यूसर्स को भी रीजनेबिल प्राइस मिले ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो गल्ला खरीदा गया, सरकार ने बतलाया कि व्यापारियों को लाइसेन्स देकर खरीदा गया और ३५ परसेन्ट, या जो परसेन्ट हो, वह सरकार लेगी और बाकी उनके बेचने के लिये छोड़ देगी, तो क्या वह उसी रेट पर बेंचेंगे जिस पर बेचने के लिये सरकार कहती है या मनमाने दामों पर बेच सकेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जहां तक गेहूं का ताल्लुक है, हमने जिलों को मुकर्रर कर दिया है जैसे बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ आदि, लेवी वाले जिलों में १३, १४ रुपये मन वे खरीदेंगे और उसको उपरोक्त जिलों में १५-१७ रुपये मन बेचा जायेगा । बस्ती में ट्रान्सपोर्ट चार्जेज ज्यादा होंगे, इसलिये वहां पर १४-१६ रुपये मन होगा । इस तरह से गेहूं की कीमत निर्धारित की है । चावल की नहीं की है । चावल जो ५० परसेन्ट छोड़ दिया है उसको उन्हीं पर छोड़ दिया है वे जिस तरह से चाहें बेचे । लेकिन हमारे पास स्टाक काफी है और हम अपनी फेयर प्राइस शाप्स से भी इन कीमतों को काबू में कर लेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने कहा कि सही कीमत प्रोड्यूसर को मिले, तो क्या उन्होंने जानने की व्यवस्था की है कि गेहूं या चावल के उत्पादन करने में कितना खर्च पड़ता है और उसके हिसाब से उनकी कीमत सही है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--हां, विचार करके जब सही समझा तभी किया ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यापारी गल्ला बिक्री के लिये सरकारी आज्ञा प्राप्त हैं, केवल उन्हीं से यह अंश लिया जाता है और जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, उनसे अन्न का कोई भाग नहीं लिया जाता ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--५० मन से ऊपर आल फूड ग्रेन्स के लिये हर एक को लाइसेंस लेना अनिवार्य है । अगर कोई नहीं लेता है तो जुर्म करता है और पकड़ा जा सकता है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--राज्य व्यापार की योजना को पूरे तौर से लागू करने में क्या कठिनाई है माननीय मंत्री जी को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आप अगर मदद करें और सर्विस को-आपरेटिव्स ज्यादा तादाद में बन जायें तो कोई कठिनाई न रहे ।

श्री गौरीशंकर राय--जो लाइसेंस्ड व्यापारी हैं उनसे निश्चित कीमत पर अगर गल्ला ले लिया जाता है, तो जो गल्ला आप लेते हैं वह तो निश्चित कीमत पर होता है, बाकी सभी गल्ला बेचने को स्वतंत्र हैं, जिस भाव पर चाहें बेचें ?.

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गेहूं पर तो पाबन्दी है, नहीं बेच सकते, चावल हमने छोड़ रखा है, क्योंकि हमारे पास काफी चावल है और हम ऊंचे भावों को दबा देते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय मंत्री जी ने विचार करके यह भाव तय किये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी ने गेहूं और चावल के मूल्यों के सम्बन्ध में विचार किया था तो उन्होंने किन संस्थाओं के प्रतिनिधियों या किसानों को बुलाकर राय ली थी, या कैसे मूल्य किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह सारी चीज नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल के लोगों ने तय की थी। वहां सभी विचारधारा के लोग हैं जो हम सभी से ज्यादा जानते हैं।

गोरखपुर जिले में धान की गाड़ियों का पकड़ा जाना

*४--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पिछली जनवरी के अन्तिम सप्ताह में गोरखपुर जिले में धान सहित कितनी गाड़ियां पकड़ी गयीं और उन गाड़ियों पर कितना धान मनों में था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--५४ गाड़ियां। इन पर ७२४ मन २१ सेर ८ छटांक धान था।

*५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त गाड़ियों के पकड़ने का क्या कारण था और उससे सम्बन्धित कितने लोगों पर मुकदमा चलाया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह गाड़ियां U.P.Paddy and Rice (Restriction on Movement) Order, 1958 के उल्लंघन में पकड़ी गईं और इन से सम्बन्धित ५५ व्यक्तियों पर मुकदमा चला दिया गया है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी को यह मालूम हुआ है कि देवरिया जिले के लिये जो सामान लाने का मार्ग तय किया गया है उसमें ये गाड़ियां पकड़ी गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मोटे तौर पर वह जगह मालूम है जहां पर पकड़ी गयीं और वह किस जिले में कहां पर है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति पकड़े गये वह किस जगह के थे और कहां गल्ला लेकर जा रहे थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वह देवरिया के थे और गल्ला लेकर गोरखपुर चल आ रहे थे।

श्री रामायण राय--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह गाड़ियां किसानों की थीं जो अपने खाने के लिये गल्ला ले जा रहे थे, व्यापारियों की नहीं थीं, तो उन्हें क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उन्होंने कायदे के खिलाफ काम किया। जगह के लिये जो मैं बता रहा था तो वह रमेदपुर घाट और कलनाही, इन जगहों में वह पकड़ी गयीं।

बलिया जिले में कृषि रक्षार्थ चूहे मारने का काम

*६--**श्री गौरीशंकर राय**--दिनांक ६-८-५९ के प्रश्न ५-६ के उत्तरों के क्रम में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि रक्षा सेवा केन्द्र द्वारा चूहों के मारने में किस हद ८ सफलता मिली है ? क्या यह संकट जिले में सर्वथा समाप्त हो गया ?

कृषि उप-मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)---बलिया जिले में कृषि रक्षा सेवा द्वारा फरवरी, १९६० तक १,७६,१९१.१ एकड़ में चूहों को मारने का कार्य किया गया और अब कोई संकट की स्थिति नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि चूहों का एक जोड़ा एक वर्ष में ८४५ की तादाद में हो जाता है और सरकार के मारने की गति से चूहों के पैदा होने की गति कई गुना अधिक है ? अगर हां, तो चूहों की संख्या में वृद्धि हुई है इतना मारने के बाद या कमी ?

श्री उपाध्यक्ष---चूहों के संतति निरोधन के विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(हंसी)

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---इस सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर राय जी को जितना अनुभव है उतना मुझको नहीं है । बलिया में लोगों को जो कष्ट हो रहा है उसकी उन्हें अधिक जानकारी है । जब वह कहने लगते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई किस्सा कह रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं होता । बहरहाल बलिया में और दूसरी जगहों पर इस सिलसिले में हम जितना कर सकते हैं, कर रहे हैं; लेकिन बात यह है कि जिस संख्या में वह बढ़ते हैं उस संख्या में हम मार नहीं पाते । अगर बाढ़ आ गई होती तो उसमें भी कुछ बह गये होते लेकिन वह भी नहीं हुआ । लेकिन यह एक सीरियस समस्या हमारे सामने है, इस सम्बन्ध में अगर हमको कोई सुझाव दिये जायेंगे तो उन पर भी हम गौर करेंगे।

आचार्य दीपंकर---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति चूहा मारने पर कितना व्यय होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---भिन्न-भिन्न इलाकों में अलग-अलग तरीके से होता है, उसका हिसाब रखना मुश्किल है ।

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया कि एक लाख और कुछ हजार एकड़ में चूहे मारे गये । यह कोई फौज का प्रश्न तो है नहीं जो यह कह दिया जाय कि इतनी जमीन से फौज निकल गई । अगर एक खेत में चूहे मार दिये जायं तो बगल के खेत से फिर आ जायेंगे, इसलिये एकड़ों में जवाब न दिया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे पूरे इलाके से चूहे मारे जा सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम---जितने साधन हैं उनका हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन समस्या काफी जटिल है ।

[२१ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरी खाद के बीज वर्द्धन के लिए राज्य सहायता

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में हरी खाद के बीज वर्द्धन के अन्तर्गत लगाये गये नलकूप क्षेत्रों में नलकूपों द्वारा सिंचाई सम्बन्धी व्यय के लिये क्या भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार की है और उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी नहीं ।

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वे कौन-कौन जिले हैं जहां हरी खाद के प्रयोग के लिये मूंग की किस्म १ की सिंचाई नहर के पानी से की जाती है और ऐसे किसानों को जो उत्तम प्रकार से सिंचाई (मंग की किस्म १ की सिंचाई) करते हैं क्या उनको सरकार से कोई रियायती दर पर बीज दिया जाता है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९५९-६० में सहायतार्थ दिये गये बीज की धनराशि जिलेवार रुपयों और वजन में क्या है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यद्यपि इस विषय में निश्चित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है, किन्तु जिन जिलों में साधारणतया हरी खाद के लिये मूंग की किस्म १ की सिंचाई नहरों द्वारा होती है उनकी सूची संलग्न है। कृषि बीज भंडारों से वितरित सभी बीज लागत मूल्य पर नकद दिये जाते हैं अथवा विभाग के नियमानुसार सवाई पर वितरित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०६ पर)

*३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ १९५९ में हरी खाद के बीज के वर्द्धन हेतु नलकूप वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई व्यय के लिये क्या राज्य सहायता प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो उक्त सहायता की दर तथा किस तरह से किसानों को प्राप्त होगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, खरीफ १९५९ में ऐसे किसानों को राज्य सहायता देने का आदेश जारी किया गया था, जिन्होंने हरी खाद की फस्लों को उगाने के लिये राज्य नलकूपों से सिंचाई के लिये पानी लिया है। राज्य सहायता की दर इस प्रकार है :—

"३ रु० प्रति एकड़ अथवा सिंचाई के पूरे खर्च का ५० प्रतिशत व्यय जो भी कम हो।"

यह सहायता किसानों को नकद नहीं दी गयी, बल्कि सिंचाई विभाग को आदेश दे दिया गया था कि वे किसानों को दी जाने वाली राज्य सहायता की रकम उनके सिंचाई-कर से काट कर, सिंचाई-कर को वसूल करें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि भारत सरकार ने राज्य को हरी खाद के बीज पर दो रुपया प्रति मन सहायता देने का निश्चय किया है और इसी के फलस्वरूप राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट अगस्त, १९५९ में प्रस्तुत किया, उसके पृष्ठ सं० २५ पर स्पष्ट लिखा है कि इस समय राज्य में उन किसानों को रियायती दर पर बीज दिया जाता है जो हरी खाद के प्रयोग के लिये मूंग की किस्म (१) की सिंचाई नहर के पानी से करते हैं और जो उत्तर दिया गया है उसमें कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती, कहा गया है। इसलिये बजट में निश्चित हुये और दिये गए उत्तर में जो अन्तर है उसको मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—भारतीय सरकार का एक जनरल सर्कुलर आया था उसमें कहा था कि जो राज्य खाद्य उत्पादन में हरी खाद की मदद करेंगे उनको दो रुपये फी मन ग्रीन मैन्योर्स के लिये मदद दी जायगी। प्रश्न सं० १ के उत्तर में, जो मैंने कहा वहां सिंचाई की बात नहीं है, केन्द्रीय सरकार जो दो रुपये प्रति मन सब्सीडी देना चाहती है उसको हमने मांगा है ताकि इर्रीगेशन पर्पजेज में हम उसको काट सकें।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय योजना के वर्ष १९५९–६० में जहां पर नहरी सिंचाई होती है वहां पर क्या भारत सरकार ने कोई सहायता दी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—नहरी क्षेत्र में इस तरह का कायदा है। १६ जिले हैं, जिनमें सहारनपुर और रायबरेली इत्यादि शामिल हैं। उनमें ३ तरह के शेड्यूल हैं। ए, बी, सी, हरी खाद सी, में आती है। फ्लो का ४ रुपये का तथा लिफ्ट का २ रुपये एकड़ का सिंचाई दर है और फ्लो का २ रु० तथा लिफ्ट का एक रुपया कर दिया है। ट्यूबवेल में हम उनसे ३ रुपये फी एकड़ सिंचाई लेते हैं या लागत का आधा जो भी कम होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि सरकार के ऐसे आदेश के बावजूद भी कि सिंचाई से हरी खाद की फसलें बढ़ाई जावें, नहर विभाग द्वारा पानी देने में असमर्थता के कारण, जैसे अभी हाल में लोअर गंगा के सरक्युलर में आया है कि ५ हफ्ते में एकबार नहर चलेगी, फसलें नहीं बढ़ रही हैं और क्या सरकार ने इसका कोई उपाय सोचा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश कर रहे हैं कि सिंचाई में ज्यादा रुपया लगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---सिंचाई से उक्त सहायता की रकम को काट कर वसूल किये जाने वालों की संख्या क्या है और कहां-कहां किसानों को यह रियायत मिली है ?

श्री मोहनलाल गौतम---नोटिस चाहिये।

कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के चुनाव में अलीगढ़ जिले के अधिक उम्मीदवार लेने पर आपत्ति

*४---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ ई० में कोआपरेटिव सुपरवाइजरों का जो चुनाव हुआ है उसके लिये प्रत्येक जिले से कितनी दरख्वास्तें आई थीं और प्रत्येक जिले में कितने लोगों को चुना गया है ?

सहकारिता उप-मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---सन् १९५९ के कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के चुनाव के लिये प्रत्येक जिले से आई हुई दरख्वास्तें तथा उनमें से चुने गये लोगों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६०७-६०८ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अन्य जिलों से काफी दरख्वास्तें होते हुए भी अलीगढ़ से ही सब से अधिक क्यों लिये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---पहली बात तो यह है कि इसकी भर्ती सरकार नहीं करती है। प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन बिलकुल स्वतंत्र बाडी है, जिसके इलेक्टेड आदमी हैं और वे उसका चुनाव करते हैं। डिवीजनवाइज संख्यायें नियत कर दी गयी हैं। इसी काग़ज को देखने से मालूम होता है कि फैजाबाद डिवीजन से ७५, इलाहाबाद डिवीजन से ६८, बरेली डिवीजन से ६७, गोरखपुर से ८१, लखनऊ से ६२, मेरठ से ७०, बनारस से ६७, आगरा से ७२, योग्यता के हिसाब से परीक्षा लेकर लिये गये। मैंने इसकी जांच की है। अलीगढ़ से ८५३ आदमी पास हुये थे जितने किसी जिले से नहीं हैं। डिवीजनवाइज संख्या मुकर्रर होने से बहुत से डिवीजनों में ४५ फीसदी नम्बर पाने वाले लोग नहीं लिये जा सके जबकि और जगह ४३ व ४२ फीसदी वाले लिये गये। मैं स्वागत करूंगा कि जो एतराज हो वह हम चलकर कोआपरेटिव यूनियन को उनकी गलती बतलावें। कोआपरेटिव विभाग में अभी इंसपेक्टर्स की भर्ती हुई, उसमें सरकार बिलकुल दखल नहीं देती है और कोई सिफारिश नहीं करती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या यह परीक्षण मैरिट के आधार पर लेने के लिये होता है या डिवीजनवाइज कोटा बनाकर लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---डिवीजनवाइज कोटा बनाकर वह ले रहे हैं। यह काडर गवर्नमेन्ट का नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या डिवीजनवाइज क्वालीफिकेशन में भी अन्तर है ?

श्री मोहनलाल गौतम---क्वालीफिकेशन में कोई अन्तर नहीं है। सिवाय शैड्यूल्ड कास्ट्स के।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---डिवीजनवाइज कोटा मुकर्रर करते समय यूनियन ने परिगणित जातियों के लिये भी कोई कोटा मुकर्रर किया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---वह पहले ही १८ फीसदी है ।

श्री अमरनाथ---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की खैर तहसील से कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और कितने व्यक्ति लिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को दूसरी नियुक्तियों में भी मालूम हुआ है कि आगरा डिवीजन में, खैर तहसील में ही सर्वाधिक कुशाग्र और कौशल बुद्धि के लोग पाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

फास्फेटिक उर्वरक वितरक में छूट

*५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसने किसानों को राज्य सहायता प्राप्त दर पर फास्फेटिक उर्वरक वितरण करने की योजना के अनुसार,जो यह व्यवस्था की थी कि २५ प्रतिशत किसानों को राज्य सहायता के रूप में दी जायेगी, वह दी जा रही है ? यदि नहीं, तो कब से और क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये स्वीकृत खाद्योत्पादन बढ़ाने की एक विशिष्ट योजना के अन्तर्गत फास्फेटिक उर्वरक (fertilizer) वितरण में २५ प्रतिशत की छूट दी जा रही है । प्रश्न के दूसरे भाग नहीं उठते ।

*६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को उपर्युक्त राज्य सहायता देने पर फिर से विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सहायता दी ही जा रही है । अतएव फिर से विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कोआपरेटिव बैंक, आजमगढ़ से रुपया निकालने में अनियमितता

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, पोस्ट रामपुर, जिला आजमगढ़ की कार्यकारिणी समिति ने १९-४-५८ की अपनी बैठक में अमानत का कितना रुपया वापस करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—५,१५८ रु० २५ न० पै० (पांच हजार, एक सौ अट्ठावन रुपये पचीस नये पैसे ।)

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भंडार के १७-१०-५३ के जिला कोआपरेटिव बैंक आजमगढ़ से रुपया निकालने की पद्धति की अवहेलना हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां । बैंक से रुपया निकालने के लिये १७-१०-५३ के प्रस्ताव के अनुसार उक्त भंडार के अध्यक्ष एवं मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये थे, परन्तु जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ के पास जब ५,१५८·२५ न० पै० की अमानत पास करने का प्रार्थना-पत्र आया तो उसके साथ यह प्रस्ताव नत्थी नहीं था । इसलिये बैंक ने केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर पर रुपया दे दिया ।

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने उक्त प्रकार की अपनायी गयी पद्धति के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपील की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं । केवल एतराज किया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया किसके नाम से अमानत में था, किसने बैंक में प्रार्थना-पत्र दिया और किसको रुपया दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उत्तर में है कि अध्यक्ष के हस्ताक्षर से रुपया लिया गया और कमलसागर भंडार के नाम से जमा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—हमने पूछा है कि किसके नाम से जमा था और कौन बैंक में ले गया और किसने लिया ? नाम चाहिये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—श्री ब्रजविहारी मिश्र, जो कमलसागर भंडार के अध्यक्ष हैं, लेने गय और उन्हीं को रुपया दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सुपरवाइजर पहले वाले प्रस्ताव को लेकर बैंक गया या खुद ब्रजविहारी मिश्र लेकर गये और बैंक वालों ने बिना पुरानी प्रतिलिपि को देखे क्यों रुपया दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो हर व्यक्ति की साख की बात है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि बैंक के पास प्रस्ताव की प्रतिलिपि पहले से मौजूद थी तो फिर एक व्यक्ति को अवैधानिक रूप से रुपया क्यों दे दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—बैंक के पास प्रेसीडेंट साहब खुद गये थे । बैंक साख के ऊपर अध्यक्ष को भी रुपया दे सकता है ।

सहकारी संघ, घाटमपुर का विघटन

*१०—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ, घाटमपुर, लिमिटेड, जिला कानपुर को गत ता० १०-२-५५ से मुअत्तल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां । संघ के संचालक मंडल द्वारा संघ का कुप्रबंध करने, हिसाब में गड़बड़ी करने तथा संघ के कार्य को अनुत्तरदायी ढंग से चलाने के कारण उसे मुअत्तल कर देना पड़ा ।

*११—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी संघ, घाटमपुर जिला कानपुर के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल हो रही है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार की जांच है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं । जांच हो चुकी है जिसके फलस्वरूप संघ को विघटित कर दिया गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सहकारी संघ घाटमपुर, जो ५ साल पहले विघटित हुआ था, उसके पुनः संगठित करने में क्या-क्या दिक्कतें हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जब यह देखा गया कि ठीक प्रकार से वह चल नहीं सकता है तो उसको विघटित कर दिया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह संघ १९५५ में मुअत्तल किया गया था तो यह विघटित कब हुआ ? इतने दिन बीच में लगने के क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसमें देरी अवश्य हुई । इसके लिये जवाब तलब किया जा रहा है ।

श्री मोती लाल अवस्थी—यह सहकारी संघ किस तारीख को विघटित किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—दिनांक ४-९-५९ को ।

*१२-१३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले में भट्ठों को कोयला

*१४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने भट्ठे चल रहे हैं और उनमें कितने सहकारी भट्ठे हैं और कितने प्राइवेट ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--५६ भट्ठे, जिनमें ३५ सहकारी हैं तथा २१ प्राइवेट स्वीकृत भट्ठे हैं।

*१५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त भट्ठों में से प्रत्येक को सन् ५९ में कितने वैगन कोयला दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह सूचना संलग्न तालिका "अ" तथा "ब" में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०९-६१० पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो प्राइवेट भट्ठे ह उनमें १२ ए क्लास के और ९ बी क्लास के हैं तो यह ए और बी क्लास के परमिट किन-किन आधारों पर दिये जाते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उनके काम करने की क्षमता पर।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि जिस वक्त एप्लाई किया जाता है उस वक्त माननीय मंत्री जी क पास एसा कौन-सा यंत्र होता है यह जानने के लिये कि उनमें कितनी क्षमता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये पहले वहां पर क्षेत्रीय कमेटी अर्थात् पहले अन्तरिम जिला परिषद् थी और अब फूड ऐडवाइजरी कमेटी है तथा प्राविंशियल आयरन ऐन्ड स्टील कण्टोलर हैं, जो इसको देखते हैं।

गेहूं तथा चावल का क्रय

*१६--श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राज्य व्यापार योजना के अन्तर्गत योजना के चालू होने से अब तक कुल कितना चावल तथा गेहूं का स्टाक किया गया ?

*१७--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितनी रकम का गेहूं तथा चावल अलग-अलग जिलों में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत खरीदा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--१३ फरवरी, १९६० तक सरकार द्वारा खरीदे गये चावल और गेहूं की जिलेवार मात्रा तथा उनके मूल्य की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६११-६१२ पर)

श्री अमरनाथ--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन जिलों से इस बात की शिकायत आयी है कि व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से चावल और गेहूं खरीदा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसी कोई शिकायत कहीं से नहीं आयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ गांव ऐसे हों जो दो जिलों के बीच में हैं तो क्या उन गांवों के बाशिन्दों (किसानों) को गल्ला बिकने की सुविधा देने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--दो जिलों के बीच में तो ऐसे बहुत से गांव होंगे।

श्री अमरनाथ---यह चावल और गेहूं किन-किन रेट्स पर खरीदा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ग्रेड २---चावल अरवा १८.७५ रु०, सेल्हा १८.२५ रु०, ग्रेड २ ए०--चावल अरवा १९.७५ रु०, सेल्हा १९.२५ रु०, ग्रेड २ स्पेशल---चावल अरवा २१.७५ रु०, ग्रेड ३---चावल अरवा १६.७५ रु०, सेल्हा १६.२५ रु०, ग्रेड ४---चावल अरवा १५ रु० और सेल्हा १४.५० रु० फी मन। गेहूं बुन्देलखंडी क्वालिटी १३ रु०, फेयर ऐंड एवरेज क्वालिटी १४ रु० और फार्म क्वालिटी १५ रु० फी मन।

गोरखपुर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*१८--श्री अमरनाथ---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी-कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं ? क्या अन्य प्रार्थियों के मुकाबिले, जिन विशेष योग्यताओं के आधार पर दुकानदारों की नियुक्ति की गयी, उसका विवरण सरकार सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गोरखपुर जिले की तहसीलों में सन् १९५९ में खोली गई दूकानों की संख्या निम्नलिखित है:

तहसील का नाम			दूकानों की संख्या
१---सदर	..	..	७२
२---बांसगांव	..	..	५७
३---फरेंदा	..	..	३४
४---महाराजगंज	..	..	४२
		योग ..	२०५

दुकानदारों की नियुक्ति से संबंधित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६१३ पर)

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दूकानों में से कितनी सहकारी संघ को और कितनी हरिजनों, बैकवर्ड क्लास के लोगों तथा राजनीतिक पीड़ितों को दी गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों के जिम्मे इन दूकानों को खोलने का अधिकार दिया गया था उनके विरुद्ध बहुत-सी शिकायतें आयी हैं कि उन्होंने दूकानों के खोलने में भेदभाव बरता है और भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया है, जिसके कारण गड़बड़ी है और खाद्य सलाहकारिणी समिति से वहां के सब विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, दिया था। मैं खुद गोरखपुर गया था और गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा वहां के विधायकों से मैंने बातचीत की थी सब बातें आपस में तय हो चुकी हैं, अब कोई इस्तीफा नहीं है।

गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन का निलम्बन

*१९--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन के वर्तमान बोर्ड को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कारणों को सदन के सम्मुख रखेगी जिनसे प्रभावित हो कर सरकार को ऐसा निर्णय करना पड़ा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां।

उक्त फेडरेशन में बहुत सी गड़बड़ियां कपड़ा, भट्टा और कोयले के व्यापार में पाई गईं। विभागीय अधिकारियों द्वारा फेडरेशन के निरीक्षण-पत्रों में दिये गये सुझावों की बोर्ड ने अवहेलना की तथा आडिट नोट में सांकेतिक आपत्तियों की तामील भी नहीं की। संचालक मंडल सहकारी कानून कायदों तथा विभागीय आदेशों का भी निरन्तर उल्लंघन करता रहा।

*२०---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार गोरखपुर के डी०सी०डी०एफ०के निलम्बित पदाधिकारियों की सूची सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---पूरी बोर्ड निलम्बित कर दी गई है जिसमें पदेन चेयरमैन जिलाधिकारी के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारी और डाइरेक्टर थे:---

१---श्री राधारमन दास .. वाइस प्रेसीडेंट
२---चौधरी रामलखन चन्द .. सेक्रेटरी
३---श्री ए० पी० वर्मा .. डाइरेक्टर
४---श्री अक्षयवरसिंह ,,
५---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय ,,
६---श्री गनेश पांडेय ,,
७---श्री देवधारी उपाध्याय ,,
८---श्री भृगुमुनी मिश्र ,,
९---श्री विभूती राम ,,
१०---श्री रमापति ओझा ,,
११---श्री श्यामलाल सिंह ,,
१२---श्री गंगाप्रसाद यादव ,,

*२१---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि गोरखपुर डी०सी०डी० एफ० में किसी गबन के सिलसिले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि गिरफ्तार व्यक्ति कौन-कौन हैं तथा किन-किन दफाओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति फेडरेशन द्वारा स्थानीय हैदरबाजार में चलाई गई कपड़े की दूकान के मैनेजर श्री महेंद्र सिंह गिल तथा मुनीम श्री कुलन्दन सिंह हैं। इनकी गिरफ्तारियां किन धाराओं के अन्तर्गत हुई हैं इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो भट्ठे के कोयले और कपड़े के व्यापार में गड़बड़ी की सूचना मिली है वह लगभग कितने रुपये की होगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बीज गोदामों में गबन

*२२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत तीन३ वर्षों में कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले बीज गोदामों के संबंध में कितने गबन के मामले रिपोर्ट किये गये और कितने रजिस्टर किये गये?

श्री कालीचरण अग्रवाल---गत ३ वर्षों में कुल १४ मामले रिपोर्ट अथवा रजिस्टर्ड हुए। जिनका विवरण निम्नलिखित है:

१९५६-५७	..	५
१९५७-५८	..	१
१९५८-५९	..	८

*२३--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त गबन के मामलों में कितनी रकम गबन की गई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--गबन की गई रकम का विवरण निम्नलिखित है :

		रु०
१९५६-५७	..	२०,४९९.१९
१९५७-५८	..	१,१३४.००
१९५८-५९	..	५६,००७.८८

*२४--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या सरकार ने इन गबन के मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--१६ मामले में विभागीय कार्यवाही द्वारा संबंधित अधिकारी बरखास्त किया गया तथा हानि का कुछ हिस्सा वसूल किया गया। सात मामले में विभागीय कार्यवाही हो रही है। छः मामले पुलिस के सुपुर्द हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो गबन के मामले दर्ज हुये थे और उन में जो रुपया वसूल किया गया तो क्या वह केस पुलिस के सुपुर्द किये गये थे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--ऐसे जितने भी केसेज होते हैं उन में सब से पहले विभागीय इंक्वायरी होती है और जहां रुपया वसूल हो जाता है और जुर्म भी सीरियस नहीं होता वहां विभागीय कार्यवाही करके छोड़ देते हैं या एन्ट्री वगैरह देते हैं लेकिन जो पुलिस में देने के काबिल होते हैं उन्हें दे भी देते हैं पुलिस में ।

आजमगढ़ जिले में सस्ते अनाज की दुकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*२५--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति ने सितम्बर या अक्तूबर, १९५९ में कोई प्रस्ताव पास करके कि आजमगढ़ जिले में सौ सस्ते गल्ले की दुकानें और बढ़ा दी जायं सरकार के पास भेजा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां।

*२६--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उचित आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री मुक्ति नाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की तरफ से क्या उचित आदेश भेजे गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यही आदेश हैं कि जितनी दुकानों की आवश्यकता हो उतनी दुकानें खोली जायं ?

आगरे में कोयले की कमी

*२७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि आगरा में राशन कार्ड में जो एक मन कोयला मिलता है उसके लिये भी एक दुकान से एक दिन में सिर्फ २५ कार्ड वालों को कोयला देने की संख्या नियत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां। कोयले की कमी के कारण दिसम्बर, १९५९ में १,००० मन से कम स्टाक वाले कोल डिपो होल्डर्स को प्रतिदिन २५ मन या सप्ताह में १५० मन तक कोयला बेचने का आदेश था।

*२८-३०--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटियां बनने की जानकारी

*३१--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला जालौन में (Service Co-operative Societies) बन गई हैं? यदि हां, तो कितनी और कहां?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३२--राजा वीरेन्द्रशाह (अनुपस्थित)--यदि नहीं बनी हैं तो कब तक और कैसी बनायी जायेंगी? क्या वर्तमान सहकारी समितियों को इसी में बदलने की योजना है?

श्री मोहन लाल गौतम--१९६०-६१ में प्रयत्न किया जायेगा। वर्तमान ऋण सहकारी समितियों को साधन सहकारी समितियों में शर्तें पूरी होने पर बदला जा सकता है।

ब्रजमनगंज बीज भण्डार से वितरित धान के बीज की शिकायत

*३३--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--दिनांक २४ अगस्त, १९५९ के प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न ३७ का जो उत्तर दिया गया है वह किसके द्वारा जांच कराकर दिया गया है?

श्री कालीचरण अग्रवाल--जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिस कृषि अधिकारी से जांच कराई गई उन्होंने किन-किन गांवों में जांच की और उनकी जांच के फलस्वरूप क्या-क्या फसल पैदा नहीं हुई?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मान्यवर, प्रश्न यह है कि जिनको बीज दिया गया था वह सभी लोग लौटाने आये और उन से पूछा गया तो उन्होंने कोई खास शिकायत नहीं की है, पूरी सूची है, यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा, इसमें लगभग डेढ़, दो सौ काश्तकार हैं जिन से रुपया वसूल हो चुका है। साधारणतः ६०-७० प्रतिशत वसूलयाबी हो जाती है, इस बार भी ६५ प्रतिशत हुई इससे पता चलता है कि पैदावार औसतन ठीक हुई।

अलीगढ़ जिले के लिये ह्वीट फार्मिग पाइलेट प्रोजेक्ट योजना

*३४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी फोर्ड फाउन्डेशन स्कीम के अन्तर्गत अलीगढ़ जिला गेहूं के विशेष उत्पादन तथा कृषि विकास के लिये चुना गया है। यदि हां, तो उसके विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने व्यय की योजना है? क्या सहकारिता मंत्री इस योजना के संबंध में कुछ विस्तृत जानकारी सदन को देने की कृपा करेंगे?

श्री कालीचरण अग्रवाल--फोर्ड फाउन्डेशन के तत्वावधान में उनके विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत का दौरा करके कृषि उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने उस टीम की एक सिफारिश पर देश में सात पाइलेट प्रोजेक्ट स्थापित करने की एक माडल स्कीम तैयार की और उसी के आधार पर हमारी सरकार से भी एक ऐसी विस्तृत योजना बनाने को कहा जिसके अन्तर्गत एक ही उपयुक्त क्षेत्र में कृषि उत्पादन के लिये निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम साधन उपलब्ध हों। चुनान्चे उन निर्धारित शर्तों के अनुसार

अलीगढ़ जिले में एक पाइलेट प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना कर भारत सरकार को भेजी गई और अभी वह उनके विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अभी उस योजना की रूप-रेखा या उस पर व्यय का अनुमान देना कठिन है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस विस्तृत योजना को बनाने के पहले अलीगढ़ के विधायक तथा वहां की जिला अन्तरिम परिषद् को बिश्वास में लिया गया था और सलाह ली गई थी ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस संबंध में केंद्रीय सरकार की तरफ से कुछ क्राइटेरियन आये थे कि यह यह शर्तें पूरी होनी चाहिये, उसमें कोई सलाह लेने का सवाल नहीं था, जहां शर्तें पूरी हो सकती थीं उसे देखा गया और इसीलिये उस को रखा गया।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय सरकार की तरफ से यह शर्त भी रखी गई थी कि कृषि मंत्री का उस जिले से आना जरूरी है और उन्हीं का जिला उसके लिये रखा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आपत्ति है।

श्री गेंदासिंह---केंद्रीय सरकार ने जिन शर्तों को रखा था वह क्या हैं और उन में जो मैंने कहा वह भी है क्या ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---आदरणीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बता दूं कि केंद्रीय सरकार की ७ शर्तें थीं। पहली शर्त यह थी कि जिस जिले में यह अग्रगामी योजनाएं चालू की जायं वह जिला गेहूं पैदा करने वाला हो, दूसरी शर्त यह थी कि रबी की फसल की सिंचाई के लिये नहर आदि के साधन भलीभांति उपलब्ध हों और वहां वर्षा भी आमतौर पर समय से होती हो और वह वर्षा के हिसाब से पिछड़ा क्षेत्र न हो, तीसरे वहां पर किसानों के लिये क्रेडिट फेसिलिटीज भी काफी हों और उन्हें बढ़ाये जाने की भी संभावना हो। चौथी बात यह थी और यह भी थी कि वहां पर सोयल ऐनेलिसिस की भी सुविधा होनी चाहिये। छठी बात यह थी कि गेहूं की पैदावार न तो बहुत नीची हो और न बहुत ऊंची ताकि हम औसतन जगह पर प्रयोग कर सकें। सातवीं बात यह थी कि लाइव स्टाक के डेवलपमेंट की फेसिलिटी उस जिले में होनी चाहिये। अब रही यह बात कि माननीय मंत्री का जिला है तो अगर यह सारी शर्तें उस जिले में हों तो उसको इसलिये कि मंत्री जी का जिला है सजा नहीं दी जा सकती।

श्री चन्द्रजीत यादव---जब राज्य सरकार ने इस योजना को अपने यहां लागू करने का प्रस्ताव स्वीकार किया तो भारत सरकार से इस बात की जांच-पड़ताल कर ली थी कि इस संबंध में राज्य सरकार को व्यय का कौन-सा हिस्सा वहन करना पड़ेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक हमारा खयाल है कि राज्य सरकार को कुछ नहीं वहन करना पड़ेगा, सारी योजना वहीं से फाइनेंस होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इस बात को देखते हुए कि गेहूं उत्पादन करने वाले दूसरे जिले भी हैं और तीन साल से लगातार गेहूं की प्रतियोगिता में प्रथम आ रहे हैं ऐसे जिलों में न खोलने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---केवल एक ही जिला लिया जा सकता था सब जिले नहीं।

*३५-३७---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किय गये।]

सहकारी समिति श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बरहज के हिसाब में गड़बड़ी

*३८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि सहकारी समिति, श्री कृष्ण इंटर कालेज, बरहज, जिला देवरिया की स्पेशल आडिट रपट में गत वर्ष में ३०,००० रुपये के गोलमाल का चार्ज उक्त समिति पर लगाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। स्टोर (समिति) के मंत्री को ३०-६-५९ और १-२-६० को हिसाब में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों से रुपया वसूल करने के लिये लिखा गया लेकिन उन्होंने न रुपया वसूल किया और न ही कोई उत्तर दिया। सहकारी निरीक्षक ने स्टोर के हिसाब-किताब की फिर से जांच की है। समिति के संचालक मंडल को निलंबित करने के लिये तथा बकायेदार सदस्यों पर सालसी कार्यवाही करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

*३९—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर के सहकारी समिति श्री कृष्ण इंटर कालेज, बरहज, जिला देवरिया की गत वर्ष की स्पेशल आडिट रपट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—कथित आडिट रिपोर्ट इतनी विस्तृत है कि उसकी प्रतियां तैयार करने में जो श्रम तथा समय लगेगा, सूचना की उपयोगिता को देखते हुए आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

अलीगढ़ जिले के लिए ह्वीट फार्मिंग पाइलेट प्रोजेक्ट योजना

*४०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में खुलने वाले ह्वीट फार्मिंग पाइलेट प्रोजेक्ट की योजना क्या है और उस पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—फोर्ड फाउन्डेशन के तत्वाधान में उनके विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत का दौरा करके कृषि उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सिफारिशें की। भारत सरकार ने उस टीम की एक सिफारिश पर देश में सात पाइलट प्रोजेक्ट स्थापित करने की एक माडल स्कीम तैयार की और उसी के आधार पर हमारी सरकार से भी एक ऐसी विस्तृत योजना बनाने को कहा जिसके अन्तर्गत एक ही उपयुक्त क्षेत्र में कृषि उत्पादन के लिये निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम साधन उपलब्ध हों। चुनान्चे उन निर्धारित शर्तों के अनुसार अलीगढ़ जिले में क पाइलेट प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना कर भारत सरकार को भेजी गई और अभी वह उनके विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अभी उस योजना की रूपरेखा या उस पर व्यय का अनुमान देना कठिन है।

बेलामूडी तथा बसहरा ग्रामों के बीच ऊसर भूमि

*४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह जिला इलाहाबाद, तहसील करछना, परगना बारा के ग्राम बेलामूडी तथा बसहरा के बीच में जो हजारों बीघा जमीन ऊसर पड़ी है उस को उपजाऊ करवाने के कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी तो कोई ऐसी योजना नहीं है।

सुल्तानपुर जिले में कोयले का वितरण

*४२—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५७ से ३० जून, १९५९ तक सुल्तानपुर जिले में प्रदेशीय सरकार द्वारा कुल कितना कोयला दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--६२१ वैगन।

*४३--**श्री काशीप्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)--क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में अप्रैल, १९५७ से जून, १९५९ तक कितना-कितना कोयला सहकारी भट्टों एवं व्यक्तियों वा संस्थाओं को दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सूचना निम्न प्रकार है :

	वैगन
सहकारी भट्टे	४७७
स्वीकृत निजी ईंट भट्टे	११७
व्यक्तियों एवं संस्थाओं	२७
योग ..	६२१

*४४--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--[हटा दिया गया।]

राज्य व्यापार योजना पर व्यय

*४५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य व्यापार योजना में प्रतिवर्ष कितना व्यय होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चूंकि राज्य व्यापार योजना अभी पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं की गई है अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मंत्री जी बतायेंगे कि आंशिक योजना में कितना व्यय हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--इसके लिये दूसरी सूचना दीजिये।

शाहजहांपुर जिले में कथित डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेण्ट कोआपरेटिव सोसाइटी

*४६--**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डाइरेक्टर का चुनाव तारीख ४--२--६० को २ बजे दिन को हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--शाहजहांपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम की कोई सहकारी संस्था नहीं है।

*४७--**श्री रूमसिंह**--क्या यह सही है कि इस चुनाव के एक घंटा पूर्व उसी दिन बिना जिले के सिफारिश के सरकार द्वारा तीन व्यक्तियों को नामिनेट किये जाने की सूचना पहुंची ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

*४८--**श्री रूम सिंह**--क्या एक घंटा पूर्व सूचित नामिनेटेड तीन सदस्य उस दिन चुनाव में सम्मिलित हुये ? यदि हां, तो इतनी शीघ्र सूचना उनको किस प्रकार दी गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रूमसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि शाहजहांपुर में कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बैंक है और उसका चुनाव ४--२--६० को हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष--इसके लिये दूसरी सूचना दीजिये।

*४९–५१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*५२–५४—श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य से धान व गेहूं का निर्यात

*५५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में कितना धान व गेहूं सरकार ने किसानों से प्रोक्योर किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किसानों से सीधे कोई खरीदारी नहीं की गई।

*५६—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)— इसमें से कितना धान सरकार ने भारत सरकार को देश के दूसरे सूबों में बांटने के लिये दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता।

*५७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—सन् १९५९ में प्रदेश में कितने टन धान की खपत हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रदेश में सरकार द्वारा धान वितरित नहीं किया गया।

*५८–६०—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पीलीभीत उपनिवेशन योजनान्तर्गत अधिगृहीत भूमि

*६१—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों की कितनी-कितनी जमीन एक्वायर की गई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—पीलीभीत उपनिवेशन योजना के लिये लैन्ड एक्विजीशन ऐक्ट, १८९४ के अन्तर्गत अभी तक केवल कबीरगंज ग्राम में ७०३.५३ एकड़ भूमि एक्वायर करके उस पर अधिकार किया जा चुका है।

*६२—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस जमीन की तुड़वाई में कितना पैसा खर्च किया गया है और कितने एकड़ जमीन कितने दिनों में तुड़वाई गई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस ७०३.५३ एकड़ भूमि में से लगभग ३०० एकड़ भूमि तुड़वाई जा चुकी है जिस पर ५५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से १६,५०० पया व्यय हुआ है। यह ३०० एकड़ भूमि मार्च, १९५९ से मई, १९५९ तक तोड़ी गई।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि जो जमीन ली गई है यह किसानों की थी या परती थी या और किसी की थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यह भूमि अधिकतर बड़े-बड़े फारमर्स की थी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो बड़े-बड़े फारमर्स थे उनम कितने ऐसे थे जो ४० एकड़ से ज्यादा के थे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---मेरे पास यह तो सूचना नहीं है कि कितने फारमर्स ४० एकड़ से ऊपर के थे लेकिन यह बतला सकता हूं कि ५७ काश्तकारों से जमीन ली गयी है और कुल जमीन ७०३ एकड़ है। इससे हिसाब लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि जो १० हजार एकड़ जमीन ली गयी है वह अधिकतर वन विभाग और ग्राम समाज से ली गयी है और बीच में जो स्पाट्स आते हैं उनको एक रूप में बनाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उन जगहों को लिया जाय। तो जो काश्तकार बीच में पड़ते थे उन्हीं को जमीन ली गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव---प्राक्कलन समिति ने राज्य सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि जितना व्यय इस योजना पर हो रहा है उसको देखते हुये योजना उतनी लाभप्रद नहीं है इसलिये उसको बन्द कर दिया जाय तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उसको बन्द कर दिया जाय या उसके स्वरूप को बदल दिया जाय?

श्री मोहनलाल गौतम---उस पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में इस तरह के प्रश्नों को देखना इतना आसान नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हजार एकड़ जमीन हमने रिक्लेम की, मगर बीसियों हजार एकड़ जमीन जो आस-पास होती है उसमें लोग आ जाते हैं और उसको खुद रिक्लेम करते हैं और बस जाते हैं और उसका कोई हिसाब हमारे यहां नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट को देखना होगा कि इतनी जमीन बस गयी और उससे भी प्रदेश को फायदा हुआ और उस फायदे को हम भी नजरन्दाज नहीं कर सकते हालांकि उनको हमसे कोई मदद नहीं मिली।

श्री बंशीधर शुक्ल---जिन लोगों की जमीन ले ली गयी है उनको कोई मुआवजा दिया गया है या देने का विचार है और उनको फिर कहां बसाया गया?

श्री कालीचरण अग्रवाल---नियमानुसार जो मुआवजा दिया जाता है वह जरूर दिया गया होगा या नहीं दिया होगा और जिनकी जमीन ली जाती है उनको जो अधिकार होते हैं मिले होंगे।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बतलाया कि ५५ रुपये फी एकड़ उसके तोड़ने में व्यय हुआ और ३०० एकड़ जमीन तोड़ने में प्रायः १६ हजार रुपया व्यय हुआ और दूसरी ओर माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि यह जमीन फारमर्स से ली गयी तो फारमर्स के पास तो तोड़ी हुई जमीन पहले से होगी, उस पर ५५ रुपया फी एकड़ व्यय कैसे हुआ और १६ हजार व्यय किस काम में किया गया?

श्री मोहनलाल गौतम---यह जरूरी नहीं है कि फारमर्स के पास जमीन जो हो वह तोड़ी हुई हो।

लखनऊ में कृषि विभाग के कार्यालयों की इमारतें

*६३---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कृषि विभाग अपने समस्त कार्यालयों आदि के लिये कितनी, कौन-कौन सी इमारतें, कितने-कितने रुपये मासिक किराये पर, किस-किस तारीख से लिये हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल---वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६१४ पर।)

*६४---**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का विचार उक्त विभागों के लिये अपनी इमारतें बनवाने का है यदि हां, तो कब तक?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी हां, लगभग १० लाख रुपये की लागत की एक इमारत बनवाने का प्रस्ताव है किन्तु धनाभाव के फलस्वरूप उसे फिलहाल मुल्तवी कर दिया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि दिसम्बर, ५८ से ५९ तक लगभग ६ इमारतें किराये पर ली गयी हैं और उनका ढाई हजार रुपया किराया दिया जा रहा है तो इतना अधिक किराया किस नियम से दिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष---अधिक किराया दिया जा रहा है, यह कैसे साबित हुआ?

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---एक इमारत का ८०० रुपया वार्षिक किराया पड़ता है तो यह हाउस रेंट कंट्रोलर की राय से दिया जा रहा है?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इस पर मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा। मेरे खयाल से उस जगह की जरूरत को समझते हुए जो अधिकारियों ने मुनासिब समझा होगा वह किया होगा।

मऊरानीपुर अनाज मंडी में कथित क्षति

*६५---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की भी कृपा करेगी कि जनवरी, १९६० के प्रथम सप्ताह में मऊरानीपुर जिला झांसी की गल्ला मन्डी में व्यापारियों ने गल्ला खरीदने से इंकार कर दिया था जिसके कारण किसानों का हजारों मन गेहूं, ज्वार, तिली, बाजरा, आदि गल्ला बाजार में पड़ा रहने से किसानों को हानि व मुसीबत उठानी पड़ी? यदि हां, तो इसका क्या कारण था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा व तीसरा भाग नहीं उठता।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में वहां के किसानों का एक डेपुटेशन तौलने वालों के साथ तहसीलदार से मिला था और तहसीलदार ने प्रयत्न करके आधा माल मंडी का उस दिन उठवाया था?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये अलग नोटिस दीजिये।

जौनपुर जिले में कोयले की कमी

*६६---**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां पर ईंट के भट्ठे नहीं लगे हैं, वहां वालों को निजी ईंटा पकाने के लिये कोयला देने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसे लोगों को जिले में समय-समय पर उपलब्ध एडहाक कोटे में से या सम्भव हुआ तो जिले के कोटे में से कोयला दे दिया जाता है।

*६७---**श्री नागेश्वरप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर के पास जुलाई, सन् १९५९ से १५ दिसम्बर, १९५९ तक उपर्युक्त निजी कार्यों के लिये कोयला प्राप्ति के कितने आवेदन-पत्र आये और उसकी पूर्ति की क्या व्यवस्था की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसे ८० प्रार्थना-पत्र जिला-पूर्ति अधिकारी के पास वांछित समय में प्राप्त हुये जिसमें से ४ प्रार्थियों को जिले के स्पेशल कोटे में से कोयला दिया जाना सम्भव हो सका।

श्री नागेश्वरप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष व्यक्तियों को कोयला देने के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी तक तो कोयला शहरों में दिया जाता था मगर हमने अब यह किया है कि तहसीलों में भी एक एक डिपो खोलेंगे।

खीरी जिले में धान के बीज की वसूली मुल्तवी करने की प्रार्थना

*६८--**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने जनवरी, १९६० के प्रथम सप्ताह में डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव को कोई पत्र लिखा है जिसमें धान के बीज की वसूली में सूखा पड़ जाने के कारण किसानों को अदायगी के लिये मोहलत देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो यह मोहलत दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--- जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह पत्र आया है और मंत्री जी से इसकी सूचना छिपा ली गयी है, क्या पुनः मंत्री जी इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---उम्मीद तो नहीं है कि छिपाने की किसी ने कोशिश की हो । अब तक न आया हो यह बात दूसरी है या मुनासिब समझा हो तो उसको वहीं डिसपोज आफ कर दिया हो । लेकिन यहां मैं इतना निवेदन कर दूं कि एक बड़ा जटिल प्रश्न है कि जो कर्जा और तकावी गवर्नमेंट देती है तो यह तो आसान है गवर्नमेंट के लिये कि उसकी वसूली मुल्तवी कर दे या माफ कर दे लेकिन जो कोआपरेटिव लोन्स है, चाहे वह काइन्ड में हों या कैश में हों उनकी मुल्तवी और माफी में दिक्कत यह है कि उसको तो दूसरे को ले जाकर देना है । रिजर्व बैंक से जो रुपया आयेगा वह उधार दे दिया जायगा किसानों को । अब अगर किसान की फसल खराब हो गयी और वह उसे नहीं दे सकता तो अगर रिजर्व बैंक को वापस नहीं होगा तो फिर वहां से मिलेगा नहीं । असल में यह कठिनाई है ।

श्री उपाध्यक्ष--इस बारे में आप क्या कह रहे हैं कि पत्र आया या नहीं, इसकी जांच आप पुनः करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने डिप्टी रजिस्ट्रर के पास इस आशय का एक पत्र भेजा था कि धान न वसूल किया जा कर नगदी में वसूल कर लिया जाय । माफी के लिये कोई पत्र नहीं भेजा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र अब लिखा है और जिस पत्र के बारे में अभी आपने बताया है उस पर क्या विचार किया गया है ? उनको मुल्तवी दी जा रही है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---केन्द्र के उप-प्रबन्धक ने जिले के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मार्फत कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स को यह आदेश दे दिया है कि जहां बीज भंडार हैं और बीज तकसीम हुआ है वहां अगर माल विभाग ने माफी दी है तो उन स्थानों पर यह प्रश्न सोचा जा सकता है, लेकिन माल विभाग ने कहीं माफी दी हो ऐसी रिपोर्ट उप-प्रबन्धक के पास नहीं आयी ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैंने प्रश्न मुल्तवी का किया है, माफी का नहीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---ऐसी कोई चिट्ठी नहीं प्राप्त हुई ।

*६९-७०---**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)---[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले में खाद्यान्नों का भाव

*७१—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में कितना ज्वार १९५८-५९ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को दिया गया था और कितना बिका ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रतापगढ़ जिले में १९५८-५९ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को ४१५५ मन ज्वार दिया गया और उसमें से उपरोक्त वर्ष में ३०६५ मन २६ सेर १५ छटांक ज्वार बिका ।

*७२—श्री हरकेशबहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चावल का, ज्वार का और गेहूं का प्रतापगढ़ जिले में सरकारी दुकानों के लिये और खुले बाजारों में ३१-१२-५९ को क्या निर्ख था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—३१-१२-१९५९ को प्रतापगढ़ जिले में सरकारी दुकानों के लिये और खुले बाजारों में चावल, गेहूं तथा ज्वार के भाव फुटकर में इस प्रकार थे :

	दुकानों पर		खुले बाजारों में	
	सेर	छ०	सेर	छ०
चावल (३) अरवा	.. २	०	२	०
चावल (३) सेल्हा	.. २	१	२	१
गेहूं विदेशी	.. २	१०	..	..
गेहूं देशी	.. २	६	२	१
ज्वार	.. ३	४	३	८

बरेली जिले के देहाती क्षेत्र में सस्ते अनाज की दुकानें न होना तथा फूड एडवाइजरी कमेटी की मीटिंगें

*७३—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के देहाती क्षेत्र में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोई नहीं ।

*७४—श्री शिवराजबहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५९ से जनवरी सन् १९६० तक बरेली जिले की फूड एडवाइजरी कमेटी की कुल कितनी मीटिंगें हुईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—तीन मीटिंगें हुईं ।

पूर्ति विभाग, जिला बलिया में नियुक्तियां

*७५—श्री गौरीशंकर राय—क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में पूर्ति विभाग मे पिछले एक साल में कितनी ऐसी नियुक्तियां हुईं जिनके लिये रोजगार दफ्तर से नाम नहीं मांगे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बलिया जिले में पूर्ति विभाग में कोई नियुक्ति पिछले एक साल में ऐसी नहीं की गई जिसके लिये रोजगार दफ्तर से नाम न मांगे गये हों ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नाम मांगे गये उसके बावजूद भी मांगे हुये नामों में से न भर्ती करके उनके बाहर से भर्ती हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो वह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ ।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैंने सवाल पूछा कि नाम मांगे गये या नहीं तो उन्होंने कहा कि जरूर मांगे गये। इस पर मेरा प्रश्न यह है कि नाम मंगाने पर भी उसमें से भर्ती न कर के बाहर से भर्ती की गयी ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां पर उस योग्यता के नहीं मिलते वहां पर बाहर के आदमी रख लेते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि जिस मिनिमम योग्यता के लोग मांगे गये थे उस योग्यता के लोग भेजे गये थे लेकिन उनको न रखकर किसी दूसरे को रख लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हो सकता है कि पर्सनल इंटरव्यू में कोई आदमी उनको ज्यादा अच्छा मालूम हुआ हो ।

श्री गौरीशंकर राय—पर्सनल इंटरव्यू का प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से आपस में बात करना तो ठीक नहीं है ।

*७६-७७—श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

राशन में भिन्नता

*७८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में चलने वाली सरकारी गल्ले की दूकानों पर ढ़ाई सौ (२५०) रुपये से जिनकी आय अधिक है उनको देशी गेहूं तथा चावल दिया जाता है और ढाई सौ रुपये से जिनकी आय कम है उनको विदेशी गेहूं तथा चावल दिये जाते हैं ? यदि हां, तो इस भिन्नता के क्या क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केवल पंच महानगरों, मेरठ तथा बरेली में २५० रुपये से अधिक मासिक आय वालों को सरकारी गल्ले की दूकानों से राशन मिलता है और उनको देशी गेहूं तथा चावल दिया जाता है । उपरोक्त मासिक आय से कम वालों को विदेशी गेहूं अथवा होल मील आटा दिया जाता है । इस भिन्नता का कारण यह है कि उपरोक्त नगरों में २५० रुपये तक की आय के व्यक्तियों का राशन केन्द्रीय सरकार देती है इससे अधिक आय के व्यक्तियों को प्रदेशीय सरकार अपने स्टाक से कुछ समय से अस्थायी रूप से गल्ला दे रही है ।

*७९-८१—श्री नत्थूसिंह—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*८२—श्री गौरीशंकर राय—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

नोट :—तारांकित प्रश्न ७५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कानपुर जिले में चूहे बढ़ने की शिकायत

*८३—**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि पिछले साल जिस प्रकार चूहों की अत्यधिक संख्या बलिया जिला में हो गई थी उसी प्रकार इस वर्ष कानपुर जिले में भी चूहे बहुत बढ़ गये हैं जिससे वहां की जनता परेशान है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोक-थाम का क्या उपाय कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।

*८४-८५—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

गन्ना, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, अरहर का उत्पादन

*८६—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, अरहर का उत्पादन गत ४ वर्ष में प्रतिवर्ष कितना हुआ ? क्या इन चीजों का उत्पादन प्रति एकड़ गिरा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना संलग्न तालिका में दी गई है । जौ को छोड़कर अन्य फसलों का उत्पादन १९५६-५७ में प्रति एकड़ बढ़ा । केवल १९५७-५८ में इन फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन में कमी आई जो १९५८-५९ में फिर बढ़ी किन्तु गेहूं को छोड़कर अन्य फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं सूखा, कीड़े, ओले तथा तेज पछुआ हवाओं के चलने के कारण १९५५-५६ व १९५६-५७ के बराबर न हो सका ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ६१५ पर) !

*८७—**श्री देवकीनन्दन विभव**—[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

खरीफ अभियान

*८८—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसके हाल के खरीफ अभियान के कौन-कौन से लक्ष्य पूरे हो गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने १९५९-६० के खरीफ अभियान में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे । यह कार्यक्रम एक शैक्षिक कार्यक्रम है ताकि किसान प्रगतिशील ढंग से खेती करने का आदी हो सके । कोई लक्ष्य उत्पादन आदि के निर्धारित नहीं किये गये ।

*८९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त खरीफ अभियान में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन अभियानों पर नियोजन, कृषि, सिंचाई, सहकारिता और अन्य संबंधित विभागों में विभागीय बजट के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं व्यय की । केवल ७७,०१३ रुपये ग्राम सहायक पुस्तिका प्रदर्शन योजना आदि पुस्तकों के मुद्रण में तथा लगभग २५,००० रुपये प्रचार एवं सम्बंधित साहित्य पर व्यय किया गया ।

*९०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर गया है कि रबी अभियान की सफलता में हमारा प्रदेश अन्य कई प्रदेशों में पिछड़ा रहा ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

कानपुर जिले के कृषि फार्म

*९१---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में कितने सरकारी कृषि फार्म हैं और उनका निम्नलिखित विवरण सन् १९५२-५३ से सन् १९५७-५८ तक का क्या है ?

(अ) उनकी वार्षिक आय,
(ब) उनका वार्षिक स्थापना व्यय,
(स) उत्पादित अन्नों की मात्रा ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना एकत्रित की जा रही है।

डी० सी० एफ०, आजमगढ़ की जांच रिपोर्ट

*९२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री डी० सी० एफ०, आजमगढ़ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट के बारे में २१-१२-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि आडिट की स्पेशल रिपोर्ट का निराकरण संचालक मंडल ने कब स्वीकार करके स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों के पास भेजा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कथित निराकरण अभी संचालक मंडल ने स्वीकृत नहीं किया है।

*९३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री आडिट की स्पेशल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह आडिट रिपोर्ट इतनी विस्तृत है कि जो समय और श्रम इसकी प्रतियां तैयार करने में लगेगा, उसका उपयोग सूचना की उपयोगिता से कहीं अधिक होगा ।

कृषि बीज भण्डार , तालबेहट के विरुद्ध शिकायत

*९४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि बीज भंडार, तालबेहट (जिला झांसी) द्वारा बीज पक्षपात से देने और बीज की बकाया वसूली के सम्बन्ध में फरवरी, जुलाई, अगस्त और दिसम्बर, १९५९ में मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री, कमिश्नर, जिलाधीश और एस० डी० ओ० के पास पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । परन्तु जांच करने पर बीज का वितरण पक्षपात से होना प्रमाणित नहीं हुआ ।

*९५---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९५७ और फरवरी, मार्च, १९५८ में एक ही परिवार के श्री मनीराम, श्री लक्ष्मण प्रसाद, श्री सियाराम, श्री मोतीलाल को ३५० मन बीज दिया गया है ? यदि हां, तो लगातार इतना बीज देने का क्या कारण था ?

श्री मोहनलाल गौतम---अक्तूबर, नवम्बर, १९५७ में २०० मन बीज सर्वश्री मनी राम, लक्ष्मण प्रसाद, सियाराम, मोती लाल को सवाई पर बोने के लिये दिया गया था । सवाई पर बीज बटने से बच जाने के कारण फरवरी, १९५८ में १५० मन बीज पर उक्त व्यक्तियों को दिया गया ।

*९६---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त बीज अथवा बीज का रुपया वसूल हो गया है ? यदि नहीं, तो वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--कुल ६,८५३.७५ रुपया में से २,४३३.७५ रुपया मूलधन वसूल हो गया है। इसके अतिरिक्त ५६६.२६ रुपया व्याज का भी वसूल किया गया है। जब उक्त बकायादारों ने बीज वापस नहीं किया तो नियमानुसार बकाया बीज की वसूली के लिये उनके नाम माल विभाग को वसूली करने के लिये भेज दिये गये। फलस्वरूप उक्त रकम वसूल की गई। शेष रकम को सख्ती के साथ वसूल करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं तथा आशा है कि शीघ्र ही वसूल हो जायगा।

सेमिनारों पर व्यय

*९७--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचांग वर्ष १९५९ में रबी व खरीफ अभियानों के सिमिनारों अथवा अन्य सहकारी विभागीय सेमिनारों (Seminars) में जिलेवार कितना व्यय हुआ है ?

*९८--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त सेमिनारों के कुल जिलेवार व्यय में निम्न मदों में कितना व्यय हुआ है :

(अ) यात्रा व्यय, (ब) मंडप (स्थान) साज-सज्जा व्यय, (स) अन्य व्यय।

श्री मोहनलाल गौतम--वांछित ब्योरे को प्रत्येक जिले के उन सभी विभागों से एकत्र करना पड़ेगा जिन्होंने कथित सेमिनारों में भाग लिया। जो श्रम और समय सूचना के एकत्र करने में लगेगा उसका उपभोग सूचना की उपयोगिता को देखते हुए आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

आलू सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता

*९९--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन अभाव ग्रस्त जिलों में इस समय आलू को सड़ने से बचाने के लिये कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) सरकार द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा बनाये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--कोई नहीं।

*१००--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में किन-किन जिलों में आलू को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज बनाने की सरकार की योजना है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी तो कोई योजना नहीं है।

बस्ती जिले की सहकारी समितियों में गबन

*१०१--**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५४-५५ ई० में बस्ती जिले की तीन सहकारी समितियों में लगभग पौने दो लाख रुपयों का गबन पाया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, मगर उसकी धनराशि ८०,४२९ रु० ३१ न० पै० (अस्सी हजार चार सौ उन्तीस रुपये इकतीस नये पैसे) थी।

*१०२--**श्री रामलखन मिश्र**--क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त तीन समितियों में से एक का गबन सम्बन्धी मामला सेशन्स कोर्ट, बस्ती से दिनांक २९ मई, १९५९ को निर्णित हो चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां।

*१०३--**श्री रामलखन मिश्र**--क्या सरकार को ज्ञात है कि कोआपरेटिव विभाग के एक उच्च कर्मचारी को दोषी ठहराते हुये तथा एक कर्मचारी को गबन पकड़ने की सराहना करते हुये सेशन जज, बस्ती ने अपने निर्णय की एक प्रतिलिपि सरकार को भेजी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं, सेशन जज के निर्णय की प्रतिलिपि मंगाई गई है शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

धान की उपज, कृषि फार्मों का उत्पादन

*१०४--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार २८-१२-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पिछले तीन फसली वर्षों में पृथक्-पृथक् धान की उपज कितनी हुई और प्रति एकड़ औसत क्या रहा ?

श्री मोहनलाल गौतम--पिछले तीन फसली वर्षों में धान की पैदावार तथा प्रति एकड़ औसत उपज के आंकड़े इस प्रकार हैं :

फसली वर्ष	धान की पैदावार	धान की उपज प्रति एकड़	औसत मन
१९५६-५७	.. ३४,२८,५८५		९.३२
१९५७-५८	.. ३४,५१,५५३		९.२९
१९५८-५९	.. ४४,७६,६७५		११.५९

*१०५--**श्री इन्दुभूषण गुप्त**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश का कोई भी ऐसा सरकारी फार्म है जिससे लाभ होता है ? यदि हां, तो उसका प्रति एकड़ वार्षिक खालिस लाभ (net profit) क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, बहुत से सरकारी फार्म लाभ पर चल रहे हैं सरकारी फार्मों पर प्रति एकड़ लाभ ७ नये पैसे से लेकर ६२४.८ रुपये तक है ।

*१०६--**श्री इन्दुभूषण गुप्त**--क्या सरकार प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि फार्मों के पिछले तीन वर्षों की फसलों के उत्पादन के आंकड़े अलग-अलग देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--कृषि फार्मों के पिछले तीन वर्षों की फसलों के उत्पादन के आंकड़े अलग-अलग निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	उत्पादन (मनों में)
१९५६-५७	७५,६६२--१८--०
१९५७-५८	९२,२३४--१७--९
१९५८-५९	८०,२०९-- ३--०

पीलीभीत उपनिवेशन योजना

*१०७--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में बिना भूमि वाले लोगों को बसाने की जो योजना चल रही थी, उसमें कितने परिवार बसाये गये ? जो लोग बसाये गये उसमें बस्ती जिले के कितने परिवार हैं ? क्या यह योजना अब भी चालू है ?

श्री मोहनलाल गौतम--पीलीभीत उपनिवेशन योजना में अभी तक कोई भी परिवार नहीं बसाया गया है । यह योजना अभी चालू है और परिवारों को बसाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

गोंडा जिले में साफ्ट कोल की दुकानें

*१०८--**श्री गंगाप्रसाद**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की किन-किन तहसीलों में साफ्ट कोल के डिपो हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गोंडा, तरबगंज और बलरामपुर। कुछ समय से बलरामपुर के कोल डिपो होल्डर ने इस्तीफा दे दिया है और उसके स्थान पर नियुक्ति करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*१०९-११०--**श्री सईद अहमद अन्सारी** (जिला सहारनपुर)--[४ अप्रैल, १९६० के लिय स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर के पशु-पालन विभाग के उप-संचालक

*१११--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गोरखपुर के पशुपालन विभाग के उप-संचालक पिछले १८ वर्षों से विभिन्न पदों पर गोरखपुर में ही काम करते रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं, उप-संचालक, गोरखपुर केवल फरवरी १९, १९५४ से ही गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं ।

*११२--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**--क्या यह भी सत्य है कि उनका स्थानान्तरण गोरखपुर सर्किल के ही अन्तर्गत वाराणसी में ही हो रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--उनके स्थानान्तरण का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*११३--**श्री मदनगोपाल वैद्य**--[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

राजकीय कमयार फार्म

*११४--**श्री सुक्खनलाल** (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कमयार फार्म कहां है और कितने एकड़ का है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह फार्म गोंडा और बाराबंकी जिलों में स्थित है और इसका क्षेत्रफल २,४०२ एकड़ है ।

*११५--**श्री सुक्खनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फार्म की वार्षिक पैदावार १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितनी-कितनी हुई और उस पर कितना-कितना उक्त वर्षों में खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस फार्म को सन् १९५५ से बन्द कर दिया गया है। इसकी कुछ भूमि प्रत्येक वर्ष किसानों को बटाई पर दी जाती है। बटाई के रूप में इस फार्म पर १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में क्रमशः ५९० मन तथा ४२१ मन गल्ला मिला। उपरोक्त वर्षों में क्रमशः ३,४९१ रुपये और ५,०८६ रुपये खर्च हुआ ।

*११६--**श्री सुक्खन लाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमयार फार्म में कितने सरकारी कर्मचारी हैं और किस-किस ग्रेड के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--उक्त फार्म पर एक फार्म असिस्टेन्ट रु० १२०-६-२१०-१०-२५० के ग्रेड का तथा दो चौकीदार रु० २२-१/२-२७ के ग्रेड के कार्य कर रहे हैं।

*११७--**श्री ऊदल**--[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११८--श्री शीतलाप्रसाद सिंह (जिला गोंडा)--[४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११९--श्री होरीलाल यादव--[२५ मार्च,१९६० के लिये प्रश्न संख्या १२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोंडा जिले में ६० एकड़ के ऊपर कृषि फार्म

*१२०--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १५ अगस्त, १९५९ के पहिले कुल कितने ६० एकड़ के ऊपर कृषि फार्म थे, उन कृषि फार्मों के मालिक कौन थे, उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२१--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने कृषि फार्मों की जो ६० एकड़ के ऊपर के हैं सहकारी समिति के आधार पर रजिस्ट्री जनवरी सन् १९५८ से लेकर ३० नवम्बर, सन् १९५९ ई० तक हुई ? यदि हां, तो उनके कृषि सहकारी समितियों के नाम और पते क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि बंधक बैंक

*१२२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मार्च, १९५९ में प्रदेश में जो भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया था उसने ३० नवम्बर, १९५९ तक क्या प्रगति की और सीरदारों को मध्यकालीन ऋण दिलाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की या क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--भूमि बंधक बैंक ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

गोपाष्टमी को गो-हत्यायें

*१२३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में जो गोपाष्टमी मनाई गई उसी दिन उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में गो-हत्याओं की घटनायें घटित हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां । ये घटनायें राज्य के बुलन्दशहर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और सीतापुर जिलों में घटित हुईं ।

*१२४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन गौ-हत्यारों ने उत्तर प्रदेश में गोपाष्टमी पर गौ-हत्यायें की उनमें कितने पकड़े गये और कितने फरार हैं ?

श्री मोहनलालगौतम--७७ गो-हत्यारे पकड़े गये और जो पकड़े गये उनमें से कोई हत्यारा फरार नहीं है ।

सेवा सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर व्यय

*१२५--श्री मोती लाल अवस्थी--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा सहकारी समितियों में कार्य करने वाले दस हजार शिक्षार्थियों को शिक्षा देने की योजना पूरी हो गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--- जी हां।

*१२६---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने शिक्षार्थी उपर्युक्त कार्य में लगा दिय गये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---९,४९४ (नौ हजार चार सौ चौरानवे) ।

*१२७---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त शिक्षार्थियों के उन शिक्षण कैम्पों का क्या व्यय रहा है जो अक्तूबर व नवम्बर, १९५९ में चलाये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--- लगभग १,१२,००० रु० ।

कृषि योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार मिलना

*१२८---श्री गेंदासिंह---क्या सहकारिता मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार कितन व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य कृषि विभाग में निर्धारित किया गया था और उसकी पूर्ति गजेटड तथा नान-गजटेड स्थानों मैं किस प्रकार की अब तक हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--- दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि योजनाओं का लक्ष्य अन्न तथा अ य भूमि की उपज बढ़ाना है। व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रख कर कोई योजना नहीं बनाई गई। परन्तु योजनाओं को चलाने के लिये जो नियुक्तियां मंजूर हुईं उनके आंकड़े १९५९-६० तक के निम्नलिखित हैं :

स्थान	संख्या
गजटेड	११०
नान-गजटेड	२,४९३
योग ..	२,६०३

*१२९---श्री गेंदा सिंह---क्या मितव्ययिता के अथवा दूसरे नाम पर कुछ स्थान रिक्त भी रखे गये हैं और कुछ लोगों को नौकरी से अलग भी किया गया है ? यदि हां, तो कितने और किस श्रेणी के ?

श्री मोहनलाल गौतम---समय-समय पर आवश्यकतानुसार मितव्ययिता तथा अन्य कारणवश कुछ पद खाली रहे। परन्तु किसी को नौकरी से अलग नहीं किया गया।

मार्केटिंग अधिकारियों में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोग

*१३०---श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं ?

(क) रीजनल मार्केटिंग आफिसर, (ख) मार्केटिंग इन्स्पेक्टर, (ग) सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर, (घ) मार्केटिंग हेड क्लर्क, (ङ) मार्केटिंग क्लर्क, (च) असिस्टेंट मार्केटिंग इन्स्पेक्टर।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६१६ पर।)

बाराबंकी जिले में सहकारी समितियां

*१३१---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सहकरिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र के अन्दर कुल कितनी किन-किन ग्रामों के नाम से सहकारी समितियां बन गयी हैं और प्रत्येक सहकारी समिति कौन सा कार्य कर रही है तथा उन्हें कितने धन व किस-किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कुल १,५६७ सहकारी समितियां बन गयी हैं जिसमें २१८ साधन सहकारी समितियां हैं। बाकी बहुधंधी समितियां हैं। संलग्न सूची में उनकी संख्या तथा किस्म प्रत्येक ब्लाक में दी हुई हैं। ग्रामों के नाम की सूची बहुत लम्बी ह वह सहायक निबन्धन बाराबंकी के कार्यालय में देखी जा सकती ह। बहुधंधी समितियां ज्यादातर ऋण देती हैं और कुछ अन्य कार्य भी करती हैं। साधन सहकारी समितियों का कार्य कृषि सम्बन्धी तथा ऋण देना, बीज तथा खाद का प्रबन्ध करना, सिंचाई तथा खेती के उन्नति औजारों का प्राविधान करना पैदावार की बिक्री इत्यादि ह। बहुधंधी समितियों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी परन्तु इन्हें सहकारी बक द्वारा ३०-६-५९ तक १,४६,६७९ (एक लाख छियालीस हजार छः सौ उन्यासी रुपये) ऋण दिया गया। साधन समितियों को सौ रुपय प्रति समिति की दर से कुल २१,८०० रुपये (इक्कीस हजार आठ सौ रुपये) का अनुदान चालू वर्ष में दिया गया।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६१७ पर)

टाउन बैंक, उन्नाव संबंधित कथित प्रार्थना-पत्र

*१३२---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, उन्नाव को कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक ३-१२-५९ को दिया गया था जिसमें टाउन बैंक, उन्नाव के सम्बन्ध में गंभीर आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं। अतः कथित प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने की उपज तथा खपत

*१३३---श्री गेंदासिंह---क्या सहकारिता मन्त्री कृपा करके एक ऐसी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध हो सकें ?

(क) प्रदेश में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में गन्ना बोया हुआ क्षेत्र और उसकी उपज, (ख) उक्त वर्षों में गन्ने की खपत किस प्रकार कितनी हुई, अर्थात् मिलों में, गुड़ में अथवा खंडसार में ?

श्री मोहनलाल गौतम---तालिका सदन की मेज पर रखी है जिसमें निम्नलिखित बातों पर सूचना दी हुई है :---

(क) प्रदेश में प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में गन्ना बोया हुआ क्षेत्र और उसकी उपज।

(ख) उक्त वर्षों में गन्ने की चीनी मिलों में खपत। गुड़ और खंडसार के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६१८ पर)

सहकारिता विभाग, जिला रायबरेली के सर्वश्री सूरजपाल सिंह तथा रामलखन सिंह की गिरफ्तारी

*१३४--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के कोआपरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार, श्री कमलाकर सिंह, की हत्या करने के षड्यन्त्र में कोआपरेटिव विभाग में फरवरी के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां।

*१३५--श्री गुप्तार सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त षड्यन्त्र का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--विवरण इस प्रकार है। श्री कमलाकर सिंह की हत्या करने के षड्यन्त्र में सूरजपाल सिंह, कोआपरेटिव बैंक के लिपिक तथा राम लखन सिंह मुक्तल विक्रेता की गिरफ्तारी फरवरी में हुई।

श्री कमलाकर सिंह ने पुलिस में ११-७-५९ को श्री रामलखन सिंह (Salesman, Co-operative Brick Kiln) के विरुद्ध एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा ४०८/४२० भा० द० वि० लिखाई तथा उनको मुअत्तल कर दिया। ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्री शिवपाल सिंह नामक व्यक्ति जो बांदा जिला का रहने वाला है, जिला फतेहपुर पुलिस द्वारा धारा १९ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उसके द्वारा यह पता लगा कि उसे श्री रामलखन सिंह ने ५०० रु० पर श्री सिंह की हत्या करने के लिये नियुक्त किया था तथा १०० रु० अग्रिम धन भी उसे इस कार्य के लिये दे दिया था। इस षड्यंत्र के खुलने के फलस्वरूप श्री रामलखन सिंह तथा श्री सूरजपाल सिंह दिनांक ५-२-६० को अन्तर्गत धारा १२० बी० तथा ३०२/५११ भा० द० वि० गिरफ्तार किये गये। जांच जिला फतेहपुर की पुलिस कर रही है। यह भी ज्ञात हुआ है कि अब जांच सी० आई० डी० लखनऊ को दे दी गयी है।

आजमगढ़ जिले में सरिया का वितरण

*१३६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५८ व १९५९ में १-१२-५९ तक कितनी-कितनी टन लोहे की सरिया (सींक) जनता में वितरित करने के लिये सरकार द्वारा दी गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सन् १९५८ में २१ टन १६ हं० २ क्वार्टर १० पौं० और सन् १९५९ में ४० टन १७ हं० २७ पौं० सरिया (सींक), कुल योग ६२ टन १४ हं० ९ पौं० जनता को वितरण हेतु आजमगढ़ जिले में प्राप्त हुआ।

*१३७--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समय में कितने व्यक्तियों ने लोहे की सरिया (सींक) प्राप्ति के निमित्त आवेदन-पत्र दिया और कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी मात्रा में सरिया दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उक्त समय में १७९ आवेदन-पत्र सरिया निमित्त जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में प्राप्त हुये जिनमें से १२९ आवेदन-पत्रों पर सरिया दी गई जिसका पूर्ण विवरण† संलग्न है।

---

†विवरण छापा नहीं गया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आप देखें कि मेरा प्रश्न ९१ है जो ? महीने से चला आ रहा है और मैंने इस प्रश्न को २३-१२-५९ को दिया था।

श्री उपाध्यक्ष---लिखित रूप में आप ध्यान दिलायें, तो मैं देख लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, इसी प्रकार से मेरे प्रश्न ९७, ९८ हैं उनको भी देख लें।

श्री उपाध्यक्ष---आप सब के बारे में लिखकर भेज दें। उसकी जांच हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आज श्री जंगबहादुर वर्मा के प्रश्न १३१ के उत्तर में एक लिस्ट अंग्रेजी में विभाग की ओर से आई है। हमारे सदन की भाषा हिन्दी है इसलिये हिन्दी में ही लिस्ट आनी चाहिये थी। इसके ऊपर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी को हिन्दी में ही तालिका भेजनी चाहिये थी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अब तो नजर पड़ जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्नों के बारे में मैं जानता हूं कि काफी असंतोष है।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने ऊदल जी के एक प्रश्न के सम्बन्ध में एक सप्लीमेंटरी किया था और मुझे एक ही प्रश्न करने दिया गया। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और गबन का मामला है। इसमें कई मेम्बर इंटरेस्टेड हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने आप से कह दिया है कि आप शार्ट नोटिस सवाल पूछें। नयी परम्परा बनायी जा रही है इसलिये कुछ दिक्कत हो सकती है और यह भी हो सकता है कि मैं ओवरलुक कर गया होऊं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं...

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

मेरे पास दो कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक रामस्वरूप वर्मा जी का तथा दूसरा बंशीधर जी शुक्ल का है। मेरी राय में दोनों कार्य-स्थगन प्रस्ताव की शर्तें पूरी नहीं करते इसलिये उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---जरा पढ़ तो दीजिये।

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

मलियाना शुगर मिल, मेरठ को मलियाना गांव की भूमि का बलपूर्वक पुलिस द्वारा कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत तीन प्रश्न आये हैं। मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय रामस्वरूप वर्मा का लगा। वह इस प्रकार है कि---

"मलियाना शुगर मिल, मेरठ के पास निज की इतनी भूमि है कि पचासों मिल उस पर खड़े किये जा सकते हैं और उसके कम्पाउन्ड में भी काफी रकबा खाली पड़ा है। फिर भी उसने मलियाने गांव के बाड़े की सर्वोत्तम भूमि पर सरकार से साजिश करके अनावश्यक

रूप से कब्जा शुरू कर दिया है जिसमें सरकार ने अपनी पुलिस भेजकर अनुचित रूप से कब्जा कराने की कोशिश दिनांक १९ व २० मार्च, १९६० को की और अपने उचित अधिकार की रक्षा में रत ५० किसानों को गिरफ्तार किया और महिलाओं की बेइज्जती की। जिसके कारण सामान्य रूप से प्रदेश और विशेष रूप से मेरठ में असंतोष और रोष का वातावरण व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति सरकार के इस काम से उत्पन्न हो गई है।

अतः मैं सरकार से नियम ५२ के अन्तर्गत इस सार्वजनिक एवं लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री या संबंधित मंत्री इस संबंध में प्रकाश डाल दें।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया लेकिन सूचना नहीं मिल सकी है, इसलिये दो दिन का समय चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कुछ।

श्री उपाध्यक्ष---आप की बात समझ में नहीं आती है। आप माइक पर धीरे-धीरे बोलिये।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं जो निवेदन कर रहा था वह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो नता उपनेता होते हैं उनका नियम ५२ के अन्तर्गत आप ले लेते हैं, पीछे वालों का कोई खयाल नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह आप....

श्री टीकाराम पुजारी---मेरे जिले मथुरा में चूहों ने फसल को बरबाद कर दिया और घर में भी चैन नहीं लेने देते हैं। पानी और तूफान से किसानों की रबी की फसल बरबाद हो गयी। किसानों में त्राहि-त्राहि हो रही है। यह दोनों प्रस्ताव मेरे नामंजूर कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष---आज इससे क्या संबंध ? मा० सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं भी विचार करूंगा कि मैं उपनेता बन जाऊं। तो मेरा प्रस्ताव मंजूर हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय पुजारी जी जवाब तो सुनियेगा।

श्री टीकाराम पुजारी---चूहों ने सब नाश कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय पुजारी जी अब एक वार्निंग मैं आप को और देता हूं अगर आप स्थान नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं इंगित करूंगा।

(श्री टीकाराम पुजारी बोलते रहे।)

आप स्थान ग्रहण करें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं अर्ज कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं तो बाहर चला जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप बाहर जायं। माननीय सदस्य कृपया सदन के बाहर जायं।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन से बाहर नहीं गये और बोलते रहे।)

माननीय पुजारी जी आदेश नहीं मान रहे हैं इसलिये मैं पुजारी जी को इंगित करता हूं।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मुझे अफसोस है कि आप के बार बार कहने पर भी और यह कहने पर भी कि सदन के बाहर चले जायं, माननीय पुजारी जी ने आज्ञा नहीं मानी। मैं समझता हूं कि यह उनकी भूल है। लेकिन उनके लिये कोई कड़ी सजा देना उचित नहीं होगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि दो दिन के लिये वह सदन की सेवा से अलग कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि माननीय टीकाराम पुजारी को दो दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इसका विरोध नहीं होता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे कहने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---कहने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक किसान आदमी को आपने कहने का मौका नहीं दिया। दूसरे लोगों को घंटों देंगे और दस दस दफा देंगे। यह अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि माननीय टीकाराम पुजारी दो दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री मोतीलाल अवस्थी की मांग पर हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१४४,

विपक्ष में---१०।)

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---एक बात रह गई थी पूछने को। ईद की छट्टी कै दिन की होगी और अगले हफ्ते का कार्यक्रम कैसे चलेगा? माननीय मुख्य मंत्री जी अगले सप्ताह का कार्यक्रम और उससे लगी हुई ईद की छुट्टी कब होगी, यह बता दें तो अच्छा है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---सदन में उपाध्यक्ष महोदय, २५ तारीख तक का कार्यक्रम तो है ही। उसके बाद २६,२७ छुट्टी है शनिवार और एतवार की। इसके अलावा २९ और ३० को ईद की छुट्टी है। बीच में एक २८ तारीख है। अक्सर माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि २८ तारीख को भी छट्टी रहे। इसलिये ऐसा विचार है कि २६ से लेकर ३० तारीख तक छट्टी रहे।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। नियमावली का नियम १६(२) देखा जाय। उसमें है कि जब तक कि सदन अन्यथा निश्चय न करे शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा। तो चूंकि २५ तारीख को रमजान का आखिरी जुमा है और यह एक सार्वजनिक छट्टी है, तो उस दिन कैसे उपवेशन हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---यह गजटेड हाली डे नहीं है; और इसके ऊपर पहले ही विचार हो चुका है।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४२––लेखा शीर्षक ५७––प्रकीर्ण व्यय तथा अनुदान संख्या १५––लेखा शीर्षक २५––गांव सभाएं और पंचायतें

श्री उपाध्यक्ष––अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री दो ग्रांट्स आज के लिये एक साथ प्रस्तुत करेंगे, ग्रांट नम्बर ४२ और १५।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)––यह एक सूचना चाहता था जरा, कि आखिर में जो अनुदान सूचना का छपा है यह आज तो नहीं होगा?

श्री उपाध्यक्ष––यह कल होगा। वह दोनों कल होंगे आधे आधे दिन ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)––श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२––प्रकीर्ण व्यय––लेखा शीर्षक ५७––प्रकीर्ण (Miscellaneous) के अन्तर्गत ५,५९,०४,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५––गांव सभाएं और पंचायतें––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,६६,११,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं इस विभाग की इन दो मांगों को उपस्थित करते हुये बहुत ज्यादा आम बातें नहीं कहना चाहता हूं। ज्यादातर जो कुछ घटनायें हैं, या जो कुछ आंकड़े हैं उनकी तरफ ही मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा लेकिन फिर भी एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। साधारणतः आंकड़े इस तरह से दिये जा सकते हैं कि जिनसे दोनों बातें साबित हो सकती हैं और अक्सर राजनैतिक जीवन में यह आम प्रथा है कि जो जिस पक्ष से सम्बन्ध रखता है वह उसी तरह की चीजें एकत्रित करता है और वैसे ही आंकड़े उपस्थित करता है। मैं इस लोभ का संवरण करूंगा। मैं जानता हूं कि इन स्वशासन संस्थाओं के विरुद्ध काफी आंकड़े उपस्थित किये जा सकते हैं कि इनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने दूसरे आदमियों को दबाया, पैसे का दुरुपयोग किया, इस तरह की बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। मैं स्वयं जानता हूं कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में या दूसरी जगह जब मुझे भ्रमण करने का मौका मिलता है तो मुझे ऐसी जगह मिलती है कि जहां ऐसा मालूम होता है कि पंचायतों का शायद बहुत ही कम असर है या कुछ में नहीं के बराबर असर है। ऐसी जगह भी देखने को आती है कि जहां पर गांव के अन्दर एक नई चेतना मिलती है और गांव में प्रवेश करने पर पता चलता है कि वहां पर कुछ नया जीवन आया है, रचना का काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, गांव में सुधार किया गया है और आम तरह की जागृति दिखाई देती है। तो मैं जो आंकड़े दे रहा हूं उससे यह न समझा जाय कि दूसरी तस्वीर है नहीं।

वास्तव में मेरे आंकड़े स्वयं लाखों और हजारों आदमियों से ताल्लुक रखते हैं और कहना चाहिये कि प्रायः सारे प्रदेश की जनता से इस विभाग का ताल्लुक है। ७२,४०९ हमारे यहां ग्राम पंचायतें हैं। ८,००० से अधिक न्याय पंचायतें हैं। १३७ के लगभग हमारी म्युनिसिपैलिटी हैं, टाउन एरियाज हैं, और नोटीफाइड एरियाज हैं। सारी गांव पंचायतों को अगर हम लें और ७२ हजार गांव पंचायतों के काम के आंकड़े मैं दूं तो वह स्वयं इस बात को साबित करेंगे कि वास्तव में बहुत-सी जगह काम कम हुआ है। इसलिये उन आंकड़ों से भी यह समझा जा सकता है कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं कि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि बहुत काया पलट गई है, लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आज के समाज में हमारे लिये दूसरा चारा नहीं है।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

हमने अपने देश में जनतांत्रिक पद्धति को अपनाया है और अगर हम जनतांत्रिक पद्धति को कामयाब बनाना चाहते हैं तो कोई दूसरा चारा हमारे लिये नहीं है कि हम अपनी जनता से कहें कि जिन प्रश्नों का ताल्लुक अधिकतर उनसे ही है उसका निर्णय वह स्वयं करें और एक स्तर पर जहां इस किस्म के प्रश्न उठ सकते हैं और उठते हैं उनके फैसले का अधिकार हम उन्हीं लोगों को दें जिनसे उन प्रश्नों का ताल्लुक है ताकि उनके अन्दर जिम्मेदारी की भावना जागृत हो ताकि वह महसूस कर सकें कि अगर गलत निर्णय करते हैं, आवेश में आकर निर्णय करते हैं, नाजिम्मेदारी से निर्णय करते हैं तो उसका परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा और उनके प्रश्न ठीक हल नहीं हो सकते हैं। इसलिये यह लाजिमी हो जाता है कि गांव के स्तर पर खंड के स्तर पर और जिले के स्तर पर जहां इस किस्म के प्रश्न उठ जाते हैं कि जिनका सीधा सम्बन्ध उनसे है और जिनके हस्तान्तरण कर देने से कोई विशेष हमारी राष्ट्रीय एकता में, प्रादेशिक एकता में या उसके प्रबंध में कोई बाधा नहीं पड़ती हो तो यह करना उचित ही है बावजूद इसके कि इसमें गलतियां होंगी, आज भी गलतियां होती हैं, हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। हम न अपने पड़ोसी देशों का अनुकरण कर सकते हैं जहां पर डेमोक्रेसी खत्म कर दी गयी है, और न हम कोई ऐसा अधिनायक चुन सकते हैं कि जिसके हाथ में अपने भाग्य को हम दे दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---विषय पर बोलिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---बिलकुल विषय पर बोल रहा हूं। यह स्वायत्त शासन का विषय है और उससे जो खतरे हैं उनकी तरफ भी मैं दृष्टि डालना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर स्वायत्त शासन, डेमोक्रेसी, जनतंत्र सफल हो तो उस वातावरण को तैयार करने के लिये जो मनोवृत्ति चाहिये, जो दृष्टिकोण चाहिये, जो ऐप्टीट्यूड आफ लाइफ आना चाहिये. . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक तरफ तो आप कहते हैं कि ग्राम सभायें सफल नहीं हो रही हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष---किस नियम के अनुसार आप यह बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैंने यह कहीं नहीं कहा कि ग्राम सभायें असफल हो रही ह। मैंने सिर्फ यह कहा कि उनकी असफलता की तरफ भी उंगली उठायी जा सकती है, लेकिन आम तौर पर काम अच्छा हुआ है। इस से यह न समझा जाय कि मैं कोई बहुत सुन्दर चित्र खींच रहा हूं और इसीलिये मैंने वह बात कही थी कि आंकड़ों को देख कर जो काम हुआ है, उससे कोई नहीं कह सकता कि यह तरीका बिलकुल असफल हुआ है और इससे लाभ नहीं हुआ है। इससे काफी लाभ हुआ है, लेकिन जितना लाभ होना चाहिये था और जितना लाभ हो सकता है वह अभी नहीं हुआ है और अगर मैं कहूं कि हुआ है, तो मैं गलती में रहूंगा और इस माननीय सदन को भी गलतफहमी में रखूंगा। वस्तुस्थिति से इनकार करना समझदार इन्सान का काम नहीं है। लेकिन श्रीमन्, यह गांव सभायें सफल होनी चाहिये।

जो डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की जान है, प्राण है, वह भावना हमारे अन्दर आनी चाहिये और उसकी आशा हम पहिले उन लोगों से नहीं कर सकते जिन लोगों के पास न शिक्षा है और न दूसरे साधन हैं। न उनको अवसर मिलता है कुछ समझने और अनुभव करने का। अगर उस वातावरण को हमें अपने देश में लाना है तो उसकी शुरुआत इस आदरणीय सदन से होनी चाहिये। उसकी शुरुआत उन लोगों से होनी चाहिये कि जो जनता के नेता होने का दावा करते हैं और हमें अपनी दृष्टि के अन्दर जो डेमोक्रेसी का प्राण है कि एडजस्टमेंट के साथ, समझ के साथ, शराफत के साथ, सद्भावना के साथ काम करना है, और मिल कर रहना है। उसे सदा अपने समान रखना होगा। अलग होना बड़ा आसान है, ९ पुरबिये और ११ चूल्हे की कहावत बहुत पुरानी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अगर वास्तव में यह स्थिति हो कि जो मैं कह रहा हूं वह हम पर लागू नहीं होता ह, तो शायद मुझ इतना दुःख न होता। म कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस भी इन सिद्धांतों के मुताबिक चलती तो मुझे जरूरत नहीं होती, हम कुछ आदमियों की उपेक्षा कर सकते थे जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन आज मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि जो वास्तव में अहिंसा, नान-वायलेंस की जान है कि डंडे से नहीं मानव को अकल से उसे समझा बुझा कर चलाया जाय, उसको रोजन से झुकाया जाय, उसके हार्ट को जीता जाय, फिजिकल आघात कर के नहीं, उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि उसको सन्तुष्ट करके समझा कर अपने साथ लेना है। यह वृति कांग्रेस में भी नहीं है तथा दूसरे दलों में भी नहीं है, यह बेसिस डेमोक्रेसी की है और इसमें हर वह चीज नहीं आनी चाहिये जो मानव के हृदय को स्पर्श न करके उन पर आघात करती हो चाहे वह किसी किस्म का कोअर्शन हो, धमकी के रूप में हो, या किसी भी तरह का दबाव हो। अगर उसके पीछे यह भावना हो कि जो बहुमत ने तय कर दिया है वह चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें उसको ही मानना है, तो ठीक है लोक तंत्र चल सकता है।

यह वांछनीय है कि बहुमत भी अल्पमत का ख्याल रख कर चलें। यह सही है कि हमेशा अल्पमत को उपेक्षा करके बहुमत प्रजातंत्र को सफल नहीं बना सकता और न ही वह चल सकता है। लेकिन गलतियां हो सकती हैं। ऐसे मौके आ सकते हैं जब अभी बहुमत कोई जिद्द पकड़ जाये। तो ऐसे वक्त अल्पमत का यह धर्म है कि वह बहुमत के सामने सर झुकाये। हम यह मानते हैं कि साथ रहने की जो वृत्ति है उसे अपने देश में कायम करना है और अगर अल्पमत अपने फर्ज को समझदारी के साथ, हिम्मत के साथ करे तो मैं कह सकता हूं कि उनकी वृत्ति का बहुमत के ऊपर असर पड़े बिना नहीं रह सकता है।

यह मूल प्रश्न है और मैं निवेदन करना चाहता हूं इस माननीय सदन से कि अगर यह भावना हम देश के अन्दर पैदा नहीं कर सकत ह तो सारी स्कीम्स जिनके जरिये हम अपने देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिनसे हम सोचते हैं कि हम कुछ कर देंगे, तो ऐसा करना नामुमकिन हो जायगा। तब यह कहा जायगा कि हम एक ऐसे जगत में रहते हैं, और रहने की कोशिश करते हैं, जिस जगत के अन्दर वास्तविकता नहीं है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि हमें इस मौलिक चीज को पकड़ना चाहिये। कभी-कभी जिस तरह से इस आदरणीय सदन का कार्य चलता है उसे देखकर दुख होता है और उस समय हम इन बातों को भूल जाते हैं। इस तरह से क्या हम उन लोगों के लिये उदाहरण पेश कर सकते हैं जिन्हें बहुधा गंवार समझा जाता ह। ऐसे भी प्रधान हैं जो केवल अंगूठा लगाते हैं, पढ़ना लिखना जानते ही नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--नियम में होना चाहिये कि वे पढ़े लिखे हों।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नियम में होना चाहिये, लेकिन उससे क्या होता है। दुख तो यह है कि कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते। सबसे ज्यादा दुख तो इसी बात का है। इसी के लिये मैं यह अर्ज कर रहा था। मान लीजिये, अगर दर्जा दो तक उन्होंने पढ़-लिख लिया तो उससे क्या फर्क हो जाता है। उनमें वह मिठास वह मधुरता कभी नहीं आ सकेगी जिसकी आशा अवस्थी जी में की जा सकती है। यह आशा उस व्यक्ति से नहीं कर सकते जिसे हम गंवार समझ बैठते हैं।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--गंवार शब्द से माननीय मंत्री जी का क्या अर्थ है? क्या किसी को गंवार कहना ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष—(मंत्री जी से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नंदराम (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा खयाल है आजकल के जमाने में किसी को गंवार कहना उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी को यह शब्द वापस ले लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपका खयाल यह है, उनका खयाल दूसरा है। किसी के खयालों के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं तो अभी भी अपने को भी गंवार समझता हूं और मुझे सुख होगा अगर इस देश के अन्दर कुछ हम जैसे थोड़े से ही गंवार रह जायं और बाकी सब नागरिक सूझबूझ के हो जायं। लेकिन आंखें तो कुछ और नजारा देखती हैं। मैंने गंवार शब्द बहुत मीठे रूप में कहा था।

तो मैं यह कह रहा था कि अगर हम इस चीज को महसूस करें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। हम सोच रहे हैं आइन्दा के लिये, अगर मेरा सोचना सही है, तो आज ही या कल माननीय सदस्यों के पास हमारे विभाग से और प्लानिंग विभाग से जो सूचनायें निकलती हैं कि किस तरह से ग्रामों को अधिक अधिकार दिये जायं ज्यादा से ज्यादा काम उनके ऊपर छोड़ा जाय, वह पहुंची होंगी।

जिला परिषद् को बनाने का जो बिचार है वह इसी दृष्टि से शुरू किया गया है। कैसे यह होगा ? हम गांव पंचायतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी डालें, उनके साधनों में क्या इजाफा करें। किस दर्जे तक हम खंड स्तर पर, ब्लाक लेबिल पर व दूसरे लोगों पर जिम्मेदारी डालें और उनके साधनों को, उनके उपक्रमों को एकत्रित करें व उन्हें बढ़ायें वह सब इस माननीय सदन के सामने आयेगा और जो भी यह सदन निश्चित करेगा वही सरकार को मान्य होगा। इस विषय में हम किसी पार्टी की दृष्टि से इस सवाल को नहीं देखना चाहते हैं। यह सारे देश का सवाल है और इसी वजह से विरोधी दल के नेताओं से भी मैंने प्रार्थना की थी कि मैं उनसे विचार-विनिमय कर सकूं। उस समय होली की वजह से लोग घर जाने की जल्दी में थे, वह मीटिंग नहीं हो सकी। अभी फिर मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय में जल्दी से जल्दी जब समय मिले हम विचार-विनिमय आपस में करें और फिर उन लोगों की राय, अपने साथियों की राय और अन्त म जो इस सदन की राय होगी उसके मुताबिक हम काम करेंगे। इसी दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारा काम चले। जो माननीय सदस्य यहां इस विषय पर विचार प्रदर्शित करें वह इसी भूमिका को पीछे रखें तो मेरा खयाल है कि हमारे लिये ज्यादा प्रकाश मिल सकेगा, अपनी गलतियों को सुधारने का और सही रास्ते में आगे बढ़ने का। कोशिश हम यही करते हैं।

म्युनिसिपैलिटीज में ज्यादा से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज को अधिकार दिये जाते हैं। वह गलतियां भी करें, वह करती हैं उससे फायदा उठायें और हर जगह हम उसमें दखल न करें। अक्सर माननीय सदस्य आते हैं, बाहर के भी आते हैं कि म्युनिसिपैलिटी में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, पैसे का गबन हो रहा है, उसको डिजाल्व कर दिया जाय। महीने में एक दो रिप्रेजेंटेशन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, लेकिन हम रेजिस्ट करते हैं।

सारे प्रदेश के अन्दर सिर्फ ५ म्युनिसिपैलिटीज इस समय सुपरसीड की हुई हैं और वास्तव में बहुत मजबूर होकर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं। कभी कभी यह फैसला लेने में १--१, डेढ़ डेढ़ साल लग जाता है। हम कभी कभी सुपरसीड करते ही नहीं हैं। जब हम यह देखते हैं कि चीजें नहीं सुधरती हैं तो फिर मजबूर होकर सुपरसीड करना पड़ता है। यह हमारे लिये कोई खुशी की बात नहीं है। जनता के इस अधिकार को हम छीन लें, यह अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों की मार्फत हमें यह काम कराना पड़ता है वह भी

इतना अच्छा काम नहीं करते हैं कि फिर शिकायत की बात न रहे। तो फिर हमको चुनना पड़ता है कि दो गलतियों में से एक को---दो अपूर्ण में से जो कम अपूर्ण हो।

एक प्रैक्टिकल दृष्टि से हमको देखना पड़ता है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हम किसी बोर्ड को सुपरसीड करने की बात सोचते हैं और इस संभावना का खयाल करते हैं कि हमारे अफसरान भी गलतियां करेंगे और जनता को पूर्ण संतोष नहीं दे सकेंगे तो उसकी हमारे सर पर जिम्मेदारी आयेगी और हमारा क्रिटिसिज्म होगा तो हम बहुत मजबूरी की सूरत में ही इस निर्णय को लेते हैं। तो यह सब हम अपने सामने रख लेते हैं। अन्ततोगत्वा हमें देखना पड़ता है कि हमें तो गाली मिलेगी लेकिन इससे फायदा होगा तो फिर सरकार थोड़ी बदनामी भी सहन करने के लिये तैयार हो जाती है। जनहित में ऐसा बहुत बार करना पड़ता है, बहुत से कड़ुये घूंट पीने पड़ते हैं, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं जिनसे फायदा दूसरों का होता है, बदनामी सरकार की।

श्री उपाध्यक्ष---मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शुरू में वह ज्यादा समय न लें क्योंकि अन्त में कम समय रह जायगा।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने पृष्ठभूमि बताई, इसके बाद तो आंकड़े ही बताने हैं। यह मैंने इसलिये निवेदन किया ताकि इसको माननीय सदस्य समझकर हमें अच्छा प्रकाश दे सकें और हमारी गलतियों को बता सकें। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं यह अवश्य चाहता हूं कि माननीय सदस्य कोई ऐसी गलत बात न कहें जिसका जवाब देना मेरे लिये जरूरी हो जाय। यह मेरे लिये बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने यद्यपि अभी दो ग्रान्ट्स ही पेश की है लेकिन मैंने सारे विभाग की भूमिका सामने रख दी है ताकि अन्तिम ग्रान्ट के समय मुझे कुछ ज्यादा न कहना पड़े।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---पहली अप्रैल से जो नये अधिकार दिये जा रहे हैं उनके संबंध में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह मैंने माननीय सदस्यों के पास भेजवा दिया है, आशा है वह उनको मिल गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष---कौन से कागजात की आप बात कर रहे हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हमारे डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सूचनायें दी गई थीं।

श्री उपाध्यक्ष---मुमकिन है माननीय सदस्यों के कबूतरखानों में रख दी गई हों।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य उसको देख लें तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि माननीय प्रताप सिंह को यह बात नहीं कहनी चाहिये थी क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा था और उसके जवाब में मैंने इसी आदरणीय सदन में कहा था कि इस तरह के प्रबन्ध किये गये हैं कि जो ब्लाक लेविल का पैसा हो वह जनहित की दृष्टि से उनकी जन संख्या के मुताबिक गांवों को दे दिया जाय और वह उस पैसे को सिर्फ उन्हीं हेड्स में ही नहीं खर्च करेंगे जिनके लिये कि वह हो बल्कि दूसरे कामों में भी खर्च कर सकेंगे। उन कार्यों की एक लिस्ट उसी सूचना में दी गई है। इस सूचना की मेरे पास १५-२० कापीज हैं, मैं कम से कम विभिन्न दलों के नेताओं के पास भेजवा ही दूंगा और कोशिश करूंगा कि और प्रतियां भी उपलब्ध हो सकें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव वालों को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किन-किन चीजों में खर्चा

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

नहीं हो सकेगा उसकी भी लिस्ट दे दी गई है और अगर उसमें भी वह खर्च करना चाहें तो उसकी परमीशन ले लें, ऐसा नहीं है कि उसमें वह खर्च हो ही नहीं सकेगा। लेकिन साधारण रूप से नहीं होगा। वह भी एक काफी बड़ी लिस्ट है जिसमें कि खर्च किया जा सकता है। अंतिम जो ग्रान्ट दी जायगी वह कैसे कार्यों में उपयोग की गई और कैसा कार्य हुआ उसके प्रकाश में फिर उस पर खंडों की तरफ से रिकन्सीडरेशन किया जा सकता है।

इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट और दूसरे डिपार्टमेन्ट की तरफ से भी क्या काम पंचायत की मार्फत हों, जैसे ओसराबन्दी का काम है और दूसरे जो छोटे-छोटे काम करने हों, इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से हर चीज को आगे बढ़ाने की बात है। जैसा मैंने निवेदन किया कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति खंड लेविल पर, गांव के स्तर पर चली जाय तो अच्छा है। उसमें एक खतरा जरूर है कि इन सब योजनाओं को मनुष्य चलाता है और मनुष्य की शक्ति गलत भी कर सकती है और सही भी कर सकती है। उसको कोई कानून रोक नहीं सकता। सही काम करे तो जनमत हम तैयार कर सकता है जिसके लिये मैंने माननीय सदस्यों को दावत दी थी, तभी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होता है तो खतरा इस बात का है कि जहां हम इस समय विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं वह आफीशियलाइजेशन में परिवर्तित न हो जाय। अगर वे लोग जिनको हम ताकत दे रहे हैं वे ठीक प्रकार से उसका उपयोग नहीं करते तो वह ताकत किसके हाथ में जायगी? वह अधिकारियों के हाथ में स्लिप कर सकती है। हम भी दूर रहेंगे, सदन भी दूर रहेगा, और जो ताकत को यूज कर सकते हैं वे करेंगे। यानी खतरा बड़ा भारी है। इसलिये ताकत देना ही केवल उद्देश्य नहीं होता उसमें यह भी देखना होता है कि किस प्रकार से ताकत दी जाय।

अब गांव पंचायतों का जहां तक ताल्लुक है वे ७२,४०९ हैं और न्याय पंचायतें ८,५८५ हैं। इधर पिछले डेढ़ दो साल से हमारे असेसमेन्ट में भी तरक्की हुई है और जो पैसा वसूल करना है उसमें भी ज्यादा कामयाबी मिली है। इसी सिलसिले में गांव पंचायतों को एक यह भी अधिकार दे दिया गया है कि यदि वे माफी भी देना चाहें तो दे सकती हैं।

श्री नन्दराम---माफी किस मद में दे सकते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जो पंचायतों के कर होंगे उन्हीं में वे माफी दे सकेंगे, आपके पैसे की नहीं।

इस तरह से ५७-५८ में ४६ लाख ७२ हजार रुपया असेस हुआ और ५८-५९ में १,३२,५८,००० रुपया असेस हुआ है। इसमें भी काफी इजाफा हुआ है। कलेक्शन ५७-५८ में ७५ लाख ८७ हजार और ५८-५९ में १,३५,४२,००० रुपया हुआ है। सितम्बर ५८ तक ४० हजार रुपये के करीब हुआ। और इस साल ५४ लाख के करीब हुआ है। तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा ही प्राप्त हुआ है।

पंचायतों की तरफ से जो रचना का कार्य हुआ है उसका भी कुछ दिग्दर्शन करा देना चाहता हूं। १९५८-५९ तक पंचायतघर बने ६६३, दिसम्बर ५९ तक बने ८५०। पक्के कुएं बनाये गये १९५८-५९ तक ६,१५०, दिसम्बर ५९ तक ८,१६६, ये भी करीब दो हजार से ज्यादा हैं। ड्रेन्स सितम्बर, १९५९ तक बने १७८, दिसम्बर, १९५९ तक बने २३६। पक्की सड़कें सितम्बर ५९ तक ४२० मील और सितम्बर ५९ तक ५५५ मील। लाइब्रेरी खोली गयीं सितम्बर ५९ तक ८५० और दिसम्बर ५९ तक खुलीं १,१३१।

रडियो सितम्बर, १९५९ तक ५७१ लगाये गये थे और दिसम्बर ५९ तक ७४१ । पानी वाले पुराने कुओं की संख्या जिनकी मरम्मत हुई सितम्बर, १९५९ तक ९,२५७ और दिसम्बर ५९ तक १२, ३४२ थी।

इसके अलावा कुछ ग्राम सभाओं ने कम्युनिटी आरचर्डस, बाग वगैरह भी लगाये जो सितम्बर १९५९ तक १,०६५ एकड़ में लगाये थे और दिसम्बर, ५९ तक १,१३४ एकड़ में लगाये थे। जंगल भी सितम्बर १९५९ तक ३३१ एकड़ में लगे और दिसम्बर ५९ तक ३४६ एकड़ में लगे। ये आंकड़े जो मैंने अभी दिये हैं सिर्फ ४५ डिस्ट्रिक्ट्स से ताल्लुक रखते हैं। कुछ के आंकड़े अभी हमारे पास नहीं आये हैं। न्याय पंचायतों ने जो मुकदमें किये हैं, ५८–५९ के मार्च तक वे थे १,५५,०४५ । माल के मुकदमें जो पिछले साल के बकाया थे वे हैं ४९५, दीवानी के १७,०९४ और फौजदारी के १६,९९७। इस तरह से ३४,५४६ मुकदमें पुराने और नये जो दायर हुए माल के १६० दीवानी के ८९,८१० और फौजदारी के ७४,५०२, यानी कुल हुए १,६४,४७२ । जो निबटाये गये सुलह से माल के ४४, दीवानी के ३५,४२० और फौजदारी के ३२,८८५, इस तरह से कुल ६८,३४९ और अन्य प्रकार से निबटाये गये, माल के २०६ , दीवानी के ४४,७३८ और फौजदारी के ४१,२३६ , इस तरह से कुल ४६,१८० ।

इसके अलावा जो दूसरी तरह से निबटाये गये माल के २५०, दीवानी के ८०,१५८ और फौजदारी के ७४,१२१, यानी कुल योग हुआ, १,५४,५२९। निगरानी के मुकदमें जो दायर हुए जिनके खिलाफ अपील होती है उनमें माल के मुकदमें थे ६९, दीवानी के २,५७३ और फौजदारी के २,९४२, इस तरह से कुल ५,५४४ केसेज दायर हुए। इनमें से जो स्वीकार किये गये, माल के ५२ , दिवानी के १,१०५ और फौजदारी के १,५६२, इस तरह से कुल २,७१९ हुए। ये कुछ मुकदमे जो निबटाये गये उनका परसेंटेज है १.७ यानी इतने मुकदमों का न्याय पंचायतों के अन्दर मिसकैरिज आफ जस्टिस हुआ। कहा जा सकता है यह मुमकिन है कि बहुत से केसेज की अपील न की जा सकी हो लेकिन उसके बरखिलाफ जो मामले सुलह से निबटाये गये उनका परसेंटेज भी काफी है जो हमें इस बात की आशा दिलाता है कि इसमें हम सफल होंगे। अन्य प्रकार से जो मुकदमें निबटाये गये वे ४६,१८० हैं और जो सुलह से निबटाये गये वे ६८,३४९ हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी––ये कब तक के फीगर्स हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––यह सिर्फ ३१–१२–५९ तक का है, कल तक का अभी मेरे पास नहीं आया है.....

श्री मोतीलाल अवस्थी––लेकिन किताब में कुछ और है––

श्री विचित्र नारायण शर्मा––तो उसका वह पीरियड भी दूसरा होगा, उसमें काफी सामग्री दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष––आप कितना समय अभी और लेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––आप कहें तो श्रीमन्, मैं अभी खत्म कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष––आप ५ मिनट और लें ले, अगर इस समय अधिक समय आप ले लेंगे तो अन्त में कम हो जायगा, आप कहें तो मैं अभी और दे दूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं अब खत्म ही कर रहा हूं, उधर से जो कहा जाय उसके जवाब में बाद में कहना ज्यादा ठीक होगा। मेरे पास तमाम आंकड़े हैं कि कितना रचनात्मक काम हुआ है, कितने मकान बने, नालियां सीवेज कितने बने, यह सब है। वह सब मैं अभी रखे लेता हूं, बाद में जब प्रश्न उठाये जायंगे तो अपने उत्तर में वह सब बता दूंगा। जो विभाग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसमें तो सब दिया ही है, उसके प्रकाश में जो कुछ कहा जायगा उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इन दोनों मांगों को स्वीकार करे।

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय कितना होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---२० मिनट अब और १० मिनट बाद में।

श्री गौरीशंकर राय---मुझे श्रीमन्, १५ मिनट अब और १५ मिनट बाद में दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, ऐसा ही कर दिया जायगा।

*श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान ४२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है- सरकारी गलत नीति व इन जातियों की उपेक्षा पर चर्चा तथा सुधार संबंधी सुझाव देना। संख्या १५---गांव सभायें और पंचायतें के संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है- गांव सभायें एवं पंचायतों का विकेन्द्रीकरण करके उन्हें गांवों के समस्त निर्माण-कार्य तथा मालगुजारी वसूली आदि का कार्य सौंपना आदि के संबंध में चर्चा तथा सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अनुदान पेश करते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जिन प्रजातन्त्र के ऊंचे सिद्धान्तों की चर्चा की और उन्होंने जो एक बड़ा भारी उपदेश दिया वह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर इस अवसर पर विवाद हो सके और वह कोई ऐसा विषय भी नहीं है कि जिस पर कोई दो राय रख सके। इसमें भी मतभेद नहीं है कि स्वायत्त शासन की स्थापना ही एक भूमिका है प्रजातन्त्र में विकेन्द्रीकरण की, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है लेकिन यह अफसोस हमें जरूर है कि मांग पेश करते हुए हम माननीय मंत्री जी से यह आशा करते थे कि उनके भाषण द्वारा हमें कुछ मौलिक तत्व और विचार मिलेंगे जिन पर चर्चा होगी लेकिन उपदेश-मात्र के अलावा हमें कोई तत्व या विशेष जानकारी उनके द्वारा नहीं कराई गई, किन्हीं विभिन्न अंगों की व्याख्या तथा चर्चा सुनने को नहीं मिली। पता नहीं कि वह कौन सी नई बात करने वाले हैं, यह शायद वह बाद में बतायें लेकिन अभी पता नहीं कि वह क्या लाने वाले हैं। इसमें आज कई विषयों से संबंधित बातें हैं।

कुछ बातें पहले मैं गांव सभाओं के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। गांव सभाओं के चुनाव के संबंध में आशा थी कि मंत्री जी आज घोषणा करेंगे कि गुप्त चुनाव होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले बताया जा चुका है कि हाथ उठाकर चुनाव होने की वजह से गांव में इतने झगड़े और मनमुटाव बढ़े कि पंचायतों की जो मंशा थी और उनसे जिस न्याय की आशा की जाती थी वह विलीन हो गई और इसी को दृष्टि में रखकर बारबार अपील की गई कि चुनाव की विधि गुप्त तरीके से रखी जाय ताकि मत देने वाले के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में किसी को पता न चल सके। विधान सभा और लोक सभा के चुनाव तो काफी विस्तृत क्षेत्र में होते है इसलिये उम्मेदवार हर जगह मौजूद नहीं रह पाता लेकिन गांव सभा के सभापति के चुनाव में सभापति वहीं उपस्थित रहता है और उसके सामने उसके विरोध में हाथ उठाने पड़ते हैं तो इससे आपसी वैमनस्य बढ़ गया है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसका तो जिक्र है, आपने शायद देखा नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय--मैंने पहले ही कहा था कि कागज मुझे मिले नहीं । खैर, इसकी मुझे खुशी है कि आपने गांव सभाओं के सभापतियों के चुनाव के बारे में गुप्त मतदान की नीति को अपनाया है। लेकिन पूरी गांव सभा के लिये नहीं। गांव सभा के सदस्यों में से ही न्याय पंचायत के भी सदस्य होते हैं जो न्याय का कार्य करते हैं। तो पूरी पंचायत का का चुनाव अगर गुप्त मतदान द्वारा हो तो गांव की व्यवस्था पर ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा ।

मंत्री जी से कहा गया कि रेवेन्यू वसूल करने की जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जाय। मंत्री जी के समय-समय पर दिये गये जवाबों से ऐसा लगा है कि जिन गांव सभाओं को वसूली की जिम्मेदारी दी गई उसमें उन्हें कामयाबी हुई है: लेकिन इसके बाद भी अगर उनको यह जिम्मेदारी नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई ? मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में इसको स्पष्ट करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--माल विभाग के अनुदान पर मंत्री जी से कहें।

श्री गौरीशंकर राय--हमने तो समझा था कि भाई ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है....

श्री उपाध्यक्ष--आजकल 'भाई' और 'दोस्त' शब्द का बड़ा प्रयोग हो रहा है। केवल चेयर को ऐड्रेस करना चाहिये और किसी को नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, मन्त्री जी "भाई जी" कहलाते हैं इस लिए गलती से निकल गया। तो अगर मन्त्री जी यह समझते हों कि माल मन्त्री की जिम्मेदारी है...

श्री विचित्रनारायण शर्मा--माल मन्त्री कठिनाई बता सकेंगे।

श्री गौरीशंकर राय--और अधिक अफसोस की बात है कि इस विषय पर आप ने कभी कैबिनेट लेविल पर इस सम्बन्ध में वार्ता नहीं की। लेकिन जहां वसूलयाबी का अधिकार दिया गया था वहां गांव सभाओं को कामयाबी मिली है, ऐसे सरकार से उत्तर मिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ा सवाल जो गांव सभाओं के सामने है, या किसी भी स्वायत शासन की इकाई के सामने है वह फाइनेंस का सवाल है कि कहां से पैसा आवे ? आज जैसा मन्त्री जी कह रहे हैं म्युनिसिपैलिटियों में बड़ी खामी हो सकती है। तो जितने विकास और निर्माण के कार्य हो रहे हैं और स्वायत्त शासन की इकाई नीचे की इकाई मानी जाती है तो सदन को व्यवस्था करनी होगी कि उसको कहीं से रुपया दिया जाय।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि हमारी जो मालगुजारी है उसका एक चौथाई हिस्सा लोकल यूनिट्स को दिया जाय, वर्ना उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे किस तरह खर्च करेंगे। कानून में आप ने टैक्स लगाने का अधिकार उनको जरूर दे रखा है लेकिन आप ने खुद इतने टैक्सेज लगा रखे हैं कि प्रदेश की जनता अब अधिक टैक्स के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस में और अधिक टैक्स देने की कैपेसिटी नहीं रह गयी है और सरकार जब तक एक हिस्सा रेवेन्यू

[श्री गौरीशंकर राय]

का इन लोकल यूनिट्स को नहीं देगी तब तक वे अपना काम नहीं चला सकतीं। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि वे इफेक्टिव हों, गांव की इकाइयां प्रभावकारी हों तो मेरी समझ में यह आता है कि आप को उन को यह अधिकार देना चाहिए।

एक बात की ओर और मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गांव सभाओं के पास कुछ सम्पत्ति है और इसकी रक्षा करने के लिए कानून बनाया गया है। सभापति इसका कस्टोडियन समझा जाता है। मैं व्यावहारिक कठिनाई का जरा जिक्र करना चाहता हूं। मैं गांव सभा के सभापति के साथ श्रमदान करने के लिए गया था ८ साल पहले। मेरे साथ एक गजेटेड आफिसर थे। एक आदमी ने रोका कि रास्ता नहीं बनने देंगे। एस० डी० ओ० ने कहा कि ११८ सी के मातहत सभापति से दरख्वास्त दिला दी जाय। वह दरख्वास्त दे दी गयी। गांव सभा के सभापति ने कहा कि हर तारीख के लिए पेशकार को एक रुपया देना पड़ता है तो वह रुपया किस हिसाब में दिखाया जाय। ८ साल हो गये लेकिन आज तक उस मुकदमे का फैसला नहीं हुआ और एक बार तो बीच में फाइल ही गायब कर दी गयी थी।

मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं कि गांव सभा के वकीलों का यह काम है कि वे दोनों पार्टियों में सुलह करा कर रिश्वत लेते हैं। एक आदमी से मुकदमा कराया जाता है और दूसरे को नोटिस जाता है। दोनों पार्टियां गांव सभा के सभापति को लेकर वकील साहब के दरवाजे पर पहुंचती हैं। वहां सुलह हो जाती है और दोनों पार्टियां वकील साहब को कुछ न कुछ देती हैं। कुछ पैसा मुकदमे का उन को सरकार की तरफ से मिलता है। सभापति कम पढ़े लिखे होते हैं। इस तरह से मेरे जिले में गांव सभा के वकील ने गांव सभा की आधी सम्पत्ति नष्ट कर दी। कलेक्टर के पास जाइये तो जवाब मिलता है कि बहुत दरख्वास्तें आयी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर किस के यहां दरख्वास्त दी जाय। सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन किया जाता है तो जवाब मिलता है कि विचाराधीन है। पता नहीं कब तक एक मामला विचाराधीन रहता है?

गांव सभाओं के वकीलों की गड़बड़ी के कारण उन की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। कचहरियों में पैरवी करने तथा कराने के सिलसिले में डबल मैनेजमेंट है। कुछ स्वायत्त शासन विभाग का तथा कुछ रेवेन्यू विभाग का मैनेजमेंट है। इस तरह डबल मैनेजमेंट से भी बड़ी परेशानी होती है। मामला आपका है तो आपको ही देखना चाहिए और आप की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा, उसके मुकदमे की देखभाल, विकास का कार्यक्रम इन सब की जिम्मेदारी स्वायत्त शासन विभाग की होनी चाहिए और उस की पूरी छान बीन भी इसी विभाग को करनी चाहिए। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट जो गांव सभाओं के बारे में है उसको मन्त्री जी देखें और कोशिश करें कि गांव सभाओं को वह अधिकार दिये जायं जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में है।

जिला अन्तरिम परिषद् की बात माननीय मन्त्री जी ने थोड़ी सी बतायी। जिला अन्तरिम परिषद् के बिल को चाहे रिकास्ट करना हो चाहे बदलती हुई परिस्थिति में कोई बड़ा सुन्दर रूप देना हो लेकिन आज हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि सरकार की प्रजातन्त्र की उन ऊंची मान्यताओं को प्रतिष्ठित करने की इतनी इच्छा रहते हुये भी सरकार ने डेलीबरेटली जिला अन्तरिम परिषदों के चुनाव को इतने दिनों तक टाला है और मैं सरकार की नीयत पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि वह चाहती है कि सन् ६२ के पहले किसी भी प्रकार जिला अन्तरिम परिषद् का चुनाव न हो चाहे वह रिकास्ट होने के नाम पर या कोई दूसरा नारा लगाना पड़े। जिला अन्तरिम परिषदों का आफिशियलाइजेशन हुआ। जिस तरह सरकार के और महकमे हैं उसी तरह से आज जिला अन्तरिम परिषद् है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको स्वायत्त शासन की इकाई मानना स्वायत्त शासन की परिभाषा और स्वायत्त शासन का उपहास करना है। अभी आपने देखा होगा कि जौनपुर जिले के जिला अन्तरिम परिषद् ने एक बजट गिरा दिया

मगर सरकार ने उस को मान लिया। किस्सा यह था कि उनके यहां दो दल हैं, एक दल वह है जो राज काज में है और दूसरा वह जो राज काज में नहीं है। दूसरा दल वहां डामिनेट करता था। इसलिए सरकार ने उस बजट को मान लिया। वह तो संयोग की बात है कि हम लोगों में से कोई वहां हावी नहीं था।

श्री नागश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---यह गलत है कि आपसी दलबन्दी के कारण यह हुआ।

श्री गौरीशंकर राय---अगर गलत बात होगी तो मैं सुधार कर लूंगा मगर जो वहां के माननीय माता प्रसाद जी बैठे हैं उनसे पूछ लें कि यह सही है या नहीं। तो जिला अन्तरिम परिषदों का चुनाव जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था होनी चाहिए और रिकास्टिंग करना हो या जो भी हो, उसको वार लेविल पर कर के जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, भ्रष्टाचार का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे मुख्य मन्त्री जी भ्रष्टाचार के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे लाल कपड़ा देख कर सांड़ भागता है। उनका कहना है कि जितनी बार भ्रष्टाचार का नाम लिया जाता है उतनी बार भ्रष्टाचारियों के संकल्प में एक दृढ़ता आती है। इसलिए मैं भ्रष्टाचार का बहुत जिक्र नहीं करता, क्योंकि मन्त्री जी ने खुद कहा है कि कुछ भ्रष्टाचार है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गांव सभाओं के जो एम्प्लाईज हैं उनके सर्विस कन्डीशन्स बड़े विचित्र हैं। गांव सभा का सेक्रेटरी दस साल नौकरी करने के बाद भी एक मिनट में निकाला जा सकता है। उसके प्रामोशन का कोई सवाल नहीं है और एक कोई "घ" की दफा है, जिसकी बिना पर जिस दिन चाहें उसको नौकरी से अलग कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि जो गुनहगार हैं वे रखे जायं लेकिन उनके सर्विस रूल्स तो होने चाहियें। औरों के बारे में तो कह सकते हैं कि महकमा ही टेम्पोरेरी है, लेकिन क्या ये गांव सभायें भी टेम्पोरेरी है? इन को आप परमानेंट नहीं बनाना चाहते? अगर उन को परमानेंट बनाना चाहते हैं तो उनके एम्प्लाईज के टर्म्स ठीक करने में आप को क्या कठिनाई है?

एक बात मन्त्री जी नहीं बता सके। बड़ी प्रसन्नता हुई होती अगर वह यह बता दिये होते कि जितनी सस्पेंडेड और सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज हैं उन में से कितनी कांग्रेस दल की थीं और कितनी दूसरे दलों की थीं। म्युनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में आगे फिर अर्ज करूंगा। अब समय समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा कटौती का प्रस्ताव सदन को मान्य होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में अनुदान पेश किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। जिस समय मन्त्री जी अपना भाषण दे रहे थे मैंने उसको गौर से सुना। उन्होंने जनतंत्र के जो मूलभूत सिद्धान्त हैं उनका भी प्रतिपादन किया। मैं समझता हूं कि वह इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि जनतंत्र में जो नान-आफिशल एजेन्सीज हैं उनको अधिक बल और शक्ति मिलनी चाहिए और यदि यह सही है तो मैं आपके द्वारा उनसे यह कहना चाहूंगा कि अन्तरिम जिला परिषद् जिस समय हमारे इस प्रदेश में स्थापित हुआ तो उससे बड़ी-बड़ी आशायें की गयीं और यह बताया गया कि नियोजन और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कार्यों में समन्वय होगा।

हमारी सबकी बराबर यह मांग रही कि अन्तरिम जिला परिषद् का जो सभापति हो वह नान-आफिशियल होना चाहिए, गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिए और मुझे आशा थी कि हमारे इतने बड़े जनतंत्र के प्रतिपादन करने वाले मन्त्री जी इस छोटी-सी मांग को अवश्य स्वीकार करेंगे माननीय, जिला परिषद् के सम्बन्ध में विधेयक का एक ड्राफ्ट बना और वह ज्वाइन्ट

[श्री नवलकिशोर]

सेलेक्ट कमेटी में गया। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है। लेकिन हमें अखबारों से मालूम हुआ कि गवर्नमेंट का इरादा इस बिल को वापस लेने का है और दूसरा बिल आने वाला है। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता हूं कि यह वापस होगा या नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि चुनाव मन्त्री जी जब चाहें तब करायें लेकिन वह एक बात जरूर कर दें कि अन्तरिम जिला परिषद् के चेयरमैनशिप से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हटाकर गैर-सरकारी व्यक्ति रख दें। अगर यह सही है कि आप इस बिल को वापस लेकर, बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नियोजन खंडों को अधिक शक्ति देने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप के लिये यह उचित ही होगा और जल्द से जल्द आपको दूसरा बिल पेश करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि नियोजन विभाग की तरफ से गांव सभाओं को फाइनेंशियल मैटर्स में एक नयी शक्ति दी जा रही है जिसके अन्तर्गत ७,५०० रुपये तक की धनराशि को गांव सभा, स्वयं खर्च कर सकती है। इस सम्बन्ध में आप दो समितियां बना रहे हैं--(१) कृषि समिति, (२) कल्याण समिति। मैं समझता हूं कि अगर यह सही तरीके से बनेंगी तो गांव सभाओं को, गांवों को और नियोजन विभाग, इन सब को फायदा होगा। मेरे दोस्त गौरीशंकर राय जी ने कहा कि गांव सभाओं का चुनाव गुप्त रूप से होना चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहूंगा। इसके लिए बजट में ५८ लाख रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि वह इस से इत्तफाक करेंगे कि सभापति का पद बहुत बड़े महत्व का होता है और उस से शुरूआत की गयी है। अगर मेम्बरों का चुनाव भी बैलट द्वारा रखा जायगा तो खर्चा बहुत बढ़ जायगा और मैं समझता हूं कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह उचित नहीं होगा।

एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मेरे भाई ने नयी न्याय पंचायतों की बात कही। मैं समझता हूं कि गांव सभाओं का समय खत्म होने वाला है और नया चुनाव होगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, शुरू में जो पंच होता था उस को वहीं के लोग चुनते थे। बाद में कमेटी बना दी थी जिस में कुछ एम० एल० एज० थे, लेकिन मेरा खयाल यह है कि अच्छा यही हो, चाहे गलतियां हों, पर यदि पंच को भी चुना जाय तो बेहतर चीज होगी।

अब मैं दो शब्द एल० एस० जी० विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस विभाग के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा इन्जीनियरिंग विभाग है और यह बहुत बढ़ गया है। मेरी शुरू से ही राय रही है कि स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत इतने बड़े विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके सम्बन्ध में एस्टिमेट कमेटी ने एक नहीं दो-दो रिपोर्टें पेश की हैं। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा और मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह मेहरबानी कर के एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्टों को पढ़ने के लिए समय निकालें। अगर वह उनको पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि वह मुझ से इत्तफाक करेंगे। वह इत्तफाक करने की कोशिश करेंगे, केवल पढ़ना ही काफी नहीं है.....

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

मान्यवर, गौरीशंकर राय जी ने रेवेन्यू कलेक्शन की बात भी कही। मैं उनसे सिद्धांततः तो सहमत हूं--मैं तो यहां तक कहता हूं कि रेवेन्यू सम्बन्धी ही नहीं शिक्षा सम्बन्धी जितनी भी शक्तियां दे सकें गांव सभाओं को दें, लेकिन जल्दी न करें तो अच्छा है। क्योंकि सिद्धांत की बात एक होती है और व्यावहारिक बात दूसरी होती है। यह बात सही है कि वह दिन आना चाहिए जब कि हमारी गांव सभाएं अपनी जगह पर एक बुनियादी इकाई बनें, सिर्फ स्वायत्त शासन के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शासन के लिए। उसके लिए थोड़ा-सा समय लगेगा। मेरी अपनी मालूमात यह है कि कई जगह इस बात का एक्सपेरीमेंट भी किया गया है।

गांव सभाओं को रेवेन्यू वसूल करने का काम सौंपा गया। उसका क्या परिणाम हुआ यह मन्त्री जी बतायें। यदि उनमें अच्छा काम हुआ हो तो कोई वजह नहीं है कि उस काम को दूसरी गांव सभाओं को न सौंपा जाय।

म्युनिसिपैलिटीज के बारे में मुझे यह कहना है कि मन्त्री जी ने म्युनिसिपैलिटीज की ए, बी, सी, डी कैटेगरीज बनायी हैं। मुझे अनुभव डी कैटेगरीज का है। म्युनिसिपैलिटीज तो किसी तरह से बन गयीं, हालांकि वे नोटिफाइड एरियाज थीं, लेकिन उनकी जो माली हालत है वह अच्छी नहीं है। उन की जो आमदनी होती है वह भी उन के स्टाफ के लिए काफी नहीं होती है। लिहाजा मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जब आपने उन्हें म्युनिसिपैलिटीज बनाया है तो यह भी उचित होगा कि उन को इतना अनुदान दें जिससे वे कम से कम अपने छोटे-मोटे काम कर सकें। हुआ यह कि नगरपालिका बन गयी। स्टाफ बढ़ गया और स्टाफ की तनख्वाहें भी बढ़ गयीं जैसा कि आम तौर पर होता है। पर आज उन की आमदनी इतनी काफी नहीं है कि वह अपने स्टाफ को भी तनख्वाहें दे सकें। इस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात गांव समाज और गांव सभा की कही गयी कि इस सम्बन्ध में बड़ा कन्फ्यूजन है। गोकि उसको ठीक करने की बहुत कुछ कोशिश की गयी है, मेरा अपना अनुभव है कि जो उन के मुकदमे होते हैं उनकी ठीक से पैरवी नहीं होती है। गांव सभा की प्रापर्टी का वास्तव में कोई प्रोप्राइटर ही नहीं है। डी० एम० से कहिये तो वह कहते हैं कि मैं मुद्दई क्यों बनूं। गांव सभा का सभापति बेचारा वोटों से चुन कर आता है, और थोड़ी बहुत दलबन्दी तो है ही। जब हम पढ़े-लिखे लोगों में होती है तो देहात में तो और ज्यादा होती है। तो हिम्मत उसकी नहीं होती है कि किसी के खिलाफ काम करे, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। बेईमानी की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। दूसरे आदमियों में भी असंतोष पैदा होता है। यद्यपि आपके कानून में इसकी जिम्मेदारी उसको दी गयी है लेकिन हो नहीं पाता है, इसलिये कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे गांव सभा की जमीनों और रास्तों आदि पर जो नाजायज कब्जे हैं, उनको खाली कराया जाय।

एक बात का और जिक्र किया गया कि एक-चौथाई रेवेन्यू इन इकाइयों को दे दी जाय, बात बहुत बढ़िया और मुनासिब भी है। लेकिन जब तक ऊपर से नीचे तक विकेन्द्रीकरण न हो तब तक जितना पैसा आप विकास में देते हैं यह भी खटाई में पड़ जायगा। या तो यह हो कि नियोजन का विकेन्द्रीकरण किया जाय जिसका कि केन्द्रीयकरण हो गया है---तमाम इकाइयों को वे अधिकार और उत्तरदायित्व दिये जांय तभी माननीय गौरी शंकर जी की राय उचित हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह उचित हो सकती है। मगर जो मौजूदा सेट-अप है उसके अन्दर एक-चौथाई वाली बात कुछ बहुत संगत नहीं बैठती है।

अन्त में एक ही बात केवल मैं और कह देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात मैं भी ज्यादा नहीं कहता इसलिये कि, अधिष्ठात्री महोदया, आप भी जानती हैं कि जब से यह बजट सेशन शुरू हुआ तब से भ्रष्टाचार की बात सुनते-सुनते मैं भी ऊब गया और कहते-कहते भी ऊब गया। (व्यवधान) हमीं कहते हैं और हमीं सुनते हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक स्वायत्त शासन की बात है, उस विभाग में कोई विशेष भ्रष्टाचार की बात हो, ऐसी बात तो नहीं कहता लेकिन जिन इकाइयों से आपका वास्ता पड़ता है उसके अन्दर जरूर भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार की आपका ज एल० एस० जी० (ई०) डिपार्टमेंट है, उसके अन्दर काफी गुंजाइश है। उसमें यह है कि जब तक उससे सर्टिफिकेट न मिले और जब तक वह न चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तमाम इकाइयों को वह बांध देता है। अनुदान देकर सब काम वहां उसके ही द्वारा होता है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर भी वह ध्यान दें और अन्त में फिर मेरी उनसे अपील है कि एल० एस० जी० ई० डिपार्टमेंट के बारे में

[श्री नवलकिशोर]

मेरी जो निश्चित राय है और माननीय मंत्री जी भी पूर्णतया मुझसे सहमत हैं, उनको कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, विभाग को, लेकिन फिर भी इसको देखते हुए वह कोशिश करें और इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें एस्टीमेट्स कमेटी ने की हैं उनको वह दुबारा देखें और पढ़े और उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा करें।

श्री जंगबहादुर वर्मा--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, उत्तर प्रदेश की ८३ फीसदी जनता इस स्वशासन विभाग को स्वशासन विभाग नहीं कहती है बल्कि वह इसे कुशासन विभाग कहती है। आज आप गांवों की और पंचायतों की हालत देखें। सोशलिस्ट पार्टी आज कई वर्षों से बराबर यह कहती आयी है कि देश में गांवों तक यदि शासन पहुंचाना है और देश को उठाना है तो देश में चौखम्भा राज्य कायम किया जाय। लेकिन यह कांग्रेसी सरकार आज गांवों तक शासन नहीं पहुंचा रही है और गांव पंचायतों को और जिला अन्तरिम परिषदों को यह सरकार ही नहीं बल्कि उसकी नौकरशाही तक अपने चंगुल के अधीन कर रही है। तनिक भी उनको आजादी नहीं है। जब कि वह जनता की चुनी हुई परिषदें हैं और उसके मेम्बर जनता के द्वारा चुने हुए हैं, लेकिन तनिक भी अधिकार उनको नहीं है। वह जब चाहें तब उनको खत्म कर सकते हैं।

आज अगर गांवों को उठाना है और गरीबों को उठाना है तो जो उनकी पंचायतें हैं उनको आप शक्ति दें और जो गांवों की आमदनी है, लगान है, सिंचाई है, और अन्य कर जो हैं, उनका एक-चौथाई गांवों को दिया जाय। बाकी एक हिस्सा जिला को, एक हिस्सा राज्य को और एक हिस्सा केन्द्रीय सरकार को दिया जाय। इस तरह से चार हिस्से बराबर-बराबर बांटे जायं। आज ऊपर से सरकार कानून बनाकर गांव पंचायतों को भेज देती है। गांव में जरूरत है कुआं बनाने की, गांव में जरूरत है रास्ता बनाने की, लेकिन सरकार यहां से कानून बनाकर भेजती है कि नहीं पंचायत घर बनाओ। तो अगर गांव पंचायतें अपने हाथ से कानून बनायेंगी और कानून बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगी तो आदमियों की जरूरत पड़ेगी और आज जब आदमी रखे जायेंगे तो वह उस काम को करेंगे जिसके लिये कि उनको मजदूरी और तनख्वाह भी चाहिये। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर ऐसा हो तो गांव पंचायतें अपनी जरूरत के मुताबिक स्कूल हों, पाठशालायें हों, दवाखाने हों, उद्योग-धंधे हों, कारोबार हों, यह सब चीजें वह अपनी जरूरत के मुताबिक करें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है।

आज सारी शक्ति तो केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के हाथ में है। एक लेखपाल, पटवारी, और कलेक्टरी और अन्य कांस्टेबिल और थानेदार जितने सरकारी कर्मचारी और नौकर हैं वे गांव पंचायतों के प्रधानों और पंचों को तनिक भी इज्जत नहीं करते। हमने तो जिले के गांवों में देखा है कि पंचों, प्रधानों को तो ये थानेदार लोग वह वह गालियां देते हैं कि जिसका जवाब नहीं। वहां पर सरकार के चुने हुये जो व्यक्ति हैं, उनके लिये कुर्सी आती है, चाय आती है और बिस्कुट आती है लेकिन ये लोग आज ठुकराये जाते हैं। जब तक सरकार जनता के सदस्यों के मातहत उन नौकरों को नहीं रखेगी तब तक उनका कोई कारोबार ठीक से नहीं चलेगा।

इसी तरह से जिला परिषद का हाल है। जिला परिषद में आज जो कलेक्टर है वही सब कुछ करता है। जो मेम्बर वहां पर होते हैं उनकी वह परवाह नहीं करता है। वहां के वायस चेयरमैन या जनता के चुने हुये मेम्बरों की कलेक्टर कतई परवाह नहीं करता है। इसलिये मैं समझता हूं कि कलेक्टर और जिले के नौकर जिला परिषद् के मातहत होने चाहिये। अभी हमने देखा है कि बाराबंकी जिले में उम्मेदवारों का चुनाव हुआ था। उसमें लगभग २०० उम्मेदवार चुने गये। वहां पर एक बार चुनाव हो गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों का फिर दोबारा चुनाव किया गया और जिनके लिये सिफारिश थी और जिनको लेना चाहिये था उनको नहीं लिया गया। ऊंची जाति वालों को लिया गया।

यही हालत हमने उद्योग धंधों के संबंध में देखी है। वहां जो रुपया भेजा गया था वह बड़े-बड़े आदमियों को बांट दिया गया। वह गांव तक नहीं पहुंचा है। उद्योग-धंधे के लिये रुपया दिया गया लेकिन उनमें वह रुपया नहीं लगा। किसी के मकान बने और किसी ने दूसरे काम में लगाया। इस प्रकार से चलता रहेगा यदि आप गांवों के हाथ में शक्ति नहीं देंगे। आज सरकार उनके हाथ में शक्ति नहीं दे रही है। इस सरकार के ऊपर केंद्रीय सरकार है जो दूसरे बड़े-बड़े कार्य करती है। मैं ऐसा समझता हूं कि केंद्रीय सरकार से जो हिस्सा रुपये में इस सरकार को मिलता है उससे भी यह सरकार कुछ काम करती है। मैं यह समझता हूं कि पुलिस, फौज, सड़क और दूसरे बड़े-बड़े काम भी इस सरकार को करने चाहिये, लेकिन आज ऐसा यह सरकार नहीं कर रही है। छोटे काम गांव पंचायतों को देने चाहिये।

सेक्रेटरी की भी आज यह हालत है कि वह कतई परवाह नहीं करता है। हमारे जिले में सेक्रेटरियों का कई बार तबादला हुआ, लेकिन वह फिर सिफारिश द्वारा उसी जगह पर आ जाता है। उसको दो रुपया सालाना तरक्की मिलती है लेकिन हमारे जिले में वह तरक्की उसको अभी तक नहीं मिली है। उनको तनख्वाह भी ३ महीने और ४ महीने के बाद मिलती है, लेकिन इसकी भी कोई परवाह नहीं की जाती है।

अदालती पंचायतों का यह हाल है कि जो जनता की चुनी हुई होनी चाहिये वह उसके द्वारा चुनी हुई नहीं हैं। सरकार के द्वारा और जिला अन्तरिम परिषद् के द्वारा बड़े-बड़े अफसरों को और अदालती पंचायतों के सरपंच को उस में रख दिया गया है जिसका नतीजा यह है कि वे सरकारी चंगुल में फंस गये हैं। जो ऊपर से सिफारिश होती है उसके मुताबिक वह फैसला करते हैं। यह जनता की चुनी हुई संस्था न होने के कारण उत्तर प्रदेश में बहुत सी पार्टी-बन्दी हो गई है। लोगों के मकान जलाये गये, लाठी क चली और कत्ल तक हो गये हैं। मैं आपको बताऊं कि मवई परगने में एक प्रधान की आंख निकाल ली गई। एक आदमी जान से मार डाला गया। इसकी नामजद रिपोर्ट की गई, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। यदि उनको अधिकार होता तो इस तरह से नहीं हो सकता था और न इस तरह की कोई कार्यवाही होती।

इसी तरह से जैसे वन विभाग का मामला है, वन विभाग भी यदि पंचायत के मातहत होता तो आज इतना ज्यादा पैसा हमारी सरकार को खर्च न करना पड़ता। जैसे पुराने जमाने में जमींदार लोग अपने हल्के के अन्दर वन की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध करते थे तो इसी तरह से पंचायत भी उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर सकती है।

आज प्राइमरी स्कूलों की हालत यह है कि उनमें मास्टर पढ़ाने नहीं जाते हैं। ऊपर के लोग जो जिला अन्तरिम परिषद् के अधिकारी हैं, या कांग्रेस के नेता हैं वे लोग उनसे कांग्रेस के मेम्बर बनवाते हैं या कुछ और काम करवाते हैं। फिर उनके लिये क्या चिन्ता हो सकती है चाहे वह स्कूल जांय या न जांय। कोई और दूसरा देखने वाला नहीं है। इसी तरह से इनके मुआयना करने का अधिकार इनको होता, जो नये नये उद्योग-धंधे खुल रहे हैं, नई-नई सड़कें बन रही हैं, गल्ला स्टोर खुल रहे हैं, उन सब के लिये अधिकार अगर इन पंचायतों को होता तो वे जाकर उनका निरीक्षण कर सकते थे। यदि उनके पास उनके निरीक्षण करने का अधिकार, नौकरों से बरखास्त करने का अधिकार होता तो मैं यह कह सकता हूं कि आज यह भ्रष्टाचार नहीं हो सकता था। मैं हैदरगढ़ बीज गोदाम के बारे में जानता हूं। वहां से लोगों को गल्ला प्राप्त नहीं हुआ और बहुत-सा वहां से गबन हो गया। जो सरकारी गल्ला स्टोर खुले हुये हैं उनमें भी बहुत गबन चल रहा है लेकिन इसका उनको अधिकार नहीं है।

आज गांव सभाओं के जो जंगल, तालाब और परती जमीनें हैं उनकी कोई हदबन्दी नहीं की गई है और पुराने जमींदार सामन्तशाही के जोर पर उसे मनमाने ढंग से काट रहे हैं। उनके

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

पास कागजात भी नहीं हैं । रौनी और पारा में गांव समाज के कितने ही जंगल काट डाले गये हैं । थानेदार और तहसीलदार सुनते नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है । अगर हदबन्दी होती तो उन लोगों को जंगल काटने की हिम्मत न होती । लेखपालों और दूसरे अधिकारियों ने मिल कर तमाम तरह के गलत पट्टे रिश्वत लेकर कर दिये हैं और अगर गांव सभा का प्रधान कुछ कहता है तो वे उसका मुआयना कर के उसे मुअत्तल कर देते हैं । गांव समाज की तरफ से जो वकील होता है उसे बहुत कम फीस मिलती है और वह विपक्षियों से मिल कर मुकदमें उनको जितवा देता है । वहां की दशा खराब हो रही है ।

कुएं का अनुदान हरिजनों का १०, १० वर्ष का बकाया है और पेमेंट नहीं हो रहा है । कितनी ही शिकायतें जिला अंतरिम परिषद् और प्लानिंग में दिलवायीं लेकिन कोई परवाह नहीं की जा रही है । एक एक कुएं पर ५०, ५० रुपये रिश्वत देनी पड़ती है । यदि आप यह पैसा गांव सभाओं को दे देते तो यह कुएं आसानी से बन जाते । हैदरगढ़ में सब जगह खारा पानी है और अच्छा पानी न मिलने के कारण वहां की जनता मर रही है । नदी के किनारे सलोर आदि १० गांव हैं लेकिन उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता और सरकारी अधिकारियों को तनिक भी परवाह नहीं है । गांव समाज अगर रुपया पाता तो अच्छी तरह से इन कुओं को बनवा लेता । जो अनुदान दिया जा रहा है वह उनको मिलना कठिन हो रहा है । सूखे या सैलाब की जो रिपोर्टें मंगायी जाती हैं उसमें अधिकारी असलियत को दबा देते हैं । अगर गांव को अधिकार देना है, उस पर विश्वास करना है तो वहाँ के चुने हुये पंचों से आपको यह रिपोर्ट मंगवानी चाहिये और उसकी जांच करा कर आप देखें तभी आप को सही बात का, स्थिति का पता चल सकता है ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने माननीय मंत्री जी के व्याख्यान को सुना और उन्होंने जिस तरह से आश्वासन की बातें इस सिलसिले में कहीं वे सचमुच उपयोगी बातें हैं और मैं समझता हूं कि यदि वह कार्यान्वित हुई तो हमारे गांव की इकायी की महत्ता बढ़ जायगी और हम उस के द्वारा जनता की सच्ची सेवा कर सकेंगे ।

ग्राम सभाओं का निर्माण पिछली बार जब हुआ तो चुनाव हाथ उठाकर हुआ था और शिकायत है कि इस कारण दलबन्दी बढ़ गयी, काफी कटुता बढ़ी और उसके कारण कुछ अपराध भी बढ़े । मुझे जान कर संतोष हुआ कि इस बार जब प्रधान के चुनाव होंगे तो वे हाथ उठाकर नहीं, वरन् बैलट द्वारा होंगे । मैं समझता हूं कि इस से बहुत कुछ वह सरगर्मी और जोर जबरदस्ती होती है, वह समाप्त हो जायगी । लेकिन अगर गांव सभा का चुनाव बैलट द्वारा हुआ तो ५० परसेंट वोटर तो ऐसे होंगे कि जो अपना वोट नहीं दे पायंगे । गांव सभा के वोटर को गांव की पंचायत के १६, १८ आदमियों के नामों को दिमाग में रखना सम्भव नहीं है और वह यूं ही बिना अपना मत प्रदान किये रह जायगा ।

यह हो सकता है कि वह पार्टी को वोट कर जायं । साधारण व्यक्ति किसी भी पार्टी के उम्मेदवारों को वोट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे किसी तरह से खुल कर वोट करें । हम चाहते हैं कि एक दिन इस डर को निकाल दें । हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिये, सामने आकर छिपकर नहीं । मरदानगी के साथ मुकाबला करना चाहिये । जो हमें दबाना चाहता है उसका हमें मुकाबला करना ही होगा । इस तरह से सभापति को जिसको कि हम हर काम में अगुआ मानते हैं उसकी सहायता मिलेगी । गांव सभाओं का जब निर्माण होता है तो कई जिम्मेदारी आ जाती हैं, कभी-कभी तो लोगों द्वारा गांव सभाओं की भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया जाता है । जब गालिब लोग उन जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं तो गांव सभाओं के अध्यक्षों को अदालतों में दौड़ना पड़ता है, उसमें उनका काफी पैसा

खर्च हो जाता है । यह सही है कि सरकारी वकील होते हैं, उसमें उनका खर्च नहीं होता है, लेकिन आने जाने में तथा और जो इस संबंध में उनका खर्चा हो जाता है वह उनको नहीं मिलता है । गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा में जब उनको इधर उधर दौड़ना पड़े और खर्च करना पड़े और उनको सहानुभूति भी न मिले, तो यह सोचने की बात है कि वे कैसे अपने काम को अंजाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब कि गांव सभा के पास धन हो और प्रधानों को सम्मान मिले ।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं की आमदनी बढ़े । वह आमदनी कोई नया टैक्स लगा कर नहीं बढ़नी चाहिये, बल्कि जो मालगुजारी से रुपया वसूल किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा उनको दिया जाय । मेरी अपनी इत्तला है कि इस माल-गुजारी वसूल करने का काम जिन गांव सभाओं को दिया गया उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस काम को किया है । मैं समझता हूं इसी तरह से अगर मालगुजारी वसूल करने का काम गांव सभाओं को दिया जाय तो इससे खर्चा भी कम होगा और लोगों की परेशानी भी कम होगी क्योंकि गांव सभा यह अच्छी तरह जान सकती है कि कौन सा आदमी दुख-दर्द में फंसा हुआ है और किससे कब मालगुजारी वसूल की जा सकती है, किससे नहीं । आपको इससे कामयाबी ही मिलेगी । ऐसा मेरा खयाल है ।

अब मैं टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज की आज आमदनी इतनी कम है कि वे अपने रोजमर्रा के काम भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं । रोजाना की सफाई और रोशनी का प्रबन्ध भी करना उनके लिये मुश्किल हो जाता है । हमारे यहां ऐसी छोटी-छोटी टाउन एरियाज हैं जहां पर पानी तक का इंतजाम नहीं है और वहां गर्मी के दिनों में लोगों को एक-एक बाल्टी पानी मोल लेना पड़ता है । बाज-बाज जगह तो ऐसी हैं जहां पानी १०० फुट से नीचे जाकर निकलता है । हमारे यहां पुखरायां कस्बा ऐसा है पानी वहां गर्म के दिनों में बिकता है । यहां इन्सान पानी जिस तरह से खर्च करते हैं वहां वे नहीं कर सकते । वहां एक ट्यूब वैल भी बना है लेकिन वह अभी काम नहीं कर रहा है । इसलिये माननीय मंत्री जी को उस तरफ ध्यान देना चाहिये और वहां के लोगों की परेशानी को दूर करना चाहिये । कृपया व्यवस्था करें कि उस ट्यूबवैल का उपयोग होने लगे ।

इसके अलावा, जैसा मैंने कहा, गांव सभाओं की सम्पत्ति के बारे में बड़ा कटु अनुभव हुआ है । अक्सर लोग जबरदस्ती गांव सभाओं की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं । वे इसलिये कब्जा नहीं कर लेते हैं कि वे वहां पर कोई बोआई या जोताई करेंगे । इसलिये वे कब्जा करते हैं कि वे उसमें जो पेड़ वगैरह लगाये वह उनकी मरजी से लगें और कटें और जो कुछ हो वह उनकी मर्जी से हो । वे जैसा चाहें वैसा किया जाय । इसलिये कानून में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि जो भी इस तरह से नाजायज कब्जा करने वाले हों उनको ऐसी सजा मिले जिससे वे आगे इस तरह की हरकत करने में आमादा न हों । इस तरह का परिवर्तन कानून में होना चाहिये ।

जिला परिषद् के बारे में मेरा अपना निवेदन यह है कि जिला बोर्ड का कानून बहुत पुराना हो गया और उसी के जरिये इनकी व्यवस्था हो रही है । मुझे बड़ी आशा थी कि जिला परिषद् का कानून तब्दील होगा और उसकी रूप-रेखा ऐसी होगी जिससे विकेन्द्रीकरण होगा । मैं तो इस खयाल का था जब से मेहता कमेटी रिपोर्ट आयी कि उसके सुझाव के अनुसार सत्ता का विकेन्द्री-करण होना चाहिये और अपनी ब्लाक्स कमेटीज को अधिकार मिलना चाहिये । और मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अपनी व्यवस्था बना सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ सत्ता गांव के हाथ में आ जायगी ।

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

नियोजन का काम जिला परिषद को देने का नतीजा यह हुआ कि वह ढीला काम हो गया और नहीं के बराबर हो पाया। जिस काम को करने के लिये हम अलग से ६ घंटे हर मा। कम से कम बैठते थे और कभी कभी २ बार भी बैठते थे, अब होता यह है कि जिला परिषद् और नियोजन के काम के लिये महीने में चन्द घंटे बैठते हैं और रूटीन के काम में ही सारा वक्त जिला परिषद् का निकल जाता है और जो योजनायें हैं, खरीफ या रबी आन्दोलन या दूसरी विकास की योजनाओं पर समय नहीं दे पाते। इस प्रकार से नियोजन का काम जिला परिषदों ने रोक दिया तो अब जो जिला परिषदों का अधिनियम बनें उसमें यह खयाल रहे कि रूटीन का काम कम लें, निर्माण में अधिक टाइम दे सकें, विचार-विमर्श अधिक हो सके और अधिक देर हम बैठ सकें और अपनी व्यवस्था के लिये स्वच्छन्द हों।

जिला परिषद् की आमदनी के लिये ऐसा न करें जैसा कि पिछले बार विधेयक में रखा गया कि, गांव सभा की आमदनी का एक जुज उनको दे दिया जाय, यानी–"चौबे जी छब्बे होने गये और दुब्बे ही रह गये।" यह तो उलटा हो गया। जिला परिषद् का आमदनी का जरिया अलग होना चाहिये और गांव सभा को रेवेन्यू में से एक अंश दे दिया जाय।

मैंने जो चन्द बातें सरकार की सेवा में पेश कीं, मुझे आशा है कि इन पर विचार करके उनको कार्य रूप में लाने का प्रयत्न होगा। इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आज जो अनुदान हमारे समक्ष प्रस्तुत है और जिसके सम्बन्ध में माननीय गौरीशंकर रायजी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। हमें देखना यह होगा कि जो हर वर्ष हम लोग अनुदान देते हैं गांव सभाओं, नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों और जिला परिषदों के विभागों को उनकी व्यवस्था इत्यादि किस ढंग से चलाई जा रही है। श्रीमती जी, सरकार को जानकर इस बात से इन्कार नहीं होगा कि उसमें खास तौर से शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग की कमी है। आज जो अधिकारी और कर्मचारी उन विभागों को चलाने के लिये रखे गये हैं वे ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो पंचायत मंत्री रखे गये हैं उनका एक काम यही रह गया है कि वह भत्ता लें और पंचायतों का काम न करें। वे गांव सभाओं में हाजिरी नहीं देते।

आज गांव सभाओं का कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है। पंचायत इंस्पेक्टर दफ्तरों में बैठकर जिला अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दिया करते हैं, गांवों में नहीं जाते हैं और उनका निरीक्षण नहीं करते हैं। न्याय पंचायतों की आज जो कार्य प्रणाली है, उनके कार्य करने का जो ढंग है और वहां पर जिस प्रकार से मुकदमें होने का तरीका है, अगर देखा जाय तो ज्यादातर मुकदमें दलबन्दी के आधार पर आते हैं, वहां के ५ पंच और ५ पंच एक दूसरे पक्ष से सम्बन्धित होते हैं और उसी के आधार पर उन पर फैसला होता है। साथ ही साथ निगरानी का जो टाइम होता है उसको वह बर्बाद कर देते हैं और दूसरे पक्ष को मौका नहीं देते कि वह दूसरी अदालत में जाकर निगरानी दाखिल कर सके। यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पर किस प्रकार की दलबन्दी छाई हुई है।

जिस आधार पर न्याय पंचायतों का निर्माण होता है वही आधार इसका सबसे बड़ा दोष है। सरकार ने गांव पंचायतों प्रधानों के चुनाव के बारे में जो तरीका अपनाने का निश्चय किया है उससे हमें इन्कार नहीं है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि अगर उसी आधार पर उप-प्रधान और पंचों का भी चुनाव कराया जाय और अगर सरकार मेरे इस सुझाव को मान ले तो बहुत अच्छा होगा। इससे गांवों की दलबन्दी समाप्त हो जायगी और जिस उद्देश्य के लिये आप इन संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी। हम चाहते हैं कि गांव के स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, गांव वाले खुद अपनी सरकार को चलायें, अपना काम करें और अपने अधिकारों को बरतें, यह तभी सम्भव होगा जब कि पंचों और उप-प्रधानों

का भी चुनाव उसी आधार पर करा दिया जाय। इससे वहां पर लोगों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं रह जायगी। लोग नहीं जान पायेंगे कि किसने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया। फिर वहां पर दलबन्दी के आधार पर न तो कैडिडेट ही किये जायेंगे और न दूसरे काम ही होंगे।

आज गांवों में जिस प्रकार से सार्वजनिक सम्पत्ति की बर्बादी हो रही है इसका एकमात्र कारण यह है कि गांवों में शिक्षा की कमी है, उनमें जानकारी की कमी है। वे नहीं जानते कि उनके क्या अधिकार हैं और कौन-सी सम्पत्ति है। आज गांवों में जो लेखपाल और सेक्रेटरी रखे गये हैं उनका यह काम है कि गांव सम्पत्ति के बारे में गांव सभाओं को रिपोर्ट दें कि कौन सी उनकी सम्पत्ति है और उनके कामों में सहयोग दें, कागजातों को ठीक रखें, हिसाब-किताब ठीक रखें, लेकिन आज वहां पर इन सब चीजों की कमी पाई जा रही है।

पंचायतों को किन्हीं कागजातों की जरूरत पड़ती है, माल विभाग के कागजातों की जरूरत पड़ती है तो लेखपाल उनको देते नहीं, और न उनको बैठकों में ही जाते हैं। और सरकारी कर्मचारियों की यह अलिखित नीति हो गई है कि पंचायतें पनपने न पायें। इसके अलावे यह भी कहना है कि पुलिस कर्मचारियों को यह अधिकार है कि पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं उनको चलाने में यदि पुलिस के सहयोग की जरूरत हो तो दें और साथ ही पंचायतों में जो गड़बड़ियां दूसरे व्यक्तियों द्वारा की जाती हों, और पंचायतों के माल और सम्पत्ति का दुरुपयोग किसी के द्वारा हो रहा हो, अथवा कोई बेईमानी की जा रही हो, या उनकी सम्पत्ति का अपहरण किया जा रहा हो तो वे पंचायतों की मदद करें, लेकिन आज इस बात की कमी पाई जा रही है, वे कतई मदद नहीं करते।

जहां तक पंचायतों के खर्चे का सवाल है, सरकार ने उनको टैक्स के जरिये कुछ आमदनी का रास्ता दिया है लेकिन गांव वाले टैक्स नहीं दे पाते। उनको अनेकों प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं, जिला परिषद् को भी टैक्स देना पड़ता है, सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है, इसलिये गांव वाले ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वह और टैक्स दे सकें। इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिला परिषदों की आमदनी का जिला परिषद् और गांव सभाओं में बटवारा किया जाय। गांव पंचायतों को उसमें हिस्सा मिलना चाहिये।

साथ ही साथ सरकार की रेवेन्यू में से कम से कम एक चौथाई भाग पंचायतों को मिलना चाहिये जिससे वे अपने खर्चे चला सकें। केवल टैक्स लगाने से, और वह भी गांव सभाओं की मर्जी पर होगा, उनकी कोई भी उन्नति नहीं हो सकती। आज पंचायतों को अधिकार की बहुत कमी है और आप देखेंगे कि पंचायत राज्य ऐक्ट में बहुत-सी खामियां हैं। अगर आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, जैसा कि जिला परिषद् बिल से जाहिर हो रहा था, तो क्यों आप उसे वापस ले रहे हैं जैसा कि पुनरे में आया है? अगर सरकार गांव पंचायत स्तर पर या ब्लाक स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है और इसलिये उस बिल को वापस ले रही है, तब तो हम उसका स्वागत करते हैं; वरना अगर वह बुराव टालने के लिये ही वापस लेना चाहती है तो यह उचित नहीं है। जिस प्रकार के आज जिला अन्तरिम परिषदों के तौर-तरीके हैं और जैसे लोग वहां बैठे हुये हैं, मेरा मतलब अधिकारियों से है यद्यपि जन-प्रतिनिधि भी वहां हैं और जिस ढंग से वहां की व्यवस्था चलाने में वह लोग मनमानी कर रहे हैं वह देखते हुये मुझे यही कहना पड़ता है कि उसको जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है और उनके साथ ही अन्तरिम परिषदों का पिन्ड छुड़ाया जाना चाहिये और मैं यह भी मांग करता हूं कि अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष पद से जिलाधीश को हटाया जाय।

एक बात मैं मुजफ्फरनगर जिले की कहना चाहता हूं। वहां राजपुर और छाजपुर का पुल है जिस पर ठेकेदार पैदल यात्रियों से भी शुल्क लेता है। यह कहां तक उचित है जबकि पैदल यात्रियों से कहीं भी टैक्स नहीं लिया जाता है? मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह इसकी जांच कराकर हम लोगों को बतावे कि उसने क्या कार्यवाही की।

[श्री अमरनाथ]

अगर मंत्री जी नाराज न हों तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज ये पंचायतें कार्य कर रही हैं उससे प्रकट होता है कि वे केवल सरकार के एजेन्ट के रूप में काम कर रही हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें तोड़ देना मुनासिब होगा। अगर उनको सरकार ने एजेन्ट के रूप में नहीं रखा है और वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहती हैं तो जल्दी उनकी ट्रेनिंग की और उनकी शिक्षा की कार्यवाही की जाय। जैसी आज व्यवस्था है उससे यह जाहिर होता है कि वे पंचायतें आगे बढ़ने वाली नहीं हैं। अगर सरकार उनकी मदद कर दे तो निश्चय ही हम जैसा जनतंत्र चाहते हैं उसमें पंचायतों से बहुत मदद ले सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय गौरीशंकर राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है ।

माननीया, अभी एक पुस्तिका जो हमें पीजन बक्स में मिली उसे जल्दी-जल्दी देखकर जो बातें समझ में आ ई उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि स्वशासन की इकाई का कर्तव्य है कि नगर के रहने वालों की तमाम सुख-सुविधाओं का प्रबन्ध करे । नगर की जनता में एक प्रमुख भाग मेहतरों का भी है जो वहां की नगरपलिकाओं में अधिकतर काम करते हैं । जिस तरह से किसी देश की रक्षा के लिये फौज या पुलिस की आवश्यकता है वैसे ही ठीक नगरों के लिये मेहतर वर्ग की जरूरत है । जितना फौज और पुलिस के लिये हमारा अधिकारी वर्ग चिन्तित रहता है उतनी ही मेहतर वर्ग की उपेक्षा की जाती है । सन् १९४७ में एक कमेटी जिसे खेर कमेटी कहते हैं, बनी थी कि वह मेहतरों की सुख-सुविधाओं के लिये रिपोर्ट दे । आज उसे १३ साल हो रहे हैं । इस समय में बहुत से कानून बने और कितनी ही तब्दीलियां हुई हैं लेकिन वह मेहतर बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है । मैंने अभी पब्लिक हेल्थ मैनुअल में देखा कि सम्भवतः १,०००की आबादी पर ४।। मेहतर कर्मचारी होने चाहिये। १३ और १५ साल पहले से स्थानीय निकायों में मेहतरों की संख्या जितनी थी, आज भी उतनी ही है। आबादी अवश्य बढ़ी है मगर मेहतर कर्मचारियों की संख्या उतनी की उतनी ही है। वह किसी तरह से बढ़ाई नहीं गई है ।

इस पुस्तक में मैंने यह भी पढ़ा है कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में भारत सरकार ने १,२६,२०० रुपया हमारे प्रदेश के भंगियों की स्थिति सुधारने के लिये दिया। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे शब्दों को याद रखें और उत्तर देते समय बताने की कृपा करें कि इस रुपये से क्या काम हुआ । मेरी कंस्टिट्युएंसी हरदोई है लेकिन मैं ५१ जिलों में इस सिलसिले में काफी घूमा हूं । कहीं कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ी जिससे हम यह कह सकें कि भारत सरकार से आये रुपये से मेहतरों के लिये कुछ किया गया हो । हो सकता है कि मेरा विचार बड़ा संकीर्ण हो लेकिन मैं अपने दिमाग को किसी संकुचित दायरे में नहीं बांधता । मैंने जहां तक देखा, मेहतरों की कठिनाइयां बजाय सुलझने के उलझती जा रही हैं । इसमें ऐसा भी लिखा है कि इस वर्ष भी भारत सरकार से कुछ सहायता मिलेगी । इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मंहगाई-भत्ता जो दिया गया है उसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि पूरे समय काम करने वालों को ही वह दिया जायगा । आधे समय काम करने वालों को नहीं दिया जायगा । इस सरकार का एक जी० ओ० भी निकला है कि अब मेहतर पूरे समय के लिये रखे जावें ।

हमने स्थानीय निकायों के अध्यक्षों से बातचीत की । उनका कहना था कि अगर पूरे समय के लिये मेहतर रखें जायेंगे तो मेहतर कम हो जायेंगे । मैं निवेदन करता हूं कि पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सर्वे कराया जाय कि कितने लोग पूरे टाइम और कितने लोग पार्ट टाइम काम करने वाले हैं और अगर उसके अनुसार हिसाब लगाया जाय तो सारे जितने मेहतर आजकल

हैं वे भी खप जायेंगे और १०-२० और भी रखने होंगे। मैं यह भी जानता हूं कि मंत्री जी चाहते हैं कि मेहतरों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन कोई बात वह ऐसी छिपा कर रखते हैं जो हमें मालूम नहीं है। न जाने उसके बताने में क्या कठिनाई है। मैं निवेदन करूंगा कि उस कठिनाई के होते हुये भी मंत्री जी उनकी हालत को सुधारें।

कुछ ही साल पहले, शायद सन् १९५३ में, यह कानून बनाया गया था कि प्राइवेट घरों के कूड़े मैले से कम्पोस्ट बनाया जाय। इससे मेहतरों का आर्थिक नुकसान हुआ है, मेहतर तबका निर्धन होता जा रहा है। अभी भी बीसों ऐसे स्थानीय निकाय हैं जहां प्राइवेट घरों के मैले से मेहतर लोग खुद कम्पोस्ट बनाते हैं और उसको किसानों के हाथ बेचते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सारे प्रान्त में यह चीज उनको फिर से दे दी जाय। जमींदारी अबालीशन हुई तो उनको मुआवजा दिया गया लेकिन इन लोगों की जो सैकड़ों वर्षों से बकौती थी उसको बिना एक नोटिस दिये ही छीन लिया गया।

सरकार मेहतरों के क्वार्टर बनाने के लिये काफी प्रयत्न कर रही है लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड शाहाबाद, जिला हरदोई, से सन् १९५८ में भी प्रस्ताव पास कराकर भेजा गया और १९५९ में भी भेजा गया कि १५ मेहतरों के क्वार्टर्स बनाये जायं, लेकिन सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया। मैंने उसके बारे में प्रश्न किया था लेकिन उस दिन मैं यहां उपस्थित नहीं था।

हैल्थ मैनुअल के हिसाब से मेहतरों की संख्या एक तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन नगरपालिका पिहानी से १२ मेहतर गत वर्ष निकाल दिये गये। १५-१६ हजार की आबादी है और २५ मेहतर काम करते हैं। ये १२ मेहतर यह कह कर निकाले गये कि बोर्ड की आर्थिक हालत खराब है, इनके निकालने से बचत होगी। यह मेहतरों पर बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। उन्होंने वहां हड़ताल की लेकिन किसी प्रकार उनको आश्वासन देकर शांत किया गया और आज उन मेहतरों के परिवार भूखों मर रहे हैं।

नानपारा में मेहतरों की उम्र ५५ साल की बता कर उनको निकाल दिया गया और सिविल सर्जन ने गलत सर्टिफिकेट दे दिया। म्युनिसिपल बोर्ड, काशीपुर के जग्गन जमादार की उम्र ५२ साल की है लेकिन ५५ साल का बता कर उसको भी निकाल दिया गया।

डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर, ने नवाबगंज के वाल्मीकियों की बस्ती को बर्बाद कर दिया। उनकी १००-१०० साल से बनी कब्रों को उखाड़ कर फेंक दिया। कानपुर में ही ब्लाकादेब में बाल्मीकियों का एक मंदिर था। वहां के विकास बोर्ड ने उस जमीन को ले लिया और बाद को उस मंदिर को तुड़वा कर फिकवा दिया। जितना ही ये बाल्मीकि लोग महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा जुल्म हम पर किया जाता है। एसेन्शियल सर्विसेज ऐक्ट हमारे ऊपर एक कलंक का टीका है, उसको हटा दिया जाय। जब इस देश के सब रहने वाले आजाद हो गये तो मेहतरों को भी आजादी से रहने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने उत्तर में मेहतरों को आश्वासन दें और सूबे के मेहतरों की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करें, वे मेहतर उनको आशीर्वाद देंगे।

*श्री नन्दराम--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इसमें दो रायें नहीं हैं कि ग्राम पंचायतें जनतंत्र की आधारशिला हैं लेकिन हमारी वर्तमान सरकार वास्तव में जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती। कहने के लिये वह भले ही कहे लेकिन उसके कारनामों से, उसकी कार्य प्रणाली से यह सिद्ध है कि वह जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। उसका ज्वलन्त प्रमाण है कि आज हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्दराम]

सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष एक सरकारी नौकर को बना रखा है और उसके हाथ में जिला अन्तरिम परिषद् की लगभग सारी पावर है। उसके अधीन रह कर ही जो हमारे जन प्रतिनिधि एम० पी०, एम० एल० एज० आदि हैं, उन लोगों को काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में हमारी ग्राम पंचायतें या न्याय पंचायतें जो भी हैं, वे सभी मृतप्राय हैं, उनमें कोई जीवन नहीं है।

पहली चीज तो यह है कि सरकार ने जो चुनाव प्रणाली रखी है वह इतनी दोषपूर्ण है, इतनी निकम्मी है कि उस प्रणाली के रहते हुए, उस ढंग के रहते हुए कभी सही चुनाव हो ही नहीं सकता है। अब तक के जो चुनाव हैं उनमें हर मेम्बर को वोट दिया जाता है और उसमें भी कमाल यह कि एक वोटर है और तीन उम्मीदवार सभापति के लिये या पंच के लिये खड़े हैं तो वह तीनों को ही वोट दे सकता है। एक क्षेत्र में अगर ३, ५ या ७ जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको ही वह वोट देता है, तो इस तरह से कहीं सही चुनाव हो सकता है? सुना जा रहा है, और माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में भी कहा था, कि शायद अब सभापति के चुनाव में गुप्त मतदान प्रथा जारी होने वाली है। तो मैं इस सम्बन्ध में इतना और कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इस बात पर ध्यान करें कि जैसे अब तक एक मतदाता को कई उम्मीदवारों को वोट देने का अधिकार दिया है वैसा अधिकार अब न रखा जाय। एक मतदाता को एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अदालती पंचायतों के चुनाव में तो बहुत ही बड़ा अन्धेर हुआ है जो कि अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। पहले जो सन् १९४९ में चुनाव हुआ उस समय अदालती पंचायतों का चुनाव बालिग मताधिकार से हुआ, उसी तरह से ग्राम पंचायतों का चुनाव भी हुआ और फिर उनमें से सरपंचों का चुनाव हुआ। लेकिन अबकी बार जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें ग्राम पंचों को चुना गया और उन ग्राम पंचों ने कुछ सरकारी आदमियों को या शासक पार्टी के आदमियों को उन पंचायतों में चुना है जो कि गलत और अवैधानिक चुनाव है। साथ ही एक-एक घर के कई-कई आदमियों को चुना गया है जो मनमाने ढंग से काम करते हैं जिसके कारण न्याय पंचायतों से सही और सस्ता न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है।

जहां तक ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति का सवाल है, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, ग्राम पंचायतें कभी सफल नहीं हो सकतीं। यों तो ग्राम पंचायतें हमारे इस चौखम्भा स्कीम का पहला खम्भा हैं। समाज के चार खम्भे हैं---ग्राम खम्भा, जिला खम्भा, प्रान्त खम्भा और केन्द्र खम्भा। अगर इन चार खम्भों में से पहला ही खम्भा, ग्राम पंचायतें ही मजबूत नहीं होंगी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी की स्कीम के मुताबिक चार खम्भों को मजबूत करना है, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। सरकार उस खम्भे को किसी प्रकार से मजबूत नहीं करना चाहती है। देहात में एक भद्दी कहावत है "नंगी नहाय, क्या ओढ़े क्या निचोड़े"। जब ग्राम पंचायतों के पास पैसा ही नहीं है, खर्च के लिये, कोई जरिया ही नहीं है तो उनको अधिकार दे दिया गया है टैक्स लगाने का। सरकार का यह धोखा है, यह बहकावा है, यह उनकी आर्थिक स्थिति को जानकर खराब करना है। अगर सरकार ग्राम पंचायतों को चलाना चाहती है तो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्कीम है चौखम्भा राज्य की उसको अमल में लाया जाय।

जो टैक्स जनता से वसूल होता है उसको ४ जगह बांटा जाय। एक भाग उसका ग्राम पंचायतों को दिया जाय, दूसरा भाग जिला परिषदों को दिया जाय, तीसरा भाग स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाय और चौथा भाग केन्द्र को दिया जाय। यह जो व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायतें अपना कर लगायें, यह अवैधानिक है, सारा कर किसानों पर लगा है जो पहले से कर के भार से दबे हुये हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसानों से जो लगान कृषि पर लिया जाता है वही अवैधानिक है, किसी भी धन्धे पर कर नहीं लगना चाहिये बल्कि वह आय पर लगना चाहिय। परन्तु कृषि एक ऐसा धन्धा है कि जिस पर कर लगा है चाहे किसी की पैदावार हो या न हो, उसकी आय भी नहीं आंकी जाती और नियत लगान ले ही लिया जाता है।

किसान पर अव्वल तो कर होना ही न चाहिये, जैसे व्यापारी, वकील और सरकारी कर्मचारियों से ३,००० की आय से ऊपर आय-कर लिया जाता है इसी प्रकार किसान से भी लिया जाना चाहिये। इसी तरह से यह पंचायत कर भी गलत है और यह भी किसान के लगान पर लगता है और जब किसान पर लगान नहीं होना चाहिये तो पंचायत कर भी नहीं होना चाहिये। जब एक कर जमीन पर लग चुका तो फिर दूसरा कर कैसा ? यह अवैधानिक है। टाउन एरियाज या म्युनिसिपैलिटीज जो शहर या कस्बों में हैं वहां पर यह नियम है कि केवल एक ही संस्था का टैक्स लग सकता है, या तो म्युनिसिपल टैक्स लगेगा या टाउन एरिया का लगेगा या जिला बोर्ड का ही लगेगा, लेकिन अन्धेर है कि ग्रामों में जिनके बल पर हुकूमत चलती है, जिन किसानों की मेहनत पर सारा शासन चलता है उन पर जिला बोर्ड और ग्रा पंचायत दोनों का टैक्स लगाया गया है। इसको हम न्याय कहें, अन्याय कहें, या खुदा की देन कहें या पंचायत राज की बरकत कहें ?

इस तरह से यह जो पंचायतों का अवैधानिक कर है उसके वसूल करने में भी पंचायतों को परेशानी होती है और वह कानूनन भी उसको वसूल नहीं कर सकतीं, हाई कोर्ट का फैसला है कि पंचायतों का टैक्स जबरदस्ती वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पंचायत वाले वसूल करें या न करें लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अमीन मुकर्रर हुये और कुर्की कराई गई और ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० ने जबरदस्ती मारपीट और कुर्की के द्वारा वसूली कराई।

कुछ थोड़े में जिला परिषदों के विषय में भी कहूंगा। मैं प्रतापगढ़ से आता हूं। वहां पर पहले जिला बोर्ड के टाउन स्कूल थे, लेकिन अब वहां एक कम्पनी चल रही है शासक पार्टी को जिसके कुछ अपने स्कूल हैं, उस पार्टी को टाउन स्कूलों का सारा सामान और फर्नीचर दे दिया गया है, मैंने उसकी जांच कराई थी। अब सुना जाता है कि वह बड़ी-बड़ी इमारतें और फर्नीचर केवल २ रुपया किराये पर उन्हें दिये गये हैं। कुंडा में जो स्कूल चल रहा है वहां के मैनेजर ने स्कूल की जमीन को दूकानदारों के हाथ १००, २०० रुपया नजराना लेकर बेचा है, यह अन्धेर हो रहा है। अगर वाकई इन संस्थाओं को अधिकार देना है, जनतंत्र को विकेन्द्रीकरण की तरफ ले जाना है तो सरकार का कर्तव्य है कि उन पर से अपना अंकुश हटाये।

एक बात से लोगों में बड़ी बुरी भावना फैल रही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिनको अब जिला परिषद् कहा जाता है, का चुनाव अप्रैल, १९४८ के बाद आज तक नहीं हुआ। १२ साल हो गये, तो कैसे इसे जनतंत्र कहा जा सकता है ? पिछले दिनों में बिल आया था उससे कुछ आशा हुई थी कि शायद अप्रैल या दिसम्बर, १९६०के अन्त तक इनके चुनाव हो जायंगे, लेकिन पहले तो वह बिल सेलेक्ट कमेटी में लटका हुआ है, और आज जैसा नवलकिशोर जी ने कहा कि शायद सरकार का मंशा उस बिल को वापस लेने का है और उसकी जगह दूसरा बिल लाये, इससे तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सरकार सन् १९६२ से पहले जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराना चाहती। इससे लोगों में बड़ी निराशा है। यह सरकार अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है, यह जानती है कि सन् १९६२ से पहले अगर इनका चुनाव हो गया तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे और यह सत्य भी है कि अगर सन् १९६२ से पहले चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से सरकार हार जायगी।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारी पंचायतें शासन की इकाई और प्रजातन्त्र की बुनियादें हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि इनकी सफलता पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। इनको सफल बनाना है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

और जो बातें इनको सफल बनाने में आवश्यक हैं वे सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। अभी-अभी उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि किस प्रकार हम उनको उन अनुदानों को देना चाहते हैं जो कि ब्लाक स्तर पर आज संचित है और उसको हिस्से में बांट कर इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्र के आवश्यक कार्यों को स्वयं करें और यह भी कहा कि यदि उनसे कोई गलती भी हो जाय तो हमको परवाह नहीं है क्योंकि अपनी गलतियों से ही उनको सीखना है और आगे बढ़ना है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---श्रीमती जी, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव---मैं कह रहा था कि यदि ये संस्थायें गलती भी करें तो गलती की तरफ़ से हमको मुंह मोड़ना है और उनको अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। लेकिन इस अवसर पर मैं मंत्री जी का ध्यान इन संस्थाओं के संचालन की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। कम से कम उनको गांवों की व्यवस्था का ज्ञान है, गांवों की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे अवसर पर इन संस्थाओं का संचालन किस प्रकार किया जाय, इस पर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

आज जिस प्रकार का संचालन हो रहा है मैं यह कहूंगा कि एक तरह से उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी लादी गई है और जिस देश में प्राचीन काल से यह संस्थायें विद्यमान थीं और इसी सामन्त शाही से टक्कर खा कर समाप्त हो गयीं, आज उसी प्रकार का संघर्ष हमारी पंचायतों और हमारे अधिकारियों में चल रहा है। मुझे स्वयं मालूम है कि किस प्रकार से हमारी इन पंचायतों के प्रधानों के साथ अफसरों का व्यवहार होता है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन अधिकारियों से इन संस्थाओं को, जो आज शैशवास्था में हैं, बचाया जाय और इनके मान व मर्यादा की रक्षा की जाय। जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा अन्तरिम जिला परिषद् के प्रेसीडेंट, म्युनिसिपैलिटीज तथा नोटिफाइड एरियाज के प्रेसीडेंट को जो वकत है वह कम से कम हमारी गांव सभा के पंच व प्रधानों को भी दी जाय।

अभी उधर से कुछ पंचायतों के टैक्स के बारे में कहा गया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। मगर जब हम यह कहते हैं कि इन संस्थाओं को अनुदान देकर हम सबल बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ हम उनको स्वावलम्बी भी बनाना चाहते हैं। लिहाजा अपनी आर्थिक व्यवस्था को छोटे-छोटे चन्दों के रूप में टैक्स लगा कर वे उसे ठीक करें। उसका ढंग किस तरह का हो, उसका रूप किस तरह का हो, इस पर माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। आज होता यह है कि गलत तरीके से टैक्स लग जाता है। पर्सनल लेजर एकाउंट में टैक्स का रुपया जमा है लेकिन कोई निर्माण-कार्य गांव सभाओं में नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि जो रुपया टैक्स के रूप में देना होगा उसका कोई फायदा नहीं दिखाई देता। इसके लिये जिम्मेदार है पंचायत राज्य संचालक, पंचायत राज्य इंस्पेक्टर। उनकी शिथिलता की वजह से यह सब है।

जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक ढांचे में ढाला जाय। लेकिन इस ओर क्या प्रयास किया गया, यह मैं जानना चाहता हूं। इसके लिये क्या प्रशिक्षण होता है? कोई चीज इस तरह की नहीं है। क्या उनको किताबों से या लेक्चर द्वारा पढ़ाया जाय? चाहिये यह कि व्यावहारिक रूप से उनको सिखाया जाय। पंचायत राज्य संचालक का जो ऊपर से लेकर नीचे तक स्टाफ है उसको गांव-गांव पहुंच कर उनकी भाषा, वेशभूषा, उनके ढंग से उनको प्रशिक्षण देना चाहिये और जब तक गांव वालों के दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं तब तक हमारे सारे प्रयास असफल ही रहेंगे।

मुझे याद है कि जब १५ अगस्त, १९४९ में ये संस्थायें स्थापित हुई थीं तो क्या उत्साह जनता का था। आज माननीय मंत्री महोदय बतलायें कि वह उत्साह कहां गया, क्यों खत्म हो गया।

इस प्लानिंग के युग में जब अनुदानों की भरमार है हमारी पंचायतें उतना काम नहीं कर पाती हैं जितना कि १९४९ से लेकर दो साल तक बिना किसी इमदाद के किया था । इसका कारण था संचालन। संचालन पर ही इन संस्थाओं की कार्य-प्रणाली और कार्यशैली अवलम्बित है। आप ऐसा डायरेक्टोरेट बनाइये जो गांव के कोने-कोने तक पहुंचे और आपके संदेशों को, जिनका दिग्दर्शन इस सदन में कराया गया है, उन तक पहुंचाये।

इसके अतिरिक्त, कुछ पंचायती अदालतों के बारे में कहा गया। मुझे इस बात का सन्तोष है कि जितनी पंचायती अदालतों को देखने का अवसर मुझे मिला है और जिस वातावरण में वे काम कर रही हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं कि वे बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। जो उनके चुनाव की प्रणाली कुछ गड़बड़ थी, उसको भी संशोधित करने के लिये आपने कह दिया है। यह बहुत अच्छा है। एक बात यह भी कही गयी कि प्रधान का चुनाव तो गुप्त रूप से हो ही जायगा पंचायतों के सदस्यों का चुनाव भी गुप्त रूप से हो। यह कहते हुये तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अब आप यह कहें तो जरा बजट का भी ध्यान रखें। ७२ हजार के ऊपर पंचायतें हैं। अगर १ रुपया फी पंचायत भी आप दें तो ७२ हजार कुछ सौ रुपये देने होंगे और वह भी नहीं के बराबर होगा। इसमें एक ५८ हजार रुपये की धनराशि है। तो कम से कम पहले प्रधान का गुप्त चुनाव कराया जाय और यदि हमारी आर्थिक अवस्था ठीक रही तो फिर सदस्यों के भी गुप्त चुनाव करा लिये जायंगे। सरकार की यह इच्छा नहीं है कि वह उनके गुप्त रूप से चुनाव न कराये।

समय कम है, मैं अन्तरिम जिला परिषद् के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब मैं वह न कह कर सरकार का ध्यान अपने जिले में भींगा नोटिफाइड एरिया की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। वहां पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यदि वहां एक टघूबवेल की व्यवस्था कर दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा थोड़ा-सा अनुदान अगर उनको अपना ड्रेनेज वगैरह ठीक करने के लिये भी दे दिया जाय तो वहां की जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक स्वायत्त शासन का सम्बन्ध है, ग्राम सभाओं का निर्माण करके जो गांवों के अन्दर पारस्परिक मेल-मिलाप और सद्भावना थी पारस्परिक उन्नति की उसको बहुत क्षति पहुंची है। यह देखने में आता है कि चुनाव इत्यादि के कारण बहुत काफी वैमनस्य गांव के लोगों में आपस में हो गया है और जब गांव के आदमी पार्टीबाजी में पड़ जाते हैं तो गांव की विशेष उन्नति नहीं हो पाती है। इस कशमकश में ग्राम पंचायतों ने यहां तक कर दिया है कि घास खोदने वाले के खुरपे पर भी टैक्स लगा दिया है जो शायद किसी भी शासन में नहीं लगा था। गांव का आदमी यह सोचता है कि यह कैसा शासन आया कि जिसने मेरे घास खोदने के खुरपे पर भी टैक्स लगा दिया। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति गांव के अन्दर ऐसा नहीं बचा, चाहे वह गरीब हो, चाहे बड़ा काश्तकार हो कि उस पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया गया हो।

दूसरी बात यह है कि गरीब मजदूरों की जीवन चर्या का तो बिलकुल खात्मा हो गया। सरकार भी मानती है कि आजकल गांवों के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं मगर इसके कारण की तरफ न ग्राम पंचायतों ने, न सरकार ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि आज तक गांव का रहने वाला पशु पालन करके और घास खोद करके अपनी जीवनचर्या करता था, लेकिन जब से ग्राम पंचायतें बनीं और उन्होंने बंजर भूमि पर अधिकार कर लिया तबसे वह वहां से घास भी नहीं खोद सकता, पशुओं को खड़ा करने की भूमि भी नहीं छोड़ी और काट कर ऐसे टेढ़े-मेढ़े रास्ते निकाले गये हैं कि गांवों में काफी घूम कर जाना पड़ता है। रास्ते इतने तंग हैं कि दोनों तरफ से जब गाड़ियां आ जाती हैं तो उनको बचा कर निकलने में बड़ी

[श्री शिवराम]

कठिनाई होती है। तो रास्ते तो काट कर छोटे कर दिये और उसका अभिप्राय यह निकाला कि इससे भूमि बढ़ जायगी और पैदावार में वृद्धि होगी लेकिन इससे गांव के लोग आज बहुत परेशान हैं। आज चकबन्दी हो जाने के बाद भी वह कहीं से घास नहीं खोद सकता, पशु भी नहीं पाल सकता। वोट उसको हाथ उठा कर देना पड़ता है जिसके कारण दबाव में आकर वोट देते हैं। वह स्वतंत्रतापूर्वक वोट नहीं दे सकते हैं और ग्राम सभायें जिन मुकदमों में फैसला करती हैं उनकी सुनवाई हाई कोर्ट तक नहीं हो पाती है इसलिये गांव वालों को बड़ी परेशानी हो गई है। ५०० रुपये तक के मुकदमों के भी फैसल करने में बड़ी दिक्कत होती है और इनमें भी पार्टीबाजी से काम लिया जाता है। जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है वह पंचों के पास मारा-मारा फिरता है और इसमें भी रिश्वतखोरी चलती है।

इसके अलावा, जो भूमि बची हुई है वह गरीब काश्तकारों को नहीं दी गई है। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायतों के प्रधान १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत के चक्कर में रहते हैं। इसलिये जितनी भी ऐसी भूमि है वह गरीब मजदूरों को दे दी जाय।

दूसरी बात यह है कि खड़ंजे वगैरह ऐसी बस्ती में बनाये गये हैं जहां अच्छे काश्तकार रहते हैं और गरीब लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। यद्यपि सरकार से पैसा मिलता है लेकिन गरीबों के मुहल्लों में खड़ंजे नहीं बनाये गये हैं। अगर पानी का रुख निकाला जाता है तो आबादी के उस हिस्से में निकाला जाता है जहां गरीब काश्तकार रहते हैं और उससे उनके कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचता है। मैंने अफजलगढ़ में देखा कि कुछ हिस्से में ईंट बिछाई गई और कुछ में नहीं बिछाई गई। पूछने पर मालूम हुआ कि इन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। मिट्टी बिछाने को कहा गया था लेकिन नहीं बिछाई गई। वह बेचारे इसमें असमर्थ रहे तो उनके यहां ईंटें नहीं बिछाई गईं। इसलिये जहां दो तीन पार्टियां हैं वहां गरीब लोग ही पिसते हैं। इसलिये इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

गरीब लोगों को सिंचाई नहीं करने दिया जाता। इसमें ग्राम पंचायत अड़ंगेबाजी लगाती है। एक हसोनापुर में नई आबादी बसाई गई है। उसमें तीन करोड़ रुपये के करीब भारत सरकार द्वारा खर्च किया गया है। वहां म्युनिसिपैलिटी भी है और बहुत से मकान बनाये गये हैं लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं है। जो दो-तीन दूकानदार हैं वे भी पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि जो लोग उन मकानों में आये थे वे बेरोजगारी के कारण भी छोड़कर चले गये। वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते। बरसात में तराई भाग में बने बहुत से मकान चौपट हो गये हैं लेकिन किराया वसूल किया जा रहा है। जो लोग लड़ाई वगैरह में मर गये हैं उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने के साधन जुटाने चाहियें।

जहां तक मेहतरों का सवाल है, उसके सम्बन्ध में यह है कि उनके लिये मकानों का प्रबन्ध होना चाहिये। गंदी बस्ती के नाम पर गरीब मजदूरों को वहां से हटाया जाता है। उनकी आबादी का कोई सुधार नहीं किया जाता। जहां वह रहते हैं लखनऊ, बनारस आदि नगरों में न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है और न अस्पताल ही है। सुधार यही होता है कि गन्दी बस्ती से उनको हटा दिया जाता है और अच्छे मकान बना कर दूसरे लोगों को दे दिये जाते हैं।

नौकर पेशा लोग जो बेचारे बाहर से आते हैं उनको मकान नहीं मिलते हैं। वे मारे मारे डोलते हैं लेकिन मकान नहीं मिल पाते। इसलिये इस तरह के मकानों का निर्माण किया जाय जिससे उनको मकान मिल सके। नौकर पेशा लोग मकान न मिलने के कारण परेशान रहते हैं और इधर-उधर मारे मारे फिरते हैं और उन्हें इस प्रकार का एक संघर्ष लेना पड़ता है। स्वायत्त शासन में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि वहां सड़कें और नालियां ठीक नहीं हैं। आमदनी उनकी काफी होती है लेकिन उसका कोई ठीक हिसाब नहीं रखा जाता। उसको सुधारने की आवश्यकता है।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों का सम्बन्ध है, बिजनौर के इलाके के बारे में मुझे मालूम है, वहां के अध्यापकों को जो १९५७-५८ के बाद के हैं उनको तो एफीशिएंसी बार क्रास करवा दिया, लेकिन जिन लोगों को एफीशेंसी बार ड्यू हो गया है, और १९५७-५८ के हैं, उनको नहीं क्रास करवाया गया। इन बातों की तरफ स्वायत्त शासन वालों को ध्यान देना चाहिए और पंचायतों को सुधारने तथा उनको गरीब किसान मजदूरों के हित में लाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया मैं आपको धन्यवाद आखिर में दे दूंगा कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया।

मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का जितना अभूतपूर्व प्रयोग इस प्रदेश में किया गया है शायद संसार में वैसा प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आप देखें कि यहां लगभग एक करोड़ के मतदाता हैं, डेढ़ लाख के लगभग निर्वाचन क्षेत्र हैं, ९ हजार के करीब न्याय पंचायतें हैं, ७२ हजार के करीब ग्राम पंचायतें हैं। यहां पर चुनाव का प्रबन्ध करना और ग्राम सभाओं का संचालन करना यह बड़ा भारी प्रयोग है। अगर इसमें कुछ त्रुटि भी रहे तो वह धीरे-धीरे चल कर दूर हो जायगी। इसलिये इस पर ही विचार व्यक्त करने की आवश्यकता है कि उसको कैसे सुधारा जाय।

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अभी निकट में ही पंचायतो अदालतों को अधिक अधिकार दिये गये हैं। पंचायतघर बनवाया, कुएं बनवाए, नालियां बनवायीं, पंचायतो अदालतों के फैसले किये, यह परिचायक है विकेन्द्रीकरण का कि नियोजन की जिम्मेदारी भी ग्राम सभाओं पर डाली गयी है। मैंने जो कुछ ब्लाक डेवलपमेंट की मीटिंग में सुना, उसी तरह एक परिपत्र मुझे यहां मिला। इसमें शक नहीं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यदि इस तरह की जिम्मेदारी को प्राप्त करने के बाद भी गांव सभाओं ने योग्यतापूर्वक अपने कार्य का संचालन नहीं किया तो जैसा कि मुझे भी सन्देह है और मैंने भी अपनी ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी में कहा था, कहीं इसके पश्चात् डिक्टेटरशिप का उदय तो नहीं होगा। यदि उसका उदय हुआ, जैसी कि मुझको सम्भावना लगती है, तो मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि मेरे दिमाग में एक शक है। हम यहां पर बैठ कर सरकारी अधिकारियों की बड़ी-बड़ी आलोचना करते हैं। क्या सरकारी अधिकारी वर्ग ने इस तरह का प्रयोग करने के लिए एक योजना प्रस्तुत कर दी थी, जो कि अन्त में असफल हो और उनको डिक्टेटरशिप चलाने का अवसर मिले? कहीं यह बात तो नहीं है? यह मेरे दिमाग में शक है जिसे मैंने प्रस्तुत कर दिया।

एक बात और। मंत्रियों के तबादलों के सम्बन्ध में आपने एक नीति अख्तियार की है कि अपने घर से २५ मील के फासले पर रहें। इन मंत्रियों को सर्विसेज मुस्तकिल भी नहीं की गयीं। तो जो टेम्पोरेरी हैं उन्हें २५ मील दूर भेजना और उनको उतनी तनख्वाहें न मिलें जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण कर सकें, यह बहुत उचित नहीं है। उनकी सर्विसेज मुस्तकिल कर दी जायं और सरकारी नौकरो की उनको सब सुविधाएं दी जायं तब उन्हें घर से दूर रखें और ट्रांसफर करें तो कोई बात नहीं है।

मैंने माननीय मंत्री जी की स्पीच को इसलिए बहुत गौर से सुना कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था और उसकी सफाई हो गयी। माननीय मंत्री महोदय ने जिला अन्तरिम परिषद् के विकेन्द्रीयकरण और उनके अधिकारों की चर्चा की। यह भी कहा कि यदि यह परिषदें कुछ गलत काम भी करें तो भी हम इसको इसलिए काम करने का अवसर देते हैं कि जिससे यह सीखें। यह विचार जिनके हाथ में यह विभाग है उनके विचारों के उपयुक्त भी है।

[श्री ब्रारा चन्द माहेश्वरी]

अब मैं भी इन्हीं विचारों के तहत में माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख एक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि उन्हीं विचारों के तहत में माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्न पर बड़ी सहृदयतापूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां जिला अन्तरिम परिषद् है और यह जिला अन्तरिम परिषद् कई चिकित्सालयों का संचालन करता है। एक चिकित्सालय बाड़ोग्राम में स्थापित था। अन्तरिम जिला परिषद् में इसके स्थानान्तरण के सिलसिले में एक प्रस्ताव फरवरी-मार्च, १९५९ में प्रस्तुत हुआ और यह निश्चय हुआ कि चिकित्सा के विशेषज्ञों की राय जानने के लिये उनके सुपुर्द कर दिया जाय। वह उनके सुपुर्द हो गया। मई १९५९ में अस्पताल ऐडवाइजरी कमेटी के सामने यह प्रश्न फिर प्रस्तुत हुआ और अस्पताल ऐडवाइजरी कमेटी ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि उक्त अस्पताल का स्थानान्तरण अधिक जनहित की दृष्टि से सिधौली में हो जाना चाहिये। इसके पश्चात् जून, १९५९ में अन्तरिम जिला परिषद् में यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ और अन्तरिम जिला परिषद् ने भारी बहुमत से निर्णय किया कि जनहित की दृष्टि से इस अस्पताल का स्थानान्तरण बाडो ग्राम से सिधौली कर दिया जाय। इसके पश्चात् मेडिकल डायरेक्टर की कन्सेन्ट प्राप्त करने के लिये इस प्रस्ताव को संचालक, चिकित्सा विभाग की सेवा में भेज दिया गया।

आप देखें कि जून का प्रश्न है, और नवम्बर में जाकर उसको कंसेंट प्राप्त होती है, डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ से। उन्होंने कहा कि कंसेंट भेज दी गयी है और चिकित्सालय के स्थानान्तरण के कार्य पूरे किये जायं। ३ जनवरी, सन् ६० को अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी में यह प्रश्न फिर उपस्थित हुआ कि अस्पताल को जल्द से जल्द सिधौली स्थानान्तरित कर दिया जाय और पास भी हो गया। ५ जनवरी को अस्पताल बाड़ी से सिधौली आ गया और अपना फंक्शन करने लगा, दवाइयां बंटने लगीं। १० जनवरी को अनौपचारिक तौर पर उद्घाटन समारोह केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा होना शेष था। एक विभागीय तार के आधार पर उसका उद्घाटन समारोह रोक दिया गया और उसके बाद अभी तक वह उसी स्थिति में है।

मुझे अधिक नहीं कहना है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् को जो अधिकार आप ने दिये हैं उनका संचालन वह अधिकारी किस तरह से करते हैं। माननीय मंत्री जी का तार पहुंचा, उसका उद्घाटन समारोह रुक गया। अस्पताल स्थानान्तरित हो गया था। उसके पश्चात् ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी, सिधौली, ने एक प्रस्ताव पास किया कि यह अस्पताल यहां स्थानान्तरित हो गया है और किराये की बिल्डिंग में काम कर रहा है, यहां पर प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाय। यह प्रस्ताव अन्तरिम जिला परिषद् के थ्रू आना था सरकार के यहां। जब अन्तरिम जिला परिषद् में यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तो चीफ आफिसर साहब कहते हैं कि साहब अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसपर आखिरी निर्णय नहीं लिया, इसलिये हम इस प्रश्न को गवर्नमेंट में भेज ही नहीं सकते। इसे यहां पेश ही नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, अन्तरिम परिषद् को आप अधिकार देते हैं और चीफ आफिसर उसके यह कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में भेजेंगे नहीं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से अन्तरिम जिला परिषद् के सरकारी अधिकारी डरते हैं। इसलिए तो यह मांग की जाती है कि अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष चुना हुआ व्यक्ति हो। जनता की जरूरतों को अन्तरिम परिषदें अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने उन विचारों को तहत में इस पर गौर करें। यह सारे निर्णय जो कुछ भी हुए, बहुमत से हुए और कहीं-कहीं सर्वसम्मति से भी हुए। अखबारों में काफी इस पर टीकाटिप्पणी भी हुई। यह मैं आपसे कह सकता हूं कि आप चाहे जिस तरह से इसको एग्जामिन करें लेकिन मेरी नम्र राय में शीघ्र से शीघ्र इसे आप अन्तिम फैसले पर पहुंचा देवें। जब तक आपका अन्तिम फैसला नहीं होता तब तक उन अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं, वह अपनी जगह पर बिलकुल चुप हैं। वहां पर प्रजातंत्र के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। उनकी रक्षा के लिये भी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्त में श्रीमन्, एक निवेदन मैं और करूं कि न्याय पंचायतों का चुनाव तो मताधिकार के आधार पर होता है; इस सम्बन्ध में भले ही मेरी राय उल्टी जचे, लेकिन मैं इस राय का हूं कि चुनाव के द्वारा न्याय पंचायतों का निर्माण न किया जाना चाहिये।

जहां तक न्याय का प्रश्न है, चुने हुये अधिकारी न्याय के प्रश्न पर वोट का ध्यान रखकर फैसला देंगे और देते भी हैं। इसलिये यदि न्याय की रक्षा करनी है तो नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा न्याय पंचायतों का संचालन किया जाय। यदि वह पूरे तौर पर न हो सके तो मेहरबानी करके सीमित एरिया में इस प्रणाली को लागू करके देखें कि कौन-सी बात वाजिब है।

अन्त में यह और निवेदन करूंगा कि खर्चे का प्रश्न चाहे अधिक हो, वैसे तो मैं अधिक खर्च करने की राय का नहीं हूं, किन्तु बुनियादी तौर पर गुप्त मतदान की प्रणाली को अपनाया जाय। वैसे आप ५०, ६० लाख रुपये प्रधान के चुनाव के लिये रख रहे हैं; किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि चाहे इसमें किफायतशारी करके कुछ खर्चा बढ़ाना पड़े, मगर गुप्त मतदान द्वारा ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य का चुनाव कराने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आपको फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठात्री महोदया, इस अनुदान को पेश करते वक्त माननीय मंत्री ने जो भाव व्यक्त किये हैं, उनसे मेरा कोई खास विरोध नहीं है। वे सिद्धान्त की बातें थीं और सिद्धांत पर इधर के लोगों का भी कोई विरोध नहीं है। मैं २, ३ बातें सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। वे ये हैं कि जो ऐक्ट पास हैं, जिनके आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और न्याय पंचायतें हैं, उनका अगर अध्ययन किया जाय तो सब में यह मिलता है कि अधिकारों को गांव तक यानी उन संस्थाओं तक देने में सरकार को बड़ी हिचक है। यह कहा जाता है कि यह लोकतंत्र की आधारभूत संस्थायें हैं परन्तु उनको अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। लोग अब बहुत सिखा-पढ़ा दिये गये हैं, १८८० से सिखाये-पढ़ाये जा रहे हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड में लोग इतने सीख और पढ़ गये हैं कि अब उनको अधिकार देने चाहिये और सरकार को हिचक नहीं होनी चाहिये। मैं लोगों के भाषण सुनता रहा हूं। कतिपय लोगों ने यह कहा कि वहां डिक्टेटरशिप की बातें आ रही हैं। आपको गांव वाले चुनते हैं तो आप डिक्टेटर नहीं हो सकते, मगर जब आप उनको अधिकार देते हैं तो आपको सन्देह होता है कि वहां पर डिक्टेटरशिप आ जायगी, इसलिये आपको हिचक है। मेरा अपना खयाल है कि गांव पंचायत को, अन्तरिम जिला परिषद् को और म्युनिसिपलिटी को जो अधिकार दिये गये हैं वह नाकाफी हैं। उनके अधिकार में इजाफा होना चाहिये।

दूसरी चीज चुनाव की है। चुनाव के लिये यह तय हुआ था कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है, उसके द्वारा जो चुनाव होते हैं, वह बहुत अच्छे हैं। उनका प्रयोग भी हो चुका है। लेजिस्लेटिव असेम्बली और पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं वह ठीक प्रकार से सम्पादित हो जाते हैं। इस १९५७ के एलेक्शन में यह देखा गया कि गड़बड़ी बहुत कम हुई। तो जो तरीका हमारा आजमाया हुआ है उसको गांव पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल होना चाहिये। जो खर्चे की बात कही जाती है तो गांव में प्रधान का चुनाव सीक्रेट बैलेटिंग से आप करना चाहते हैं। उसमें खर्चा पड़ता है। एक बैलेट बाक्स और रखना पड़ेगा। उसका भी चुनाव तब हो जायगा। कुछ बैलेट पेपर को छापने का खर्चा पड़ेगा। मगर एक चुनाव तो गांव प्रधान का आप सीक्रेट बैलेटिंग से करते हैं और वहीं सदस्यों का चुनाव हाथ उठा कर करायें तो यह उचित नहीं मालूम होता। प्रधान का चुनाव जो आप सीक्रेट बैलेटिंग से चाहते हैं उसका लाभ उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हाथ उठाकर चुनाव करने में जो गड़बड़ी है वह अपनी जगह पर रहेगी।

[श्री तेजबहादुर]

दूसरी बात न्याय पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। न्याय पंचायतों के फैसलों की जो निगरानी होती है वह एस० डी० एम० और मुन्सिफ के यहां ज्यादातर मंजूर होती है। वह प्रोसीजर की गलती में मंजूर होती है। प्रोसीजर को फालो नहीं किया जाता। उसकी आप उम्मीद करते हैं, ऐसे लोगों से जो पढ़े-लिखे कम हैं या कतई पढ़े-लिखे नहीं हैं; क्योंकि जिस वक्त एम० एल० एज० और जिला बोर्ड के अध्यक्ष राय दे रहे थे जिला मैजिस्ट्रेट को तो हम लोगों के सामने हरिजन भाइयों के बहुत से नाम आये कि यह पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये पंचायतों में और इसका नतीजा यह हुआ कि बिना पढ़े-लिखे आदमी भी वहां रख लिये गये। ऐसी हालत में अब हम उन बिना पढ़े-लिखों से यह उम्मीद करें कि वे प्रोसीजर फालो करेंगे, यह सम्भव नहीं है। तो न्याय पंचायतों में आप जिन आदमियों को भेजें वह चुनाव से न जायं बल्कि मैजिस्ट्रेट को नामिनेट करने का जो अधिकार मिला है, उसमें एक परिवर्तन होना चाहिये और वह यह कि जो नामों की लिस्ट उनके पास आये, वह उनकी पूरी छानबीन करें और देख लें कि एक तो जो आदमी वहां जाता है वह काफी पढ़ा लिखा हो; जो ऐक्ट आदि है उनका अर्थ लगा सके और दूसरे वह ईमानदार हो, पार्टीबाजी का उस पर ज्यादा असर न हो। इस तरह के आदमियों को न्याय पंचायतों में हमें भेजना चाहिये। उनका गठन चुनाव से नहीं होना चाहिये और इस बात का ध्यान, मेरा खयाल है कि, माननीय मंत्री महोदय रखेंगे।

दूसरी बात टैक्स के सम्बन्ध में है। जब हम मुल्क का विकास करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर विकास में पैसा लगेगा और उसके लिये टैक्स लगेगा। टैक्स न लगे यह नहीं कहा जा सकता; लेकिन ग्राम पंचायतों में जो टैक्स लगता है, जिला बोर्डों में जो टैक्स लगता है, वह इतने मनमाने ढंग से लगता है कि उससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। टैक्स लगाने का जो तरीका है वह भी गलत है और जिन लोगों के हाथ में वह काम है उनको फुर्सत नहीं है। मिसाल के तौर पर जिला अन्तरिम परिषद् में असेसमेंट और वसूली का काम है। इन दोनों कामों के लिए एक समिति है जो असेसमेंट भी करती है और आब्जेक्शन्स भी सुनती है। उस समिति के सदस्य राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और उनको फुर्सत नहीं रहती, बहुत सारा काम उनके जिम्मे होता है और वह एक दो दिन के लिये ही जाते हैं। नतीजा यह होता है कि आब्जेक्शन्स की सुनवायी ठीक ढंग से नहीं होती और टैक्स विभाग में जो लोग काम करते हैं, उनके जरिये ही वह सारा काम होता है और मनमाने तौर पर वे काम करते हैं। वे पैसा भी उठाते हैं और लोगों पर इस कारण गलत टैक्स भी लग जाता है। यह भी होता है कि बहुत से ऐसे लोगों पर टैक्स लग जाता है जो टैक्स कलेक्टर या असेसिंग अफसर को खुश नहीं कर पाते। इन सारी बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। टैक्स ऐसा होना चाहिए कि जिसका बोझ गांव वालों पर कम हो। गांव वाले जब शहर में अपना सामान खरीदने आते हैं तो यूं ही उन पर शहर का काफी टैक्स लग जाता है और वैसे भी उनकी आदमनी शहर की आमदनी से कम है। इस तरह से उनको ज्यादा टैक्स का बोझ उठाना पड़ता है। इन संस्थाओं का टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो बोझिल सिद्ध हो।

इन सारी बातों के अतिरिक्त मैं चन्द बातें और कहना चाहता हूं। एक अन्तरिम जिला परिषद् के प्रधान की बात है। मैं इस बात का कतई विरोधी हूं कि इन संस्थाओं में भी सरकारी व्यक्ति प्रधान का पद ग्रहण करें। उसूलन उसको वहां नहीं रखा जाना चाहिये। उसके हाथ में सरकार की ओर से इतने अधिकार दे दिये गये हैं कि वे काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं और लोकतन्त्र में जब हमने मान लिया है कि हम एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी लोकतन्त्र के उसूल को ध्यान में रख कर जल्दी से जल्दी यह होना चाहिये कि जो जिला मैजिस्ट्रेट वहां का प्रेसीडेंट होता है, उसकी जगह जो व्यक्ति उसमें हों उन्हीं को यह अधिकार हासिल होना चाहिये कि अपना अध्यक्ष चुन लें। अध्यक्ष को गैर-सरकारी आदमी ही होना जरूरी है।

दूसरी बात पंचायतों को मजबूत करने के बारे में कहना चाहता हूं। अभी हाल ही में कोआपरेटिव विभाग की तरफ से यह बात कही गयी है कि गांव के स्कूल, पंचायतें और

कोआपरेटिव संस्थायें, ये तीन आधार हैं जिनके जरिये हम विकास कर सकते हैं। इसलिये इन पंचायतों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक, जो आप का हौसला है, वह पूरा नहीं हो सकता । इसलिये गांव सभाओं के सदस्यों की ट्रेनिंग के लिये, उनपर सरकारी अफसरों के अधिकारों को कम करना चाहिये और उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। इन बातों के साथ में माननीय गौरीशंकर राय जी के इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिये हैं और कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन जिन कुछ कमियों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है और जो अपूर्ण सूचना पर आधारित है या जिनको कार्यान्वित करने में हमारे सामने कठिनाइयां हैं, उनके बारे में जरूर मैं कुछ प्रार्थना करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि यह पंचायतें, स्थानीय प्रशासन की सब से छोटी इकाई हैं, इनको जहां तक हो सके मजबूत बनाया जाय और इनको अधिक से अधिक जिम्मेदारी दी जाय ताकि वे कार्यकुशल बन सकें और गांव की बहुमुखी योजनाओं में उनका पूरा सहयोग हो सके। इसके लिये उनका पूरा-पूरा पथ-प्रदर्शन किया जाय और उनको इस योग्य बनाया जाय। ऐसा जब लोगों का खयाल है तो हम समझते हैं कि पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिये सभी एकमत हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

पंचायतें आगे बढ़ सकें और वे आजादी के साथ अपना कार्य कर सकें, इसी दृष्टि से न्याय पंचायतों के स्तर पर, ब्लाक्स के स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश-स्तर पर, पंचायतों के सम्मेलन किये जाते हैं, जहां कि सदस्य इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर अपने विचार प्रकट करते हैं; पंचायतों की कठिनाइयों के बारे में विचार करते हैं और-अपने अपने सुझाव देते हैं। यही नहीं इसके लिये हमने दो कमेटियां बना दी हैं जिससे कि वे अपने-अपने कामों का बंटवारा कर सकें और बंटवारा कर के उसका एक हिस्सा कृषि उत्पादन पर ध्यान दे तथा दूसरा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को देखे। इस तरह से जरूर उनका काम अच्छा होगा। उनके लिये वहां ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया गया है जिससे वे अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें।

पंचायतों के चुनाव के बारे में खासतौर से कहा गया है। इस सम्बन्ध में अब तक जो प्रणाली थी और है, हम मानते हैं, वह दोषपूर्ण है। इस तरह से जो हाथ उठाने की प्रणाली है उसके द्वारा कभी-कभी जो सही आदमी होते हैं वे चुनाव में नहीं जा पाते हैं और जो आतंकवादी होते हैं, जिनके डंडे का बोलबाला होता है, वे चुन जाते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए अब यह किया गया है कि प्रधान का जो चुनाव हो, वह गुप्त मतदान द्वारा हो। अब सवाल यह है कि बाकी चुनाव गुप्त मतदान द्वारा क्यों न कराये जायं ? अगर प्रधान का चुनाव इस तरह से कराने में अच्छा है तो बाकी कराने में क्या कठिनाई है, उसकी तरफ मैं कुछ ध्यान आकृष्ट करूंगा।

पहली बात तो यह है कि इस मामले में इतने पैसे की जरूरत होगी कि शायद उस खर्चे को बरदाश्त करना लोग मुनासिब न समझें। आमतौर से अगर चुनाव कराया जाय, बगैर गुप्त मतदान के, तो १०-११ लाख रुपया खर्च होता है। इस बार सिर्फ प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान से किया जा रहा है और उसमें ५८,६७,००० रुपया खर्चा होगा, यानी ४८ लाख रुपया अधिक खर्च बढ़ा है, सिर्फ प्रधान का गुप्त मतदान कराने में। अब जितना पैसा खर्च किया जाय अगर उस खर्चे के मुताबिक लाभ होने वाला हो तो वह बरदाश्त किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन अगर उसको करने के बाद उतना लाभ होने वाला हो तो उसको इस्तेमाल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोचना पड़ेगा कि एक बैलट बाक्स रख देने से काम नहीं चलने वाला है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें जो छोटी से छोटी गांव पंचायत थी उससे १७ सदस्य चुने गये थे। तो दो पार्टी अगर गांव पंचायत के चुनाव में

[श्री जयराम वर्मा]

हिस्सा लेती हैं और हर पार्टी हर एक सीट के लिये अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो ३४ उम्मीदवार कम से कम उसमें भाग लेंगे। उसके लिये एक बैलट बाक्स रखकर चुनाव करना सम्भव नहीं होगा। साथ ही जब कि वहां की जनता पढ़ी-लिखी नहीं है, और वह उन ३४ आदमियों के सिम्बल याद रख सकें, यह शायद सम्भव नहीं होगा। जब वे ५–६ लोगों को वोट देने जाते हैं तो नोट करके जाते हैं, तो वे लोग इतने नाम या सिम्बल कैसे याद रख सकेंगे। इस तरह से वह चांस की वोटिंग हो जायगी कि कहीं का कहीं निशान लगा दिया। इस तरह से हाथ उठाकर जहां कोई वोट दे रहा है तो वह समझ-बूझ कर दे रहा है, चाहे थोड़ा-सा डर हो, लेकिन गुप्त मतदान में और भी खराबी आयेगी। उसके लिये यह करना पड़ेगा कि कम से कम ६ टुकड़े कांस्टीटुएंसी के करने पड़ेंगे।

श्री नंदराम---निर्वाचन क्षेत्र तो पहले ही बने हुए हैं, १०–१० निर्वाचन क्षेत्र हैं एक एक पंचायत में।

श्री जयराम वर्मा---अगर १५० वोटर हैं तो प्रत्येक कांस्टीट्युएंसी में २५ वोटर पड़े। अब किस तरह से वोटर लिस्ट बनेगी। १ घर से लेकर १० घर तक एक कांस्टीट्युएंसी, ११ से लेकर २० तक दूसरी, २१ से ३० तक तीसरी बनेगी। आम तौर से एक ही खानदान के लोग १ घर से लेकर १० घर तक होंगे; क्योंकि ज्यादातर गांवों के पास-पास ही खानदान बसे होते हैं, तो उसका परिणाम यह होगा कि जहां पर एक आदमी के चुने जाने के लिये जरूरत इस बात की थी कि गांव भर के लोग उसको पसन्द करते और चुनते, अब, यदि केवल ६ घर पसन्द करते हों तो वह चुन लिया जायगा और इस तरह से आपसी झगड़े बढ़ेंगे और जातिवाद पर वोटिंग हो जायगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि जहां पर हाथ उठा कर वोटिंग हम करा रहे हैं उस प्रथा को हटा कर इतना पैसा खर्च करके चुनाव कराया जाय और चुनाव में सिद्धांत का नाम न रह जाय। कांस्टीटुएन्सी जितनी छोटी होगी उतना ही सिद्धान्त से परे वहां पर वोटिंग होगी। हम नहीं चाहते कि सिद्धान्त से परे वोटिंग हो। प्रधान तो गांव भर से चुना जायगा उसके लिये तो कांस्टीटुएन्सी बड़ी हो जायगी, इसलिये इस पद पर तो लोग सोच समझ कर अच्छे आदमी को चुन सकते हैं, लेकिन पंचों के लिये अगर कांस्टीटुएन्सी छोटी होगी तब सिद्धान्त के हिसाब से उनका चुनाव होना संभव नहीं होगा, इसमें बड़ी कठिनाई आयेगी। जितना ही आप वोटिंग के तरीके को पेचीदा बनायेंगे उतना ही उसका बुरा परिणाम होगा, उतने ही ज्यादा एलेक्शन पेटीशन्स होंगे और दूसरे झगड़े पैदा होंगे। इसलिये बड़ी से बड़ी कांस्टीटुएन्सी में चुनाव हो, वह ज्यादा अच्छा होगा। सदस्यों को इस कठिनाई की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस पर पैसा भी खर्च किया जाय और उसके परिणाम भी अच्छे न हों तो उससे क्या फायदा होगा।

मौजूदा प्रणाली के अनुसार एक आदमी उतने वोट हाथ उठाकर देता है जितने कि उम्मेदवार होते हैं। श्री नन्द राम गुप्त ने एतराज किया, उनका मतलब शायद यह था कि एक वोटर को एक उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिये। इस सिद्धान्त को अपनाने से बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी क्योंकि आप गिन नहीं पायेंगे और हिसाब नहीं रख सकेंगे कि किसने एक बार वोट दिया और किसने दो बार दिया। अच्छा तो यही है जो मौजूदा प्रणाली है कि हर वोटर को उतने वोट देने का अधिकार होना चाहिये जितने कि उम्मीदवार हों। अगर यह कर दिया जाय कि एक वोटर एक उम्मीदवार को ही वोट दे तो इससे मामला बड़ा पेचीदा हो जायगा। आज का जो तरीका है वह अच्छा है, इसपर भी आपको अच्छी तरह से गौर करना है।

श्री भूपकिशोर---इस प्रणाली से जो कम तादाद में लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इसलिये एक आदमी को एक ही कैण्डीडेट को वोट करना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा---इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा बैलेट द्वारा वोटिंग कराने पर कभी यह संभव नहीं हो सकेगा कि एक वोटर ३४ सिम्बल्स को याद रख सके। उस स्थिति में चुनाव केवल चान्स पर निर्भर करेगा, इत्तफाक से उसने किसी के सामने निशान लगा दिया। किसी प्रकार से यह समझ बूझ कर बोटिंग नहीं हो पायेगी, चान्स की वोटिंग हो जायगी।

श्री नन्दराम---मैं शायद मंत्री महोदय को ठीक से समझा नहीं सका। मेरा मतलब सभापति के चुनाव से था। ग्राम सभाओं के पिछले चुनाव में ऐसा था कि अगर तीन उम्मीदवार हैं तो मतदाता को अधिकार था कि वह तीनों को वोट दे सके। इसलिये अगर इस बार भी वही प्रथा रही तो उसका बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। गुप्त मतदान में भी कहीं इसी प्रकार की व्यवस्था न रखी जाय।

श्री जयराम वर्मा---गुप्त मतदान में कोई वोटर तीन उम्मीदवारों को कैसे वोट देगा, वह तो एक ही वोट दे सकेगा।

दूसरी बात यह कही गई कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये जाते हैं, उनको निर्माण के काम के लिये पैसा नहीं मिलता है, या पैसा लेने में उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक सर्क्युलर निकाला गया है। उसके द्वारा यह किया जा रहा है कि पंचायतों के काम में जो रुकावट होती है, वह न हो। १ अप्रैल, १९६० से यह व्यवस्था की गयी है कि गांवों की सफाई, स्वास्थ्य, यातायात के विकास संबंधी जो अनुदान हैं; उनको इकट्ठा कर दिया जाय और उसको इकट्ठा करके गांवों की आबादी के अनुपात में पंचायतों को बांट दिया जाय। जब यह रुपया उनको मिल जायगा तो उनको यह अधिकार होगा कि वे उसको चाहे जि काम पर खर्च करें। जिन कामों की उनको स्वीकृति दी गयी है, उन कामों में से किसी पर भी खर्च करें।

इसके अलावा एक दिक्कत यह भी थी कि जो ग्राण्ट उनको मिलती थी, उसके लिये उनको अपना मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन भी देना होता था तभी वे उस काम को कर सकते थे। यह दिक्कत भी हटा दी गयी है। अगर उनके पास पैसा है तो वह उसके साथ उसको खर्च करें वरना इसी रुपये को खर्च करें। लेकिन यह उम्मीद अवश्य की जाती है कि वे चाहें तो पैसे के रूप में या चाहे श्रमदान के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन अवश्य देंगे और आशा है कि जितना पैसा दिया जायगा उससे दुगना काम हो जायगा।

अब पहली साल तो यह रुपया दिया जा रहा है आबादी के अनुपात से, लेकिन दूसरे साल से यह नियम बना रहे हैं कि १९६१-६२ में जो अनुदान दिया जायगा, वह इन बातों को देखकर दिया जायगा कि उन्होंने पिछले वर्ष में कितना काम किया है, कितना पैसा अपनी तरफ से लगाया है, उस काम के करने में कितनी दिलचस्पी दिखायी है, हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के बारे में कितनी दिलचस्पी दिखायी है और आगे की उनकी क्या योजना है आदि बातों को देखकर रुपया दिया जायगा। इससे होगा यह कि जो अच्छा काम करने वाली गांव सभायें होंगी उनको अगले साल अधिक रुपया मिल जायगा और जो ठीक काम करने वाली न होंगी उनको रुपया कम मिलेगा। इसमें सिर्फ पहाड़ों का इलाका छूट गया है, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है।

अब गांवों में कुछ निर्माण कार्य होते हैं, जैसे--स्कूल की इमारत, पंचायत घर, पुलिया, छोटी-छोटी सड़कें आदि कामों को पंचायतें अब अपने आप ही करायेंगी। ठेकेदार द्वारा काम कराये जाने में जो शिकायतें होती थीं, अब वे न होंगी।

श्री भूपकिशोर---जो काम न करे उसको आप रुपया नहीं देंगे, यह तो बात ठीक नहीं है। इससे तो उनका उत्साह और भी मर जायगा।

श्री जयराम वर्मा---अगर गांव का प्रधान काम नहीं करवाता है तो पंच लोग उस पर दबाव डालें कि वह उस काम को कराये नहीं तो वे बदनाम होंगे। इससे उत्साह भंग होने वाला नहीं है, इस स्कीम से उत्साह और बढ़ेगा।

एक बात यह कही गयी कि पैसा लेने में दिक्कत होती है, भ्रष्टाचार होता है। इस दिक्कत को भी दूर किया गया है। गांव पंचायतों का एकाउण्ट पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में खोल दिया गया है। उनका पर्सनल लेजर में जो रुपया था वह भी इस एकाउण्ट में चला जायगा। इस प्रकार से पैसा मिलने में जो उनको दिक्कत होती थी वह भी दूर हो जायगी। क्योंकि अब पैसा ग्राम पंचायतों के ही एकाउण्ट में रहेगा उसमें से वे खर्च कर सकेंगी और जो दिक्कतें हैं वे नहीं रह जायेंगी। अब यह कि पंचायतों का धन कुछ बढ़ाया जाय ताकि वे अधिक से अधिक सेवा कर सकें, इसके लिये हमने बतलाया कि यह इन्तजाम किया जा रहा है कि जो विकास संबंधी ग्रान्ट्स हैं वे उनको सीधे मिल जायं तो उनके पास पैसा भी बढ़ जायगा और जो काम वे करना चाहेंगे वह भी आसानी से हो जायगा। पैसा बढ़ाने की बात हम आगे भी सोचेंगे, लेकिन पहले जो पैसा मिल रहा है उसका वे सही इस्तेमाल करें तभी हम इस बात को सोचेंगे कि उनको और पैसा मिले। उस पर विचार भी हो रहा है और इस तरह का कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है कि रेवेन्यू में से भी कुछ हिस्सा दिया जाय। लेकिन उस मामले पर कई बार विचार हो चुका है और आगे भी विचार होगा ताकि जितना ज्यादा वे काम करना चाहते हैं, उसके लिये उनको प्रोत्साहन मिले और उनके काम में हर तरह से मदद की जाय जिससे वे और अच्छा काम करें।

श्री भूपकिशोर---इसको आबादी के हिसाब से रखें और जो ग्राम पंचायतें अच्छा काम करें, उनको इनाम दिया जाय।

श्री जयराम वर्मा---अगर आप आबादी के हिसाब से रुपया रखेंगे तो दिक्कत होगी। हां, यह बात सही है कि ग्राम पंचायतों की जो जायदाद है उसकी ठीक प्रकार से रक्षा नहीं हो पा रही है। उसकी रक्षा होनी चाहिये, लेकिन उसमें सब के सहयोग की जरूरत है। अगर सब लोगों का सहयोग हो और हम सब लोग मिलकर पंचायतों की मदद करने को तैयार हों तो उनको अपनी जायदाद की रक्षा करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे तो उनको दिक्कत होगी और उन दिक्कतों को सामने रखते हुए वे पंचायतें अपने को निस्सहाय महसूस करेंगी। उनको जितनी ही मदद होगी उतना ही वे काम अच्छा करेंगी और अपनी जायदाद की रक्षा भी कर सकेंगी। हां, उनकी जायदाद की रक्षा के लिये अदालतों में जो मामले चलते हैं, उसके रास्ते में कुछ कठिनाई हो सकती है और संभव है कि वकील उस काम में ठीक से दिलचस्पी न लेते हों। लेकिन इस काम में भी अगर हम इन पंचायतों की मदद करें और उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें तो जरूर ऐसा होगा कि जो सरकारी वकील की दिक्कतें हैं, वे दूर हो सकती हैं। अगर कोई पर्टिकुलर दिक्कत सामने आवे तो उसमें मदद की जाती है लेकिन अगर उनकी तरफ ध्यान न देकर सब कुछ पंचायतों के ऊपर ही छोड़ दें तो कोई काम होने वाला नहीं है।

जहां तक पंचायत मंत्रियों के ट्रांसफर की बात है, यह सही है कि उनके ट्रांसफर के संबंध में आदेश जारी हो चुका है कि साधारणतया वे अपने घर के ब्लाक में न रखे जायं और अपने घर से २५ मील की दूरी पर ही रखे जायं। २५ मील की जगह २४,२३ या २२ मील या २६,२७ मील भी हो सकता है। साथ ही साथ यह भी आदेश है कि जिन पंचायत मंत्रियों का काम अच्छा है और जिनके काम को बहुत अच्छा समझेंगे, ए० पी० ओ० या डी० पी० ओ० तो वे उनको रोकने के लिये भी सिफारिश कर सकते हैं और रोक सकते हैं। उसमें कोई रुकावट या बाधा नहीं है। यह इसलिये किया गया है कि इस तरह की बहुत-सी शिकायतें थीं कि ये लोग नजदीक रहने से अपना

काम ठीक से नहीं करते हैं और अपने घर के काम में लगे रहते हैं। इसी दृष्टि को सामने रख कर यह आदेश जारी किया गया है कि जिन पंचायत मंत्रियों का काम अच्छा हो उनको नजदीक भी रखा जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। शिकायत में कहा गया है कि वे लोग दूर रहें जिससे कि उनका काम अच्छा हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अब इस आदेश से शिकायत कैसे दूर होगी?

श्री जयराम वर्मा--जो लोग घर पर अधिक रहते थे वह अब नहीं रह सकेंगे, इससे वह काम अच्छा कर सकेंगे। यह ठीक है कि अभी टैक्स लगाने में और उसकी वसूली में कुछ नुक्स हैं, वह ठीक होने चाहिये। लेकिन आंकड़े देखने से पता चलता है कि टैक्स लगाने के संबंध में और उसकी वसूली के तरीके में अब सुधार हो रहा है और जो हमारे पंचायत इंसपेक्टर और सेक्रेटरीज हैं उनके काम में भी सुधार हो रहा है।

***श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)--अधिष्ठात्री महोदया, अभी सभी माननीय सदस्यों ने माना है कि चुनाव पद्धति दोषपूर्ण है। यह भी बताया गया कि प्रधानों का चुनाव आगे बैलट बाक्स द्वारा होगा, लेकिन इसके साथ ही जो न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव है, उसका क्या तरीका रखा गया है? पिछला जो चुनाव हुआ उसमें काफी गड़बड़ी रही, वे चुनाव सेक्रेटरियों, लेखपालों और हाकिम परगना की सिफारिशों पर कराये गये और उनमें ऐसे लोग पहुंचे जो एक ही पार्टी से संबंधित थे। जिनकी कोशिशें और सिफारिशें थीं उन्हीं को वहां पर पहुंचाया गया।

इस तरह से न्याय पंचायतों की जो दशा है वह बहुत ही शोचनीय है और खास तौर से उस दशा में जब कि उनको अधिकार इतने बड़े दिये गये हैं कि ५०० रुपए तक दीवानी के और माल के और फौजदारी के मामले वह तय कर सकते हैं, तो उनके पंचों के चुनाव की भी सही व्यवस्था होनी चाहिये। जिस प्रकार प्रधानों के चुनाव का तरीका बदला गया है इसी प्रकार इन पंचों के चुनाव का तरीका भी होना चाहिये। आज गांव पंचायतों के लिये कहा जाता है कि उनको अच्छा बनाया जाय, उनको मजबूत बनाया जाय, लेकिन उनके चुनाव में काफी गलत तरीके बरते जाते हैं। आज प्रधानों की जगहें एक साल, दो साल और तीन साल से खाली पड़ी हैं लेकिन वहां चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जालौन में और हमारे यहां फर्रुखाबाद में भी ऐसी ही शिकायत है कि पंचायतों के रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो रही है और न उनको भरने की कोई कोशिश की जाती है। प्रधानों के चुनाव भी उन्हीं पंचों के द्वारा करा लिये जाते हैं।

यह भी कहा जाता है कि शुद्ध जल के कुओं का निर्माण हुआ, यातायात के साधनों को बढ़ाया गया और कर की वसूली भी अच्छी हुई। ठीक है, शुद्ध जल के लिये अच्छे कुएं बनाये गये लेकिन यदि माननीय मंत्री जी गांव में जाकर देखें तो पता चलेगा कि यह जो गांव है, जहां लोग बसते हैं वहां तो वह बना ही करेंगे, लेकिन जो पिछड़े या तराई के इलाके हैं या नदियों के किनारे बसे हैं, जहां कि आज भी लोग रेतीला पानी पीते हैं, पक्के कुएं नहीं हैं। सेक्रेटरी वहां रहते हैं लेकिन कभी कोशिश नहीं करते कि वहां अच्छे शुद्ध जल के पक्के कुएं बनाये जायं, गांव वालों को प्रोत्साहन दें, उनसे उस कार्य को करायें। आप ने कहा कि हमने २५ मील का आदेश दिया है, लेकिन अब भी वे एक-एक दो-दो मील पर हैं, उनके हैडक्वार्टर निश्चित नहीं हैं, वहां जाओ तो वह नहीं मिलते। गांव वाले अब भी कहते हैं कि आधा रुपया सेक्रेटरी से कुओं के लिये मिलता है। हरिजनों को कुआं बनाने के लिये पूरी मदद मिलती है। लेकिन वह कहते हैं किस प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

हमको पैसा मिले ? हमको कोई दिलाने वाला नहीं है, बतलाने वाला नहीं। अगर सेक्रेटरी से इस बात के लिये कहा जाय तो वह कहता है कि मैं कोशिश करता हूं। सच बात तो यह है कि वह पार्टीबाजी के चक्कर में रहता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार जो आदेश करे उसका पूर्णतया पालन होना चाहिये।

यह कहा गया कि अच्छा सेक्रेटरी अपने गांव के पास में भी रह सकता है। इससे तो आपके आदेश का पूर्णत: पालन हो हो जायगा क्योंकि जिसको वहां के जोरदार लोग चाहेंगे, वह वहां बना रहेगा, चाहे काम करे या न करे। इसलिये आपके आदेश साफ-साफ होने चाहिये कि सेक्रेटरी अपने गांव से २५ मील की दूरी पर रहे। जो आपने छूट दे रखी है उसका परिणाम मेरे जिले में यह हुआ कि उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वहां के लोगों ने दौड़ धूप को और उसका तबादला मन्सूख किया गया। इस तरह आपके आदेशों का पालन नहीं हो सकता। जैसा कार्य आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। पंचायत सेक्रेटरी को नक्शे देने पड़ते हैं, वह निर्माण कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता।

न्याय पंचायतें तो पार्टीबन्दी पर चल रही हैं। एक ही पार्टी के सरपंच, सहायक सरपंच और पंच हैं। एक ही सरपंच बिना कोई बेंच बनाये अकेले खुद फैसला कर देता है। अगर कोई आदमी निगरानी के लिये जाता है तो उसका काफी पैसा खर्च होता है, काफी परेशानी होती है। आगे चल कर मुकदमा खारिज भी हो जाता है लेकिन जितने की डिग्री हुई उससे ज्यादा उसका दौड़धूप में खर्च हो जाता है। इसलिये इसका खयाल रखा जाय कि अच्छे लोगों का चुनाव हो।

मंत्री जी ने कहा कि पंचायतों को सीधे रुपया देने की बात है। अगर आपके कर्मचारी ठीक रहें तो इससे काफी काम हो जायंगे। अभी तक लोगों को अनुदान ही नहीं मिलता था, खासकर पिछड़े हुए गांवों को—ऐसे गांवों में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है।

टैक्सों की बात जो कही गई कि टैक्सों में वसूली अधिक हुई है, यह अच्छी बात है, लेकिन किस प्रकार से हुई इसका पता शायद मंत्री जी को नहीं है। वहां पर पुलिस को ले जाकर, धमका कर, जानवरों को खोल कर ८,१० साल के टैक्सेज वसूल किये जा रहे हैं। मंत्री जी ने बताया है कि पंचायतें टैक्स माफ कर सकती हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें सेक्रेटरी प्रधान के पास पहुंचे और उससे कहा कि टैक्स वसूल होना चाहिये तो प्रधान कब कहेगा कि नहीं होना चाहिये। इसलिये सरकार की तरफ से आदेश होना चाहिये कि पुराने टैक्सेज वसूल नहीं होने चाहिये।

जिन जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा पंचायत टैक्स दोनों लग रहे हैं, जैसे फर्रुखाबाद जिला है, वहां लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिये साफ नीति होनी चाहिये कि एक ही विभाग के दो-दो टैक्स एक आदमी पर न पड़ें। उससे फर्रुखाबाद जिले में विशेष परेशानी हो रही है और मैं चाहूंगा कि यह मसला साफ किया जाय।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, यह अनुदान जो स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। यह स्वायत्त शासन ही हमारी सरकार में एक ऐसा विभाग है जिसको जनतंत्र प्रणाली विभाग कहा जा सकता है और वह ८५ प्रतिशत जनता, जो देहातों में आबाद है उसको भी इससे कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें जो अनुदान की रकम है उसको देखने से मालूम हुआ कि यह विभाग उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है और जो आलोचना इसकी हो रही है उसको सुन कर यह मालूम होता है कि महज नाम मात्र के लिये यह जनतंत्र के लाभ का विभाग है। यह सब देख व सुन कर दुख होता है। जहां पर अधिकारों का मामला है, इसको पूर्ण

अधिकार प्राप्त नहीं हैं। फिर जो कटौती का प्रस्ताव देखा तो ज्ञात हुआ कि प्रस्तावक महोदय ने धरती फाड़ दी। इस अनुदान में मांग तो यह की जाती है कि अनुदान और बढ़ाया जाय लेकिन उनका प्रस्ताव है कि उसको कम कर दिया जाय और इसकी राशि एक रुपया कर दिया जाय। जनता सुनेगी तो उनकी प्रशंसा नहीं करेगी।

इस विभाग में जो वकील ग्राम समाज के मुकदमें करने के लिये रखे गये हैं, वह अधिकार स्वयं ग्राम समाज को मिलना चाहिये था कि स्वयं अपने मुकदमों के लिये जिस वकील को चाहे वह रख ले। उसके ऊपर एक वकील लाद देना कुछ उचित नहीं है। ऐसा वकील दिलचस्पी से काम नहीं करता। उससे कम रकम में भी दूसरा वकील ग्राम समाज को मिल सकता है।

मैं न किसी का जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं और न विभाग की प्रशंसा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके जवाब के लिये विभाग द्वारा पुस्तिका छपी है वह पढ़ ली जाय और जवाब देने के लिये हमारे इस विभाग के मंत्री महोदय काफी योग्य हैं और उनको जनतंत्र में पूर्ण विश्वास है, आस्था है, और इसके अतिरिक्त संपूर्ण ज्ञान है, वे इस सम्बन्ध में कहेंगे।

मैं अपनी एक बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं, वह यह है कि अन्तरिम जिला परिषद् का विधेयक, जैसा कि दूसरे भाइयों ने कहा, सुना जाता है कि वापस लिया जा रहा है; और वापसी के साथ उसमें जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अधिकार प्रदान किया जायगा और वह अधिकार यही नहीं कि उनको वोट देने का अधिकार होगा बल्कि वह प्रेसीडेण्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा अधिकार रखेंगे और सारा दायित्व डिप्टी कमिश्नर के ऊपर ही रहेगा। अगर इसी तरह का परिषद् जनतन्त्रिक कहा जाय तो यह हमारे और हमारी सरकार के लिये बहुत दुख की बात है। बड़ी आशा थी कि जनतन्त्र प्रणाली के अनुसार जिला अन्तरिम परिषदों का चुनाव होगा और उसके जनता के चुने हुए प्रेसीडेंट को पूर्ण अधिकार होंगे। पर अब सुनते हैं कि डी० एम० को पूर्ण अधिकार होंगे, हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा होगा अर्थात् डी० एम० के मातहत प्रेसीडेंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सारे अधिकार ज्यों के त्यों डिप्टी कमिश्नर के पास बने रहें और डिप्टी कमिश्नर की आंखों के इशारे पर मेम्बर चलें और उनके आने पर खड़े हो कर उनका स्वागत करें। ऐसे चुनाव से मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं है। बांझ अच्छा है, पुत्र न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पुत्र हो तो योग्य हो।

हमारे यहां ग्राम पंचायतों में दुधारिया कानून हैं। आजतक गांवों में हमने देखा है कि वहीं ग्राम सभा है और वहीं ग्राम समाज है और दो कानून लागू होते हैं। इसके कारण बड़ी दिक्कत होती है और ग्राम समाज और सरकारी अधिकारियों में कभी-कभी बड़ा मतभेद हो जाता है। मैं एक छोटी-सी घटना बताना चाहता हूं। मेरे पड़ोस में एक गांव मथुरपुर है जहां ५०० बीघे की आराजी है जिसका पूर्ण दायित्व ग्राम समाज के ऊपर है। ग्राम समाज ने प्रस्ताव पास करके उसका वितरण किया। डिप्टी कलेक्टर ने उसमें दखल दिया और कहा कि यह वितरण ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मेरा मत है कि एक दूसरे गांव के आदमियों को ६० बीघे जमीन दे दी जाय। ग्राम समाज के लोगों ने कहा कि यह तो प्रस्ताव पास हो चुका है और मथुरपुर के भूमिहीनों को जमीन दी जा चुकी है, हम कैसे करें? मुझसे भी उनकी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर की बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात हार चुका हूं। मैंने एक वकील का नाम लेकर कहा कि उस आदमी के लिये कह रहे हैं न? उन्होंने कहा, हां। तो मैंने कहा कि वह तो आपका रिश्तेदार होता है, आप को कोई अधिकार नहीं है ऐसा करवाने का कि जमीन दूसरे गांव के भूमि वालों को दें। वह जमीन भूमिहीन लोगों में बांटी गई थी जिन में अपवाद के रूप में चाहे दूसरे वर्ण के लोग हों, बाकी सब हरिजन लोग हैं। लेकिन हाकिम परगना के इशारे पर गुंडों को इकट्ठा करके उन पर हमला किया गया और हमला ही नहीं हुआ बल्कि उनका जो गल्ला था ४०-५० मन वह वे उठा ले गये, हल उठा ले गये, बैल खेद ले गये। इसकी रिपोर्ट

[श्री गुप्तारसिंह]

थाने में को गयो, कुछ नहीं हुआ। डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि हमने तो कह दिया था कि अगर ६० बीघा जमीन गोंडा वालों को न दोगे तो शान्ति न रहेगी। अब सुनता हूं कि किसी व्यक्ति ने एक दीवानी का मुकदमा ग्राम समाज के नाम किया है और उसमें डी० एम०, एस० डी० एम० गवाह हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती और ज्यादती की तरफ मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठात्री महोदया, यह जो अनुदान चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके जो इन्चार्ज मिनिस्टर हैं उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि मन्त्री जी को अपनी सच्चाई के कारण, गांधी जी के साथ रहने के कारण या चरखा संघ में काम करने के कारण इस विभाग में काम करने में अड़चन होती होगी, दिक्कत होती होगी। अक्ल उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन वह उसका दृष्टिकोण नहीं पकड़ पाते।

मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जिसकी चर्चा की जाय। सदस्यों के गुप्त चुनाव के बारे में उपमंत्री जी ने कहा कि उससे खर्चा बढ़ जायगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब एक सिद्धान्त को आप गलत मान चुके हैं और फिर भी आप कहते हैं कि इसमें खर्चा बहुत पड़ेगा, इसलिये उसे नहीं कर सकते, यह गलत है। आप का विभाग कमाऊ विभाग नहीं है। जहां पर ५८,६०,००० रुपये के खर्चे की बात कही गयी है, वहां पर यह भी बजट में दिया है कि ७२ लाख की आमदनी भी होगी। इस तरह से १३,४०,००० रुपये की बचत है और इसके अलावा जो टिकट सदस्यों के चुनाव के बेचे जायंगे उसकी आमदनी कहां जायगी? सरकार कुछ बनिया होती जा रही है। सरकार चाहती है कि इतना खर्च न हो तो ठीक है। क्या आप यही न्याय देने आये हैं? इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वर्त्तमान चुनाव प्रणाली में बुराइयां हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसे की कमी है, इसलिये नहीं कर सकते हैं। इसलिये दोनों चीजें एक साथ नही चल सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि मंत्री जी कहते हैं कि ३४ उम्मीदवारों के नाम जायंगे, इससे वोटर चक्कर में पड़ जायगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले नगरपालिकाओं के चुनाव में चार पांच पार्टियां आयीं और हर एक वार्ड से ४–५ उम्मीदवार थे। हर एक के अलग-अलग सिम्बल, जैसे-बैलों की जोड़ी चिन्ह में, किसी ने एक चक्कर किसी ने कई चक्कर और कहीं घन चक्कर थे। चार पांच पार्टियों के बीच में २०–२० सिम्बल थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई तो यहां कैसे आ सकती है। एक-एक वार्ड में चार-चार उम्मीदवार एक पार्टी, खड़े किये थे। आप पुराने रिकार्ड्स मंगा कर देखें। एक बार गुप्त मतदान का आप प्रयोग करके तो देखें कि नतीजा क्या होता है।

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह सब चतुराई पेट के लिये है। यह कानून में खामी है, उसे सुधारें। इसी बहाने से आप इतने दिनों से चुनाव टालते चले आ रहे हैं और आज तक आपने जिला बोर्डों के चुनाव नहीं कराये, इसलिये कि आज जो इतने अंतरिम जिला परिषद कांग्रेस पार्टी के हाथ में हैं वह कहीं चले न जायें। इस डर से सरकार चुनाव नहीं कराती है उन्हें यदि आप रखना चाहते हैं तो जल्दी करें। जितनी देर करेंगे उतना ही नतीजा अच्छा नहीं होगा महानगरपालिकाओं के चुनाव में देर की तो उसका नतीजा क्या हुआ? जहां जनसंघ की एक भी सीट पहले नहीं थी वहां आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में बहुमत से जनसंघ आया है। यही नहीं तीन-तीन मिनिस्टर वाराणसी में आपके हैं फिर भी वहां १४ सदस्य हमारे हैं और १७ कांग्रेस के हैं। कोई ऐसा विशेष अन्तर नहीं है। जितनी आप देर करेंगे उतनी ही जनता भयानक रूप से आपकी कमी में लायेगी। अगर वह चाहते हैं कि बने रहें तो समय पर चुनाव करा लें।

दूसरी बात यह है कि मैं अगर बड़े-बड़े सिद्धान्तों में जाऊंगा तो समय की कमी के कारण उन्हें समझा नहीं पाऊंगा, इसलिये स्थानीय समस्या पर कुछ अर्ज करूंगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

विभाग के बारे में कहा गया कि वहां खराब आदमी हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वहां अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग में एक भूतपूर्व इंजीनियर हैं जिनके प्रति जनता की हमेशा शिकायत रही है। ट्यूबवेल के मामले में उनके कारण बड़ा घपला रहा। जो जो बातें हुईं उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आजकल तो कांग्रेस का रवैया है कि जिसकी शिकायत होती है उसकी तरक्की कर दी जाती है। इसलिये अब हमें शिकायत करने से भी डर लगता है क्योंकि एक नियम बन गया है कि अगर कोई टीचर हो तो शिकायत होते ही वह वाइस-चांसलर हो जाता है, चीफ इंजीनियर हो तो स्पेशल आफिसर हो जाता है इसलिये हमें डर लगने लगा है। इसीलिये हमने अकोड़ा के सहायक पंचायत अधिकारी की शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। हमने सिर्फ यही कहा कि उनको तीन साल हो गये हैं उनका स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाय। लेकिन चूंकि वह यहां के एक गुट के हैं इसलिये वह पांच साल से अल्मोड़ा में बने हैं।

इसी तरीके से मैंने सुना है कि आप के सचिवालय के कुछ लोग इस बात की कोशिश में हैं कि श्री वर्मा साहब को, जो बड़ी मुश्किल से यहां से डेपुटेशन पर जा सके हैं और यह अंडर स्टैंडिग हुई थी कि वह फिर तशरीफ नहीं लायेंगे, मैं उन तमाम बातों पर प्रकाश डालना नहीं चाहता, फिर वापस बुलाया जाय। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि ट्यूबवेल में जो गड़बड़ी हुई, परसेंटेज वगैरा की बात मैं नहीं कहता, उनके लौटने से फिर भ्रष्टाचार होगा। इसलिए भगवान के लिये उन्हें वापस न लाइये।

मंत्री जी ने स्थानीय निकायों के सुपरसेशन के बारे में कहा। माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत कांग्रेसी बोर्डों को सुपरसीड किया और कितने प्रतिशत बाकी बोर्डों को सुपरसीड किया? मैं बताता हूं। अल्मोड़ा में विरोधी दल का बोर्ड था, इसी प्रकार अनूपशहर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, वृन्दावन, और कितने बोर्ड जनसंघ के थे; उनको एक के बाद एक को खत्म करने में आप ने क्या कोई कसर उठाई? लेकिन याद रखिये, जनता जहां की समझदार होती है, जैसा कि अल्मोड़ा में हुआ वहां पहले से ज्यादा विरोधी आते हैं।

अल्मोड़ा जिला बोर्ड में रूई खरीदी गई---१,३६५ रुपये टेंडर की रकम से ज्यादा दिये गये। मैं पहले सारी बातें कह चुका हूं। जीप की मरम्मत के लिये लखनऊ लाकर इस्तेमाल की गई, काठगुदाम में उसकी मरम्मत नहीं करवायी गयी और उसमें सैकड़ों रुपया ज्यादा खर्च हुए। बोर्ड के बंगलों में १९५७ के चुनाव का प्रचार करने वाले नेता लोग ठहरे, उनका किराया माफ कर दिया गया, बिजली का किराया तक माफ। बिना टेंडर के सामान खरीदा गया, उनमें बहुत सा रुपया गोलमाल हुआ, और बहुत से चार्जेज हैं, मैंने लिख कर दिये हैं। यहां पर प्रश्न किया जाता है तो जवाब मिलता है कि जिलाधीश की तत्सम्बन्धी रिपोर्ट का सदन में बताना जनहित में नहीं है। क्या मंत्री जी गबन पर परदापोशी करना जनहित समझते हैं?

अल्मोड़ा में आग लगी। लेकिन वहां पहले भी लगी थी। उससे पहले पिथौरागढ़ में आग लगी। उसके लिये पहले ही लिख दिया था कि फायर ब्रिगेड होना चाहिये। फिर रानीखेत जल गया। अब अल्मोड़ा भी फिर जल गया। मंत्री जी से जवाब क्या मिला कि अल्मोड़ा में फायरब्रिगेड रजिस्ट करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी-वैसी गलत बातें कैसे बतायी जाती हैं। माननीय मंत्री जी की आइसोलेटेड मिनिस्ट्री तो है नहीं, उनके मंत्री परिषद् की सम्मिलित जिम्मेदारी है, एक ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की होती है, इस नाते मैं माननीय मंत्री जी को कहता हूं और इस बात को दोहराता हूं। एक हमारे यहां किस्सा कहा जाता है। पहले नेपाल का राज्य था वहां। अल्मोड़े में एक बार आग लगी और उसकी खबर भेजी गयी तो छः महीने बाद जवाब आया कि पानी डालकर आग बुझा दो। यह उस जमाने की

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

बात है जब मोटर, रेल, तार या सड़कें नहीं थीं, आज वायुयान के जमाने में दो-दो साल तक हमारे खत का जवाब नहीं आता, यह शर्म की बात है।

एक बात पंचायत राज्य सेक्रेटरीज के बारे में कहनी है। जहां तक यह कहा गया कि २५ मील के अन्दर उनका ट्रांसफर हो सकता है, उसके बारे में मैं यह कहता हूं कि जहां जहां पर जो आदमी प्रभावी हैं, मैं अपने जिले के नाम ले लेकर गिना सकता हूं, जो पालिटिक्स में भाग लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाते हैं, वह अपने घरों के नजदीक हैं, जो अच्छे गेट बना सकते हैं, माननीय मंत्री जी का अच्छा स्वागत कर सकते हैं, दावत का अच्छा बढ़िया इन्तजाम कर सकते हैं, वह पंचायत के सेक्रेटरी, क्या डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार वगैरा सब की तरक्की इस बात पर होती है कि कितनी बढ़िया दावत वह माननीय मंत्रिगणों की कर पाते हैं। यह बिलकुल साफ बात है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। इन मंत्रियों को बिना शर्त घर से दूर रखना चाहिये।

श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। यह जानकर कि माननीय मंत्री महोदय ने सभापतियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करने का निश्चय कर लिया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं आशा करता हूं कि गांव सभाओं के सदस्यों का चुनाव भी, जहां तक सम्भव हो, सरल करने का प्रयास करें। वह भी अगर अप्रत्यक्ष कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गांव सभाओं को जो रुपया सरकार की तरफ से मिलता है उसके मिलने में इतनी कठिनाई होती है कि गांव समाज में कोई काम होना मुश्किल हो जाता है। उनको काम हो जाने पर भी रुपया प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ी रिश्वत आदि देनी पड़ती है जिससे उनको काम करने का उत्साह नहीं रह जाता। इसलिये वह रुपया बिलकुल उनके हाथ में दे दिया जाय और गांव सभाओं में बहुमत के द्वारा वह खर्च कराया जाय, तब आसानी से कुछ काम हो सकता है। साथ ही यह भी मुहकमे की तरफ से हिदायत भेजी जाय कि इंस्पेक्टर लोग कम से कम महीने में एक बार या कम से कम साल में एक बार हर गांव सभा का मुआयना कर लें और सेक्रेटरी लोग महीने में कम से कम एक बार हर गांव सभा में नाइट हाल्ट कर लें और अपने सामने पंचायतों की बैठक करा सकें तो गांवों की उन्नति में ज्यादा सहूलियत पैदा होगी।

बहुत-सी ऐसी गांव सभायें हैं जो इतनी कम आमदनी रखती हैं कि महीने में जो दो रुपये सेक्रेटरी को भत्ते के रूप में देना पड़ता है, उतने भर की भी उसकी आमदनी नहीं होती है। इसलिये वह भत्ता जो गांव सभाओं की तरफ से दिया जाता है उसको भरसक सरकार अपनी तरफ से दे और वह रुपया गांव सभाओं की उन्नति के लिए छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है; क्योंकि पहले पांच गांव सभायें एक सेक्रेटरीके अधिकार में होती थीं, अब दस बारह गांव सभायें एक सेक्रेटरी के अधिकार में होती हैं, उनमें ढाई सौ की आबादी वाले गांव भी सेक्रेटरी के हल्के में हैं। उनको भी दो रुपया महीना देना पड़ता है। ऐसे छोटे गांव की सारी आमदनी सेक्रेटरी के भत्ते भर को होती है इसलिये गांव की उन्नति करने के लिये कोई पैसा रह ही नहीं जाता। उस गांव में कोई बड़ी दूकान नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, फिर कौन-सा टैक्स और बढ़ाया जाय। आना रुपया जो कर का होता है वह तो सेक्रेटरी के भत्ते भर को हो जाता है। इसलिये वह भत्ता अगर सरकार अपने ऊपर बर्दाश्त करे तो गांव की उन्नति में मदद पहुंचेगी।

इसी तरह से गांव समाज का और गांव सभा का भेद मिटा करके एक कर लिया जाय तो ज्यादा सहूलियत हो। गांव समाज में कुछ आमदनी होती है, लेकिन गांव सभा में तो केवल कर का एक हेड है और कोई आमदनी का जरिया नहीं है। साथ ही मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वकील और मुख्तार गांव सभा के मुकदमे करने के लिये पेड रखे गये हैं सरकार की तरफ से, उनसे मजबूरन गांव सभा का काम कराना पड़ता है। वे लोग लालच में आकर फरीक से मिल कर अपना मतलब सिद्ध करते हैं। गांव समाज से तो उनको रिश्वत नहीं मिलती है लेकिन दूसरे फरीक से मिल जाती हैं और उनसे मिलकर वे सरकारी सम्पत्ति की हानि करते हैं।

इस तरह से गांव सभा की जो सम्पति थी यानी सरकार की वह धीरे धीरे जनता के अन्य लोगों के हाथ मेंचली जा रही है। वह सुरक्षित नहीं रह पा रही है। इसलिये वकील और मुख्तयार को नियत करना सरकार छोड़ दे। यह गांव सभा के सभापति के ऊपर छोड़ दे कि जिस को चाहें और उचित समझें वकील मुख्तयार नियुक्त करे और यह भी कि मेहनताने की रकम सरकार निश्चित कर दे जिससे सभापति उस निश्चित रकम के अन्दर उनको मेहताना देकर वहां का काम कराये। इससे कम से कम यह होगा कि जो बेइमानी वह फरीक से मिलकर करते हैं, वह मिट जायगी। साथ ही लेखपाल गांव समाज का सेक्रेटरी होता है और एक सेक्रेटरी गांव सभा का होता है। मैं यह समझता हूं कि गांव समाज को और गांव सभा को मिला कर एक कर दिया जाय और इन दोनों के अधिकार अलग अलग न रखकर ज्वायन्ट जिम्मेदारी दे दी जाय। एक को मंत्री, दूसरे को सहायक मंत्री बना दिया जाय, इससे वे एक दूसरे के सहायक होकर गांव की उन्नति का कार्य अधिक सुचारु रूप से कर सकेंगे, इस तरह से गांव सभा की विशेष उन्नति होगी।

गांव सभा में बहुत से टैक्स पहले के बाकी हैं। गांव वालों को पता नहीं है कि हमारे ऊपर इतना पहले का टैक्स बाकी है। इसलिये बजट जब पास करना होता है तो पहले गांव सभा को सुना दिया जाय और गांव के सदस्यों के दस्तखत करा लिये जायं कि इतना टैक्स गांव सभा को वे देंगे, तब जाकर बजट पास करें; नहीं तो केवल सेक्रेटरी और सभापति को पता होने के कारण उन बेचारे गरीब लोगों को हानि पहुंच जाती है। इसलिये पहले से उनकी मंजूरी ले ली जाय कि कितना उन लोगों को देना है। सभापति और सेक्रेटरी मनमाने तरीके पर टैक्स लगा देते हैं, उस प्रथा को सरकार को समाप्त करना चाहिये। अभी तक जो टैक्स बाकी पड़ा हुआ है, वह वहां की प्रजा के लिये बहुत बड़ा बोझ है। उसको माफ करने का अधिकार गांव सभा को दिया जाय या फिर उस सब को छोड़ दिया जाय। अब उनकी मंजूरी से टैक्स लगे तो ज्यादा अच्छा है। ताकि उनको मालूम हो कि इतना ही उनको देना पड़ेगा।

इसके अलावा गांव सभा के कितने ही लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के चारों तरफ सड़क निकाली जाय और खासकर यह चाहते हैं कि मेन सड़क से वे गांव मिला दिये जायं, लेकिन रास्तों में कुछ खेत पड़ते हैं जिससे अड़चन पड़ा करती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये ऊपर के अधिकारी कम से कम तहसीलदार और कलेक्टर साहब उसमें दिलचस्पी लें कि उन रास्तों से सड़क बना दी जाय और बाद में मुआवजा जो कुछ तय हो जाय वह मुआवजा गांव सभा के फंड से उनको दिया जाय। कई वर्षों से गांव सभा को यह अधिकार प्राप्त है लेकिन आज तक कोई सड़क इधर उधर के लिये नहीं निकल सकी है। गांवों में आने जाने के लिये कठिनाई ज्यों की त्यों मौजूद है।

पोखरे और ताल जो गांव में हैं, आज भी उनके अन्दर पानी मौजूद हैं, लेकिन लोगों ने अपने कब्जे लिखा लिये हैं और वह गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। सन् १९४६ के बाद से पोखरों और तालाबों पर लोगों ने अपने कब्जे लिखा लिये हैं उनको फिर से वापस लेने के आदेश जारी किये जायं और उन पोखरों और तालाबों को गहरा करने के लिये सरकार जो अनुदान दे सके वह उसको देना चाहिये। हर ६ एकड़ पर एक कुएं की योजना बनाकर कुंएं तैयार किये जायं जिससे सिंचाई के काम में अधिक सुविधा पहुंच सके। ट्यूबवेल और नहरों से गांव की सारी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, लेकिन छोटे छोटे कुंएं तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने में अवश्य सहायक हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भूपकिशोर--श्रीमन्, चेयरमैन साहिबा, आपने मुझे जो इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं और

[श्री भूपकिशोर]

वहां के बावत मुझे कुछ अधिक जानकारी है इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि गांव पंचायतों का चुनाव किस तरह से कराया जाना चाहिये।

सरकार ने जो प्रधान चुनने का तरीका बनाया है बैलट बक्स के द्वारा, उसके लिये सरकार काबिले तारीफ है। इस से गांव के बहुत से लड़ाई झगड़े, कत्ल आदि खत्म हो जायेंगे, और मुकदमेबाजी भी कम हो जायगी। इस बजट सेशन में सब से अच्छा सरकार का यह काम हुआ है और इस के लिये वह तारीफ के काबिल है और इसकी बगैर तारीफ किये मैं नहीं रह सकता।

गांव सभा के चुनने का ढंग बालिगसताधिकार पर है। सब बालिग स्त्री-पुरुष, गांव वाले उस के सदस्य हैं। गांव पंचायत के सदस्य कहीं २० होते हैं, कहीं १५। इनको चुनने में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि गांव के हर अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व इनमें हो सके। अगर एक आदमी को एक सदस्य के लिये ही वोट देने का अधिकार हो तो यह बात हो सकती है। इस तरह से जिन जातियों की तादाद कम है उनके प्रतिनिधि भी उनमें पहुंच जायंगे। मैं अक्सर देखता हूं कि जो कमजोर हैं, अछूत हैं उनको लोग वोट नहीं करते। नाई हैं, बैकवर्ड हैं धीमर हैं उन के प्रतिनिधि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से नहीं आ पाते हैं और इसलिये उन को बहुत सी सुविधायें प्राप्त नहीं हो पातीं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि पंच चुनने के लिये यह तरीका होना चाहिये कि जिसमें एक आदमी एक ही उम्मीदवार को वोट दे सके। इस तरह से हर वर्ग का पंचायतों में प्रतिनिधित्व हो जायगा और गांव पंचायत की सहूलियतें उनको मिल सकेंगी।

अब सवाल आता है अदालती पंचायत के पंचों को चुनने का। इसमें पक्षपात और लड़ाई आदि कम करने का तरीका यह है कि अगर न्याय पंचायत के क्षेत्र में १० ग्राम पंचायतें हैं तो उनमें यह तय कर देना चाहिये कि ग्राम प्रधान का वोट जब पड़ेगा तो उस के साथ साथ ही सरपंच का वोट भी पड़ता जाय। इसमें सरकार का कम खर्च होगा और सरपंच न्याय की दृष्टि से न्याय करेगा। दूसरी चीज, जो बेंचें बनती हैं, वह अल्फाबेटिकली होनी चाहिये। सरकार द्वारा नियत अधिकारी, चाहे डी० पी० ओ० हो, या कलेक्टर हो पहिले ही बेंचों को बना दे, सरपंच को उन्हें बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी चीज, अदालती पंचायतों के जो पंच एम० एल० एओं के द्वारा चुने जाते हैं, उस तरीके को नहीं अपनाया जाना चाहिये; क्योंकि अगर कोई एम० एल० ए० कांग्रेस का है तो कलेक्टर साहब उसे कह देते हैं कि अपने क्षेत्र से आप एक पंच चुन दीजिये और अगर पी० एस० पी० का एम० एल० ए० है तो वह अपने क्षेत्र से अपनी पार्टी का पंच चुनता है और अगर जन संघ का एम० एल० ए० है तो अपनी पार्टी का पंच चुनता है। इस तरह से पार्टियों के आधार पर चुने हुए पंच न्याय नहीं दे सकते। होना यह चाहिये कि पंचों के साथ-साथ अदालती पंचों के लिये भी वोट ले लिया जाय और इस तरह से चुने हुए पंच पार्टीबाजी में नहीं पड़ेंगे और सही न्याय करेंगे।

एक बात मैं जो गांव पंचायतों को अनुदान दिये जाते हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया था कि जो पंचायतें गांव में कम काम करें उनको अनुदान नहीं मिलना चाहिये, मैं इसे किसी हद तक भी ठीक नहीं समझता हूं। उनको भी अनुदान मिलना चाहिये। यह दूसरी बात ठीक नहीं है कि आप उनको कम अनुदान दें। जो ज्यादा अच्छा काम करें उन्हें आप कुछ इनाम आदि के तौर पर कुछ ज्यादा दे दें। आप कुछ रेडियो वगैरा उनके लिये इनाम में रख सकते हैं, लेकिन अनुदान हर एक को बराबर मिलना चाहिये। इससे वे ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकेंगी। उनके अनुदान में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि गांव सभाओं को गांव की तरक्की करने के पूरे-पूरे अधिकार होने चाहिये। गांव सभाओं को सिंचाई की व्यवस्था को अधिकार दिये जायं, खेती के इन्दराज वगैरह करने के अधिकार दिये जायं। जब उनको इन्दराज करने के अधिकार मिल जायेंगे तो इससे मुकदमेबाजी कम होगी और सही इन्दराज होगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में, प्राइमरी स्कूलों की पूरी जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जानी चाहिये और यह कार्य उनके ऊपर ही थोपना चाहिये, वे जिस तरह से चाहें उसका इन्तजाम करें और उसके लिये आवश्यकतानुसार इमारतें आदि भी बनवायें। इस तरह से सरकार के ऊपर से बोझ कम होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और शिक्षा का कार्य भी अच्छी तरह चल सकेगा।

दूसरी बात एक यह कहना चाहता हूं कि यह जो पंचायतों के ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलों को थोपने जा रहे हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल को आप उनके ऊपर न थोपिये। जो अधिकार आप इन्हें देने जा रहे हैं वे सब आप गांव सभाओं को ही दीजिये। यह जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल गांव सभाओं के कार्यों में किसी प्रकार से डिस्टर्ब करें। डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों द्वारा डिस्टर्ब करने से यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के सदस्यों के क्षेत्र में, या उनके मित्र के क्षेत्र में या अन्य किसी सम्बन्धी के क्षेत्र में तो स्कूल बन जायेंगे या और काम हो जावेंगे, दूसरी जगह कार्य नहीं होगा। कई तरह की वाहियात बातें होती हैं, इनको रोकने के लिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इनको कदापि न थोपिये।

यह जो आपके विकास खंड हैं इनमें एक प्रधान होता है और एक उप-प्रधान होता है। इसके अलावा एक और वहां पर ग्राम सभाओं का प्रतिनिधि होना चाहिये जो वहां का सब काम समझ सके। वह चुन कर जाना चाहिये और योग्य व्यक्ति होना चाहिये, उसकी योग्यता कम से कम मिडिल क्लास तक होनी चाहिये, उससे कम का आदमी विकास खंडों में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये। अगर बगैर पढ़े लिखे आदमी जायेंगे तो वे यह नहीं जान पायेंगे कि किस तरह से काम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त हो गया। (श्री मुक्तिनाथ राय से) आपको केवल ५ मिनट मिलेंगे।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे लिये समय कम है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में केवल पंचायत सेक्रेटरियों के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगा। उनके ऊपर पंचायतों के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। पंचायत का सेक्रेटरी सबसे ज्यादा जिम्मेदार कर्मचारी है, जो पंचायत के काम को ठीक तरह से चलाता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पंचायत सेक्रेटरियों का तबादला २५ मील के अन्दर नहीं होना चाहिये। मेरी व्यक्तिगत राय ऐसी नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार ने जो पंचायत राज नियमावली बनायी है, उसमें पंचायत के मंत्रियों के कैरेक्टर रोल के सम्बन्ध में, धारा १९१ (२), उस सम्बन्ध में उसमें एन्ट्री गांव सभा के प्रधान एवं सरपंच से भी राय लेकर की जाया करे। किन्तु धारा १७४ के अनुसार उनको एक महीने का नोटिस देकर निकाल दिया जाता है, नियमावली का पालन नहीं होता; प्रधानों, सरपंचों को कोई पूछता भी नहीं है।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने पंचायत सेक्रेटरी दफा १७४ का नोटिस देकर निकाले गये हैं, आप देख लें कि एक भी, किसी भी प्रदेश के जिले में इस नियमावली की धारा १९१ (२) का पालन नहीं किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में कि कितने पंचायत सेक्रेटरी प्रधानों और सरपंचों की बिना राय लेकर निकाले गये हैं, कहा गया कि ३० पंचायतों के सेक्रेटरी दो वर्षों में गोरखपुर-बनारस डिवीजन में निकाले गये जिनमें से २३ की कार्यावधि ५ से ९ साल तक से भी ज्यादा थी। तो यह १७४ धारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन

[श्री मुक्तिनाथराय]

देती है। जो अधिकारियों को खुश रखेगा वही रहेगा और जो ठीक काम करते हैं, लेकिन अधिकारी की कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती है तो वे निकाल दिये जाते हैं। धारा १९१ (२) में लिखा हुआ है कि पंचायतों के सेक्रेटरी का कैरेक्टर रोल पंचायत के प्रधान की राय से लिखा जायगा, लेकिन इसका कहीं भी पालन नहीं होता है, इसको सरकार देखे। जो १७४ के अनुसार एक माह की नोटिस पर निकाले गये उनके बारे में कहीं भी प्रधानों की राय नहीं ली गई। इस धारा को समाप्त करना चाहिये।

दूसरी चीज, मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप गांधी जी के एक्के अनुयायी हैं, प्रजातंत्र में आपका विश्वास है तो विधान सभा के सदस्यों को, सभी को बुलाइये डिवीजन-वाइज और उनसे पूछिये कि लोग किस राय के हैं कि अगर सेक्रेटरी २५ मील दूर हो तब काम अच्छा करेगा या २५ मील से कम दूरी पर है तब अच्छा काम होगा। गत वर्ष प्रदेश पंचायत सम्मेलन में आजमगढ़ में हर एक पंचायत सम्मेलन में हर एक विकास खंड से, हमारे अन्तरिम जिला परिषद् ने भी दो बार प्रस्ताव पास किया है कि जो २५ मील वाला सरकारी आदेश है वह लागू न किया जाय। पता नहीं सरकार ने क्या किया। डेमोक्रेसी नीचे से चलनी चाहिए, ऊपर से नहीं। आफिशयलडम पंचायतों पर हावी न हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है और पंचायतों और विकास खंडों को, अन्तरिम जिला परिषद् की भावनाओं को देख कर काम करें। एक व्यक्ति की राय पर २५ मील वाला नियम लागू कर देना उचित नहीं है। हमारी नाक पर यदि मच्छर बैठे और हमें उसे हटाना है तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारी नाक ही कट जाय। इसलिए जो कोई सेक्रेटरी खराब है २५ मील दूर भेजना क्या, आप उसे बरखास्त कर दीजिये, लेकिन इस प्रकार से एक आम आदेश दे दिये जायं इसको, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं, तुगलकी आदेश ही कहा जायगा, यह आम राय है। शब्द कड़ा जरूर है। तो इस आदेश को वापस लेना चाहिए।

अब मैं कुछ म्युनिसिपल बोर्ड के ऊंचे कर्मचारियों के चुनाव के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। म्युनिसिपल बोर्ड में कुछ जगहें होती हैं, जो १३० रुपया या उससे ऊपर के पाने वाले कर्मचारी होते हैं उनका चुनाव वहां का म्युनिसिपल बोर्ड करता है, इससे भ्रष्टाचार और जातिवाद तथा बिरादरीवाद बढ़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक स्वायत्त शासन सर्विस कमीशन की नियुक्ति सरकार करे। इसमें १२० रुपया या इससे ज्यादा पाने वाले जितने कर्मचारी हैं उनका चुनाव उन सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा न हो बल्कि स्वायत्त शासन सर्विस कमीशन उनका चुनाव करे। साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर यह म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चाहें तो ऐसे कर्मचारी जो १२० रुपया या उससे ज्यादा पाते हैं उनका स्थानान्तरण अन्य जिलों में भी किया जाय।

इन शब्दों के साथ, मैं कहूंगा कि जो अल्प-वेतन भोगी पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर विशेष कृपा करें और वहां की जनता की क्या राय है उसको जान कर तब कार्यवाही करें। उनका पद स्थायी हो, निश्चित हो, वेतन बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कल्याणचन्द मोहिले, आपको श्री गौरीशंकर राय के १० मिनट के समय में से ५ मिनट दिये जाते हैं और बाकी का ५ मिनट का समय उनका रहेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है, मैं क्या कहूं ? सरकार जब से आयी, वह चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत और जिसके मंत्री महोदय हमारे माननीय विचित्रनारायण शर्मा हों उसमें सरकार जनता की ताकतों को, जो ताकत पंचायतों, नगरपालिका और जिला परिषदों में थी, अपने हाथ में लेती चली जा रही है। अभी महापालिका के चुनाव हुये, मैं इलाहाबाद में नगरपालिका का १६ वर्ष सदस्य रहा, मैं कह सकता हूं कि जो ताकत नगरपालिका को थी और जो कि महापालिका

को दी गई है वह नहीं के बराबर है। वहां पर पूरी ताकत मुख्य अधिकारी को दे दी गई है। मुख्य अधिकारी वही हैं जो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनके कार्यकाल में करोड़ों रुपये का कर्जा नगरपालिकाओं पर हुआ। आज उन संस्थाओं की जो दुर्दशा है उसे आप स्वयं और माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने अपने हाथ में ताकत ली है अगर यही दशा रही तो इससे प्रदेश की जनता का कुछ भला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० और एल० एस० जी० ई० डी० के द्वारा नगरपालिकाओं में जो कार्य कराया जाता है, उसमें जो लोन दिया जाता है उसका १० परसेंट सरकार ही ले लेती है। मेरे यहां इलाहाबाद में एल० एस० जी० ई० डी० के द्वारा २६ लाख रुपये से सीवर बना लेकिन वह चोक्ड है, काम नहीं कर रहा है किसी प्रकार से जहां तक चुंगी का सम्बन्ध है, लाखों पया लोगों पर पड़ा हुआ है, घूसखोरी बढ़ी हुई है, खुले आम रिश्वत ली जाती है, उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है क्योंकि वहां के जो चुने हुये लोग हैं उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है।

इसी तरह से मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि श्री मोहनलाल गौतम हमारे यहां इलाहाबाद के सदस्य थे; उन्होंने १० रुपये की चोरी पकड़ने की कोशिश की। उसका नतीजा यह हुआ कि आज तक उनके ऊपर मुकदमा कायम रहा और अभी थोड़े दिन हुये मुकदमा खत्म हुआ। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर गौर करे और देखे कि जो अधिकार नगरपालिकाओं को दिये गये हैं वे नहीं के बराबर हैं। इसलिये महापालिकाओं की ताकत को बढ़ाना चाहिये। अगर ऐसा न हुआ तो मेरे यहां इलाहाबाद में काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर रूल में करोड़ों रुपये का कर्जा नगरपालिकाओं पर हो गया। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि महापालिकाओं में सही तौर पर कुछ काम हो तो यह करोड़ों रुपये का कर्जा माफ करे, उनको कर्जे से बिलकुल मुक्त कर दे और वहां के लोगों की ताकत बढ़ा कर उनको काम करने की सुविधा दे। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री गौरीशंकर राय**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द बातें ही कहना चाहूंगा। कोई विशेष जवाब देने की तो बात है नहीं क्योंकि अधिकतर मित्रों ने उन सारी बातों को दोहराया भी है। मैं पुनः एक बार और आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि पंचायत मंत्रियों के स्थायीकरण और उनकी सुविधाओं की बात माननीय मंत्री जी के दिमाग में रहेगी। अगर वह चाहते हैं कि वे ठीक से काम कर सकें, तो इतने दिन काम करने के बाद उनकी सर्विस में स्थायित्व होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि लोकल बोर्ड्स के टीचर्स के ट्रांसफर्स के लिये सख्त क़ायदे होने चाहियें। ऐसा न हो कि साल के बीच में जब चाहा तब तबादला कर दिया या पार्टीबाजी के कारण कर दिया।

सरकार को चाहिये कि वह एक लोकल सेल्फ बोर्ड बनावे जो एक स्वतंत्र बाडी हो और सरकार का नियंत्रण उस पर न हो। वह इस बात का फैसला करे कि कौन म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया इत्यादि सुपरसीड किये जावें या नहीं। अगर उसमें सरकार किसी जुडीशरी के आदमी को रखे तो सरकार की और ऊंचाई होगी और वह बोर्ड अच्छा होगा।

जैसा माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने कहा है, लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये एक कमीशन होना चाहिये और ऊंची नौकरियों के लिये योग्यता का मापदण्ड होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

जिला अन्तरिम परिषदों के एग्जीक्यूटिव अफसरों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना चाहिये वरना वे परिषद् के लिये और कभी-कभी स्वयं के लिये सिर दर्द बन जाते हैं।

गांव सभाओं के सभापतियों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये वरना वे अपने अधिकारों को ठीक से नहीं समझेंगे और उनका प्रयोग ग़लत करेंगे तथा आफीशलडम के प्रभाव से पंचायतों को नहीं बचा सकेंगे।

मैं यह नहीं कहता कि विलेज डिफेंस सोसाइटीज पुलिस की पैरेलल हों, मगर उनको अपने यूनिट में शान्ति-व्यवस्था की जिम्मेदारी तथा हथियार वगैरह देने के अधिकार होने चाहियें।

गांव सभा के लिये जो खड़ा होता है वह एक टिकट खरीदता है और चाहे वह जीते या हारे, उसका वह पैसा वापस नहीं मिलता है। लोक सभा या विधान सभा के चुनावों में जमानतें जब्त नहीं होती हैं तो पया लौट जाता है। चाहे गांव सभाओं की रकम छोटी ही है, मगर उसके रखने का कोई औचित्य नहीं है।

पिछड़े इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में पानी पीने की समस्या हल करने के लिये कुछ परसेंटेज लोगों को देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसे २५ से घटा कर १० या कुछ ऐसा करना चाहिये ताकि रुपया लैप्स भी न हो।

झांसी नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतों की दसियों किताबें और पर्चे हर साल बंटते हैं मगर नहीं मालूम क्यों मंत्री जी उनकी जांच कराके हमको नहीं बताते कि क्या नतीजा हुआ।

अन्त में मैं विश्वास करूंगा कि यद्यपि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के प्रति सरकार का प्रेम आज कल बढ़ रहा है तो भी इस मुहकमे के मंत्री जी वर्मा साहब को, जिनके बारे में बहुत बात हो चुकी है, फिर उनको न बुलावेंगे क्योंकि जिसका हम विरोध करते हैं सरकार उसे जरूर प्रेम करती है।

श्री उपाध्यक्ष---आप नाम लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में न कहें जिसे यहां उत्तर देने का अधिकार नहीं हो।

श्री गौरीशंकर राय---उस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। उसके लिये वे गालियां भी सुन चुके हैं लेकिन फिर से सुनने की व्यवस्था न करें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है, उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, माननीय वक्ताओं ने जो सुन्दर-सुन्दर, कड़वे, मीठे और चरपरे सुझाव दिये, उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय गोविन्द सिंह जी और गौरीशंकर राय जी दोनों ने यह पूछा कि जो बोर्ड सुपरसीड किये गये थे उनमें कांग्रेस के कितने थे। मैंने कहा था कि सैकड़ों की तादाद में केवल ५ बोर्ड सुपरसीड किये गये हैं। एक-आध, भूला भटका और होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिये बोर्ड बनाया जाय, सिर्फ यह निर्णय करने के लिये कि किसको सुपरसीड करें और किसको न करें। यह बिलकुल बेकार-सी चीज होगी क्योंकि उसके पास कोई काम ही न होगा और वह बैठा मक्खी मारेगा। जो कुछ मेरी याददाश्त है उससे मैं बताता हूं कि उन बोर्डों में से दो ऐसे हैं जो नान-कांग्रेस के कहे जा सकते हैं और तीन ऐसे हैं जो प्रीडामिनेंटली कांग्रेस के कहे जा सकते हैं। मुझे मालूम है कि उनके लिये कांग्रेस वालों ने मुझ पर कितना प्रेशर डाला कि खुदा के लिये, कांग्रेस के लिये, इनको जब्त न करो। फिर भी मैंने कर दिया। ऐसी मेरी अक्ल है, मैं क्या करूं?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं का जो अनुदान है वह तो आज नहीं है। मंत्री जी उसके बारे में जवाब दे रहे हैं, यह विषयान्तर है।

श्री उपाध्यक्ष--बहस के दौरान में यह प्रश्न उठ गया और वह बात बहस में आती रही। तब तो आपने कुछ कहा नहीं। अब उस बात का जवाब देने के लिये माननीय मंत्री जी को मना कर दिया जाय, यह उचित नहीं मालूम होता।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सच बात को जानने में कुछ बुरा मालूम होता है। मालूम होता है कि वह गलतफहमी को बनाये रखना चाहते हैं और उसके लिये सरकार को गालियां देते रहना चाहते हैं। अगर सच बात को सुनने की दिल में हिम्मत हो तो उसको सुनना चाहिये। जन संघ के बोर्ड का सवाल आया। खुदा के फजल से वे हैं भी बहुत कम। मरे को क्या मारा जाय? फिर भी एक दो का सवाल आया। अल्मोड़ा के लिये कहा गया। मैं समझता हूं कि अल्मोड़े का बोर्ड सुपरसीड करने के लायक ही था, अगर उसको सुपरसीड नहीं किया गया तो सिर्फ इसलिये नहीं किया क्योंकि वह जनसंघ का बोर्ड था, उसके साथ मेहरबानी की और रियायत की और किसी प्रकार उसको जिन्दा रखा।

वृन्दावन के बारे में कहा गया है। उसकी फाइल मैंने देखी। जनसंघ के नेता माननीय विष्ट जी और दुबे जी ने उसका जिक्र किया था। मैंने दुबे जी को बुला कर सारा मामला बताया। उनको कितनी बार चेतावनी दी गई लेकिन उसके बाद भी बोर्ड के रुपये से उन्होंने प्राइवेट घरों में बिजली लगवाई। ऐसे और भी काम किये। उसको देखकर वे चुप होकर चले आये और उसके बाद फिर कभी शिकायत भी नहीं की कि उस बोर्ड के साथ हमने कोई अन्याय किया।

एक बात यह कही गई कि सरकार ने कह दिया कि अल्मोड़े में फायर ब्रिगेड रखी गई। जब हमने अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी को लिखा है तो उन्होंने हमें लिखा कि हमारे पास इन्तजाम है। हां, यह समझा जा सकता है कि डिपार्टमेंट को यह मालूम करना चाहिये था कि फायर ब्रिगेड है या कोई और इन्तजाम है। यह समझ लेना कि वहां फायर ब्रिगेड है, जरूर गलत हुआ। लेकिन इसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर मिसइन्टरप्रेट करना चाहते हैं, यह बात नहीं कही जा सकती।

जिला बोर्ड की बाबत कहा गया। मुझे अफसोस है कि जो अपीयरेंसेज हैं वे हमारे खिलाफ हैं, चाहे वे किन्हीं वजह से हों लेकिन अपीयरेंसेज हमारे खिलाफ है और उसी वजह से हम चाहते हैं और विरोधी दल को यह सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर यह इल्जाम न लगाया जाय कि हम इसको परपिचुएट करना चाहते हैं, बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि जो प्रेजेंट अन्तरिम जिला परिषदें हैं उनको स्कैप कर दिया जाय और इनकी जगह फौरन दूसरा चुनाव कराया जाय। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि हम सोचें कि किसी तरह से चुनाव करावें, चाहे ब्लाक लेविल से ही करा लें ताकि यह झगड़ा जो है वह खत्म हो जाय।

विष्ट जी ने कहा कि यह याद रखें कि जन संघ आयेगा, दूसरे आयेंगे, तो जो हम यह बेवकूफी करने जा रहे हैं इससे तो उनको खुश ही होना चाहिये क्योंकि इसमें उनका तो फायदा ही है। नुकसान हमारा है तो उनकी छाती में दर्द क्यों हो रहा है, यह समझ में नहीं आता।

न्याय पंचायतों के वास्ते कहा गया। यह सही है कि जिस तरीके से पिछला चुनाव हुआ वह गलत था। उनको भी कटु अनुभव हुआ जिनकी सिफारिश से वह किया गया। उन्होंने अगर १० की सिफारिश की तो ५० की सिफारिश नहीं की और ५० उनसे नाराज हो गये। जो लोग उधर बैठे हुये हैं उनको इस बात के लिये शुक्रिया अदा करना चाहिये कि न्याय पंचायतों के चुनाव कराने की बात करके बहुत से आदमियों को हमने अपना दुश्मन बना लिया जिससे वे यहां आ सके। इस सम्बन्ध में राय अलग-अलग हो सकती है लेकिन वह तरीका गलत था। अब रहा यह कि एक बड़ी भारी इन्क्वायरी करायी जाय लेकिन इन्क्वायरी कराने के लिये हमारे पास कोई साधन है नहीं सिवा इसके कि लेखपालों से पूछें, प्रधानों से पूछें और फिर लोअर स्टेज पर जाकर हमेशा अच्छी इन्क्वायरी होगी, यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिये हम ऐसा सोच

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

रहे हैं कि न्याय पंचायतों के लिये भी चुनाव इनडाइरेक्ट करा दें ताकि ये सारी चीजें कम से कम हो जायं । जिस प्रकार से उप-प्रधान वगैरह का चुनाव होता है उसी तरह से, जितनी पंचायतें हैं, उनके पंचों की मार्फत यह चुनाव कराया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा लेकिन मास्टर होकर भी आपको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं ।

जो पंच लोग होंगे, उन्हीं के द्वारा न्याय पंचायतों का इनडाइरेक्ट चुनाव हो जायगा । हम ऐसा सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया यह बहुत डिफेक्टिव भी है । एक बात यह भी कही गयी कि जो छोटे-छोटे चुनाव हैं उनको पहले करा लें । उन चुनाव को दो ही बातें हो सकती हैं कि अगर विरोधी दल के नेता चाहते हैं तो जितने चुनाव हैं ब्लाक लेविल पर उनको करा लिया जाय और उनकी मार्फत यह चुनाव हो सकता है । यह भी हो सकता है कि जो प्रेजेंट ब्लाक्स हैं उन्हीं से चुनाव करा लिया जाय । लेकिन इतना मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि बिना किसी कानून के हम यह इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, इस चुनाव के पीछे हमारा यह पवित्र मोटिव है, इसको भी आप समझ लें ।

मालगुजारी पंचायतों के जरिये वसूल करने की बात भी कही गयी लेकिन मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि हमने किसी तरह से ऐसा प्रयत्न नहीं किया या इसकी कोशिश नहीं की गयी । ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी की बात भी कही गयी, मैंने उससे कभी इनकार नहीं किया । मैंने तो शुरू में ही यह निवेदन किया कि मेरे मित्र इस बात को न समझें कि जो कठिनाइयां हैं, वे विभाग के अन्दर न रहेंगी । लेकिन जो कुछ भी करना है वह नानवायलेन्ट तरीके से करना है जो कि डेमोक्रेसी को जान है । शराफत से कहते हैं, समझा कर कहते हैं । अब यह दूसरी बात है कि मेरे अन्दर इतनी अक्ल नहीं है कि उनको समझा सकूं । इसीलिये मैंने निवेदन किया कि जब सदन के सामने वह डिमांड आवेगा इस डिपार्टमेंट की उस समय समझाने की कोशिश करेंगे । मैं विश्वास दिला सकता हूं कि माल मंत्री जो इससे प्रिजूडिस्ड नहीं है, इससे फायदा होगा जनहित का तो वह उसको मान लेंगे । इसमें कोई लड़ाई-झगड़े की बात नहीं है । शरीफ लोगों के बीच का सवाल है ।

एक मित्र ने कहा कि हमको कुछ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलता है इस वास्ते कि हम म्युनिसिपैलिटीज से कहें कि मेहतरों को जो सर पर पाखाना ले जाना पड़ता है, वह न ले जाना पड़े और उनके लिये हाथ के ठेले या गाड़ियां बनाई जायं, इतना सुधार हो जाय । मैं यही कह सकता हूं कि इससे ज्यादा नीच काम हो नहीं सकता और इसको हम रोक नहीं सकते तो हमारे लिये बड़े शर्म की बात यह होगी । लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार पर उतनी नहीं है जितनी कि म्युनिसिपैलिटीज की है । इसके लिये ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाता है लेकिन इतने पर भी अगर वे यह न कर सकें तो क्या कहा जाय । जो माननीय सदस्य यहां हैं वे बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं अपने-अपने इलाके में, अपनी-अपनी म्युनिसिपैलिटीज को वे प्रभावित कर सकते हैं कि कम से कम यह एक रिकार्ड वे कर दें तो हमें खुशी होगी । मेहतरों के क्वार्टर्स वगैरह के लिये भी ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से अनुदान, सहायता तथा कोआपरेशन दिया जाता है ।

अब एक बात वर्मा जी की बाबत कही गयी, जो हमारे चीफ इंजीनियर थे । उनकी चाहे और कोई शिकायत रही हो लेकिन मेरे सामने यह शिकायत कभी नहीं आयी कि उनकी वजह से गबन हुआ या चोरी में उनकी शिरकत हुई । अगर इस सिलसिले में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई कि उनकी वजह से गबन हुआ तो मैं उनको रोक नहीं सकता आने से । एक पीलीभीत का मामला है । डी० एम० के सामने शिकायत की गयी कि ट्यूबवेल्स तथा हाथ के पम्प्स में बहुत ज्यादा पैसा खाया गया । वर्मा साहब भी डी० एम० के सामने मौजूद थे और कुछ जिम्मेदार

साहबान एम० एल० एज० भी वहां थे । मैंने डी० एम० से कहा और वर्मा साहब से कहा कि किसी दूसरे आदमी को, जिसने पहले जांच की हो उसको नहीं, जांच के लिये भेजा जाय और डी० एम० से कहा कि वे भी भेजे क्योंकि यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के आक्षेप किये जायं और उनका जवाब हम न दे सकें ।

डी० एम० स्वयं शिकायत से ऐग्री करते थे । उनसे कहा गया कि इसमें गवर्नमेंट की बदनामी होती है लिहाजा कोई न कोई इम्पार्शियल आदमी को वे भेजें इन्क्वायरी के लिये और आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि शिकायत वह निराधार पायी गयी और साबित यह हुआ कि पैसा ठीक दिया गया । गलतफहमी लोगों को इसलिये हुई कि जो स्पेसिफिकेशन्स थे वे हाई थे । काम थोड़ा खराब था, पर उसकी वजह से जायज पैसा काटा गया और कोई गोलमाल नहीं था । ये वाकयात हैं और अगर अब भी उनको न रखा जाय तो कम से कम मुझे जो गांधी जी के नाम से मिलाया जाता है तो उस जगह तो मैं कम से कम बेईमानी नहीं कर सकता । इसलिये मैं उनको वापिस आने से इनकार नहीं कर सकता हूं ।

एक चीज यह भी कही गयी कि यह डाइरेक्टोरेट का जो संचालन होता है, इसकी नीति उसके बरअक्स होती है जिस नीति का कि अभिभाषण में थोड़ा-सा जिक्र किया था, जिसकी ओर इशारा किया था । मैं व्यक्तियों की बाबत नहीं कह सकता लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारे पंचायत राज के संचालक हैं वह थ्रू ऐंड थ्रू गांव के दृष्टिकोण के और गांव के वातावरण के हैं और जो ये सुधार इधर मिले हैं, इसका कारण यही है कि वे पर्सनली इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं । लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सी पंचायतों में खुद ताकत नहीं है ।

जहां अच्छे आदमी मिल जाते हैं वह काम कर लेते हैं, लेकिन जहां यह इनीशियेटिव नहीं है, वहां इनीशियेटिव पैदा करने का काम हमारे पंचायत मंत्री ही कर सकते हैं । लेकिन उनके पास ८-८, ९-९ गांव हैं। न्याय पंचायत का काम भी उनके पास है । अगर वह बहुत ईमानदारी के साथ काम करें तो भी महीनें में दो, ढाई दिन से ज्यादा एक गांव को नहीं दे सकते हैं । अब अगर इन दो, ढाई दिन में से आने जानेका समय काट लिया जाय तो समझा जा सकता है कि कितना समय वे उन लोगों को इन्स्पायर करने के लिये दे सकते हैं । इसके अलावा असलियत तो यह है कि सभी मंत्री सोने के नहीं हैं । जहां तक यह कहा जाता है कि खास-खास को रखा जाता है, लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि हमारे मित्र मुक्तिनाथ राय जी को शिकायत ही यह है कि २५ मील से दूर रखा जा रहा है । लेकिन वास्तविकता यह है कि जो तनख्वाह उनको हम देते हैं और उनको परमानेण्ट नहीं कर सके हैं यह एक ज्यादती है, इसका कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है । लेकिन साथ ही हम यह चाहते हैं और माननीय सदस्य भी चाहते होंगे कि ये मंत्री, सरकार के एजेन्ट न हो कर, जैसा कि अभी कहा गया कि ये पंचायतें भी सरकार की एजेन्ट हैं, पंचायतों के ही हों, उन्हीं से उनको तनख्वाह वगैरह मिले। ये पंचायतों के सेक्रेटरी होंगे तो उनको तरक्की देने का और परमानेन्ट करने का सब काम पंचायतों का होगा।

रिसोर्सेज का सवाल आया। मैंने निवेदन किया था कि यह एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम इसको फौरन हल कर लें। इसीलिये मैंने कहा था कि जो नया इन्तजाम हम करने जा रहे हैं, जिसमें यह भी एक प्रश्न सोचने का है और सरकार ऐक्टिवली सोच रही है, माननीय सदस्य भी अपना-अपना सुझाव देंगे। लेकिन साथ ही प्रश्न यह है कि ऐसा तो है नहीं कि रुपया कहीं रखा हुआ है और सरकार देती नहीं है और कंजूस की तरह रोज सबेरे गिन लेती है कि इतने जवाहिरात हो गये, इतने गिन्नियां हो गयीं ।

बजट सब लोगों के सामने आता है। सारा पैसा किसी न किसी काम में लगा हुआ है; यहां तक कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना बनायी जा रही है उसमें भी कई करोड़ का घाटा है। यह बदकिस्मती इस देश की है। गरीब देश है, साधनों से हीन हैं और ८०-८५ फीसदी आदमी इसमें ऐसे जिनसे हमें ! क पैसा भी नहीं लेना चाहिये और हमारी कोशिश यही है कि जो यह ८०-८५

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

फीसदी आदमी बिलो स्टैन्डर्ड अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उन्हें हम ऊपर उठायें और इसीलिये हमारी सारी योजनायें हैं। लेकिन इसके लिये पैसा चाहिये। उस पैसे का प्रबन्ध हम इस ८०-८५ फीसदी जनता को छोड़कर केवल ५-७ फी सदी आदमियों से, जो सचमुच ऐसे हैं जिनसे कुछ लिया जा सकता है और जिनसे लिये जाने पर उनको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कर सकें, यह संभव नहीं है। लेकिन उनसे कितना लिया जा सकता है, यह सोचने की बात है और ऐसी हालत में हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं है कि जो भूखे, नंगे और गरीब हैं उनसे ही लें। हम लें, गांव पंचायतें लें और जिला परिषद् लें। (व्यवधान) जी हां, बिलकुल गांधियन तरीका है। अगर मेरे पास इतना अन्न नहीं है कि साल भर तक मैं बच्चों को खिला सकूं तो मैं बच्चों को उतना ही खिलाऊंगा जिससे बीज के लिये अन्न बच सके। यही गांधीज्म कहता है कि मैं बच्चों को भूखा रखूं और बीज के लिये अन्न रखूं। यदि मैं सारा अन्न खर्च कर दूंगा तो बीज का क्या होगा? हमने तकलीफें सहीं, इस जेनरेशन ने सहीं और आगे भी सहेंगे। यह हमें सोचना चाहिये। अगर हम थोड़ी तकलीफ उठाकर फ्यूचर बना सकें और वह न करें तो हमारे जैसा अभागा दूसरा कोई नहीं होगा। यही गांधीज्म है। इसमें कोई शर्म की बात हमें मालूम नहीं होती। जब गांधी जी आये थे तो वे हमें जेल ले गये। लोग निहत्थे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि देश को आजाद करना होगा उसके लिये जेल जाना होगा, कष्ट उठाना होगा। देश के वास्ते आज हम जेल जाने के लिये नहीं कहते हैं। लेकिन सहज कष्ट उठाने के लिये कहते हैं। हां, यह कहा जा सकता है कि आप भी कुछ कीजिए।

जहां तक इस सिद्धान्त का ताल्लुक है उसके लिये उस समय मौका मिलेगा जब सदन के सामने एक मुकम्मिल बिल आयगा। उस समय इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले, सबको मौका मिलेगा कि वह अपने अनुभव से तथा अपनी अमूल्य राय से उस बिल को जितना सुन्दर हो सके बनाने की चेष्टा करें। वह बिल फौरन आ सकता है और अगर देर हो तो चुनाव करा लिये जांय। अगर माननीय सदन चाहेगा कि जैसा बिल पेश हुआ है वैसा ही पास करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वह उसको मंजूर करेगा, जो यह आदरणीय सदन चाहेगा वही होगा। अगर हाउस का प्लेजर यह है कि यह बिल वापस लिया जाय और दूसरा बनाया जाय तो इस बदनसीब को गाली देना न्याय की बात नहीं कहलायेगी, समझदारी की बात नहीं कहलायेगी।

हमारे एक मित्र ने अस्पताल का किस्सा सुनाया। शायद बाड़ी अस्पताल था। अगर मैं सारी बातें सदन के सामने रखूं तो यह सदन को शोभा नहीं देगा और माननीय सदस्यों को भी शोभा नहीं देगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से मामला चलाना चाहिये था उस तरह से नहीं चलाया गया। अस्तपताल एक जगह से दूसरी जगह आया और मील, डेढ मील का फर्क हो गया, इसके लिये कोई दुःख नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह सब किया गया उस तरीके को अच्छा नहीं कहा जायगा और मैं इतना ही कहूंगा कि इसका अगर जिक्र न किया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री राजनारायण---जो अभद्र तरीका था वह किसके द्वारा किया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जिन लोगों ने इसको लाने में दिलचस्पी ली उनके लिये हो सकता है। माननीय राजनारायण जी ने नहीं किया होगा, इतना मैं समझ सकता हूं।

श्री राजनारायण---जिलाधीश भी संबंधित हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जिला परिषद् संबंधित नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने जिलाधीश कहा, जिला परिषद् नहीं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिलाधीश को भी गलतफहमी में रखा गया।

ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की बात मैं निवेदन कर चुका हूं कि इन दोनों को एक किया जा रहा है और जो झगड़ा है, जिसकी वजह से वह गलतफहमी रहती है, वह नहीं रहेगी। लेकिन इसमें यह जरूर है कि जैसे शिक्षा विभाग का संबंध गांव पंचायतों के अन्तर्गत शिक्षा आने से नहीं कट जायगा, इसी प्रकार माल के प्रश्नों का ताल्लुक माल से होगा, हमारे विभाग से नहीं होगा। वैसे तो यह विभाग इतना व्यापक है जैसे इस असेम्बली के अन्दर सब चीजें आ सकती हैं, वैसे ही ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में सभी चीजें होंगी। एक-आध चीज, जैसे रक्षा दल और पुलिस वगैरह का ट्रांस्फर नहीं किया है ; बाकी स्वास्थ्य भी आ गया, शिक्षा भी आ गयी। लेकिन चूंकि अलग-अलग विभाग हैं, उनके अपने नियम हैं, इसलिये अगर उसका नियंत्रण उसी विभाग से हो तो यह उचित मालूम पड़ता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बाद में पूछियेगा। पहले मैं जरूरी बातें कह दूं। उसके बाद अगर समय बचेगा तो मुतफर्रिक बातों का जवाब दे दूंगा।

विष्ट जी ने एक बात और फरमायी। आपने कहा कि प्रधानों का जो चुनाव बैलट से करवाया गया, अगर वह अच्छा था और सफल था तो बाकी पंचों का भी उसी ढंग से चुनाव होना चाहिए। जब आप मानते हैं कि वर्तमान पद्धति दोषपूर्ण है तो पैसे का खयाल क्यों करते हैं। तर्क बड़ा अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि विष्ट साहब खुद इस तर्क पर चल नहीं सकते, उनका जीवन नहीं चल सकता है। हवा में बहुत सी अपवित्र वस्तुएं बहती हैं, गंगा के अन्दर सब तरह का गन्दा पानी बहा हुआ जाता है, इसके लिए वांछनीय है कि उनको साफ किया जाय; लेकिन साधन देखने पड़ते हैं, यह देखना होता है कि जितना पैसा खर्च होगा उतना लाभ होगा या नहीं होगा। सारे झगड़े प्रधान और उप-प्रधान के सिलसिले में होते हैं। बाकी पंचों के पास ज्यादा पावर्स नहीं होते हैं। यह समझना कि मैं गुप्त चुनाव नहीं करना चाहता हूं, तो इसके लिये मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमें सिर्फ गालियां सुनना अच्छा लगता है, ऐसी अक्ल हमारी खराब हो गयी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम अगर नहीं करते हैं तो केवल इसलिए कि उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अगर वह हमें समझा सकें कि खर्चा कम होगा तो हम मानने के लिए तैयार होंगे ।

अब चलते-चलते मोहिले साहब को एक दो हाथ ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मोहिले साहब का होली का रंग साफ नहीं हो पाया है। (हंसी)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मोहिले साहब और दूसरे मित्रों ने भी एक इल्जाम लगाया है, उसकी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं। वाटर वर्क्स और सीवेज के संबंध में हम लोगों ने जो रुपया दिया है लखनऊ को ४१, सवा ४१ लाख के करीब, आगरा को २४ लाख के करीब, इलाहाबाद को २८ लाख ७० हजार और इसी तरह से कानपुर को ६० लाख ८ हजार रुपया और वाराणसी को ३८ लाख २५ हजार रुपया, यह कुछ कम नहीं है, काफी ज्यादा है। इस चीज को लोग समझते नहीं हैं। कहते हैं कि बोझ ज्यादा लाद दिया है और क्या कर दिया है ? लेकिन इसके करने से लोगों को पानी मिला, यह भूल जाते हैं। बड़ा शोर मचता था कि लोगों को पानी नहीं मिलता, लोग तरस-तरस कर रह गये, पानी के लिये । तो इससे उनको पानी मिलने लगा। फिर इसके अलावा उससे आमदनी कितनी बढ़ी बोर्ड की ? जितनी आमदनी बढ़ी है, अगर सिर्फ लखनऊ का ले लें तो ५५-५६ में १७ लाख थी और यह सब खर्च करने के बाद २८ लाख ३६ हजार हो गयी, यानी करीब-करीब दस-ग्यारह लाख रुपये की आमदनी हर साल की बढ़ गयी। इसके अलावा मकान दिये हैं।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

कानपुर में मकान बनाये गये स्लम क्लीयेरेंस वगैरह करके, उनसे आमदनी होती है। लो इनकम ग्रूप के मकान बनाये। करोड़ों रुपये की संपत्ति दे दी जिससे हर साल आमदनी होगी। उसके लिये कहा जाता है कि मार दिया, मकरूज कर दिया, बरबाद कर दिया प्रशासकों ने लेकिन इसके बरखिलाफ जो ग्रान्ट दी उसको तो कोई गिनता ही नहीं। कानपुर को १२ लाख, आगरा को १३ लाख, सिर्फ एक एक मद की मैं बताता हूं, वाराणसी को १८ लाख, इलाहाबाद को १५ लाख और लखनऊ को १७ लाख। इसके बाद भी कहा जाय कि सरकार ने तबाह कर दिया और लूट लिया तो मैं कहूंगा कि कहने वालों की अक्ल की बलिहारी है और हमारी मजबूरी है। इन शब्दों के साथ, मैं चाहूंगा कि इन दोनों अनुदानों को सदन स्वीकार करे।

श्री राजनारायण--एक प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग ने यह कहा कि हम तो तैयार हैं अगर गांव पंचायतों को रेवेन्यू विभाग मालगुजारी वसूल करने की इजाजत दे दे, तो क्या यह बात सही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जहां तक मेरा ताल्लुक है, अनुभव हमारा यह है कि ७२ हजार पंचायतों में से बहुत थोड़ी पंचायतों ने 'ऐज एक्सपेरिमेंट' इस काम को लिया था और उसका रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा एन्करेजिंग नहीं रहा जब कि माल विभाग की तरफ से खुली छूट थी कि जितना फायदा चाहें उठा सकते हैं। लेकिन उससे फायदा किसी ने नहीं उठाया। अब जब उसके बन्द होने की बात चली तो उसके बाद यह शोर होने लगा है।

श्री उपाध्यक्ष--यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने अधिकार से पन्द्रह मिनट समय बढ़ा दूंगा, मतदान के लिये।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४२ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

सरकारी गलत नीति व इन जातियों की उपेक्षा पर चर्चा तथा सुधार संबंधी सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--प्रकीर्ण व्यय--लेखा शीर्षक ५७-*-प्रकीर्ण (miscellaneous) के अन्तर्गत ५,५९,०४,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान १५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

गांव सभाएं एवं पंचायतों का विकेन्द्रीकरण करके उन्हें गांवों के समस्त निर्माण कार्य तथा मालगुजारी वसूली आदि का कार्य सौंपना आदि के संबंध में चर्चा तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण व्यय तथा अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २५—गांव सभायें और पंचायतें ६०५

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—गांव सभाएं और पंचायतें—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,६६,११,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ मार्च, १९६०।

———

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर)

सूची

जिले जहां नहरों से हरी खाद के प्रयोग के लिये मूंग की किस्म १ की सिंचाई साधारणतया की जाती है :

१—सहारनपुर	२—मुजफ्फरनगर
३—मेरठ	४—बुलन्दशहर
५—अलीगढ़	६—मथुरा
७—आगरा	८—एटा
९—मैनपुरी	१०—बदायूं
११—मुरादाबाद	१२—फर्रुखाबाद
१३—इटावा	१४—वाराणसी
१५—लखनऊ	१६—रायबरेली

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२४ पर)

सूची

नाम जिला	नियमानुकूल प्राप्त दरख्वास्तों की संख्या	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
१—फैजाबाद	२६६	१८
२—गोंडा	१५८	१३
३—बाराबंकी	१२७	६
४—सुल्तानपुर	१६७	१७
५—प्रतापगढ़	२२६	११
६—बहराइच	६८	७
७—इलाहाबाद	२६४	५
८—फतेहपुर	१२५	१४
९—इटावा	२८३	२६
१०—कानपुर	३४६	२
११—फर्रुखाबाद	२८७	२१
१२—बरेली	१५७	१८
१३—बदायूं	१८७	८
१४—रामपुर	३६	२
१५—मुरादाबाद	२६२	१४
१६—बिजनौर	३६५	१८
१७—पीलीभीत	४६	१
१८—शाहजहांपुर	११०	६
१९—गोरखपुर	४१६	२०
२०—आजमगढ़	३१७	३०
२१—बस्ती	३०४	१४
२२—देवरिया	४१६	१७
२३—लखनऊ	४२४	२५
२४—उन्नाव	१२०	७
२५—रायबरेली	१४६	६
२६—सीतापुर	१४१	८
२७—हरदोई	१७३	१०
२८—खीरी	६६	३
२९—झांसी	३७	४
३०—हमीरपुर	४२	७
३१—जालौन	११२	१५
३२—बांदा	६८	२
३३—मेरठ	५०६	३६

नाम जिला				नियमानुकूल प्राप्त दरख्वास्तों की संख्या	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
३४—बुलन्दशहर	..	..	..	३७९	१०
३५—सहारनपुर	..	..	..	१७३	१३
३६—देहरादून	..	..	..	१४	—
३७—मुजफ्फरनगर	..	..	..	२५७	८
३८—वाराणसी	..	..	..	३७८	१८
३९—बलिया	..	..	..	२३१	२०
४०—मिर्जापुर	..	..	..	१२३	७
४१—जौनपुर	..	..	..	२६८	१०
४२—गाजीपुर	..	..	..	१८८	१२
४३—नैनीताल	..	..	..	७३	१४
४४—गढ़वाल	..	..	..	८	—
४५—अल्मोड़ा	..	..	..	५१	४
४६—टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	५	—
४७—आगरा	..	..	..	२१९	६
४८—मथुरा	..	..	..	३२१	९
४९—अलीगढ़	..	..	..	८५३	५६
५०—एटा	..	..	..	२२५	—
५१—मैनपुरी	..	..	..	२७९	१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उतर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

तालिका "अ"

सन् १९५९ में जिला इटावा में स्थित सहकारी भट्ठों को जो कोयला दिया गया उसका विवरण

नाम भट्ठा	कोयला जो दिया गया	
	टन	हं०
१--डी० सी० डी० एफ० "ए"	२६४	४
२-- ,, ,, "बी"	४८२	१४
३-- ,, ,, "सी"	४२२	१२
४-- ,, ,, भरथना	१८४	६
५-- ,, ,, रुरुगंज	३०४	४
६-- ,, ,, कुकीली	३३५	१७
७--एस० एस०, अजीतमल	३३८	१९
८--डी० एच० एस०एस०, अहेरीपुर	३५२	४
९--एस० एस०, अचलदा	२७७	१५
१०--एस० एस०, एरवा कटरा	२१	९
११-- ,, ,, औरैया	५४६	६
१२-- ,, ,, आत्सू	३०४	२
१३-- ,, ,, बलराय	२४३	८
१४-- ,, ,, बसरेहर	६२१	३
१५-- ,, ,, विधुना	८	१
१६-- ,, ,, भाग्यनगर	३४९	१९
१७-- ,, ,, डीवीयापुर (दो भट्ठे)	५७०	१७
१८-- ,, ,, देवरपुर	११६	७
१९-- ,, ,, एकदिल	२७५	१५
२०-- ,, ,, हरचन्दपुर	३०५	५
२१-- ,, ,, जसवन्तनगर	२२१	३
२२-- ,, ,, निवारी कलां	३७५	५
२३-- ,, ,, महेवा	४९४	८
२४-- ,, ,, मुरादगंज	१७९	१५
२५-- ,, ,, एक्स सर्विस मेन कोआपरेटिव, इटावा ..	५७९	११
२६-- ,, ,, जैमालपुर	१३३	८
२७--पी० एच० एस० एस०, विधुना	११	—
२८--श्री गान्धी ए० बी० लवेदी	३२०	९
२९--जे० भी० बाकेवर	४३२	१७
३०--एस० एस० राहिन	१४८	२
३१--भट्ठा सन्फर	२३	८

नाम भट्ठा			कोयला जो दिया गया	
			टन	हं०
३२—एस० एस०, बरलोकपुर	..	..	१११	११
३३—आर० वी० इन्टर कालेज, फफूंद	..	..	२३	१२
३४—उमर सेन्दा	..	..	२५०	१४
३५—वाकेवर	..	..	११४	९
	योग	..	९,६४४	१९

लगभग ४३८ वैगन।

तालिका "ब"

सन् १९५९ में जिला इटावा में स्थित स्वीकृत ईंट के भट्ठों को जो कोयला दिया गया, उसका विवरण

इटावा जिले के ए क्लास भट्ठों वालों की सूची (प्रत्येक को ३४ वैगन)—

१—श्री एच० शमीउद्दीन, मोहल्ला कटरा साहिब खां, इटावा।
२—श्री एच० रैसुद्दीन „ „
३—श्री मोहम्मद अफजल „ „
४—सर्वश्री ज्योति प्रसाद एन्ड कम्पनी „
५—सर्वश्री अमरजीत ऐन्ड कम्पनी, कटरा सेवक अली, इटावा।
६—श्री अमानुतुल्ला, जसवन्तनगर।
७—श्री राजा नरायन प्रताप सिंह, भलाजनी वाले।
८—सर्वश्री बच्चन लाल राम चरन, औरैया।
९—श्री राम नाथ दुबे, भरथना।
१०—श्री वृन्दावन दीक्षित, भरथना।
११—श्री दीन दयाल अवस्थी, भरथना।
१२—श्री मधुदास, औरैया।

इटावा जिले के बी क्लास भट्ठे वालों की सूची (प्रत्येक को २५ वैगन)

१—श्री विशुन दास, नेविल रोड, इटावा।
२—सर्वश्री नेचन्द राम अधोदास, नेविल रोड, इटावा।
३—सर्वश्री तेजभान गोविन्द राम, जसवन्तनगर।
४—सर्वश्री अत्तर चन्द तेजभान, जसवन्तनगर।
५—सर्वश्री सदानन्द ज्ञानचन्द, औरैया।
६—श्री गंगा विशनु, अजितमल।
७—श्री मोहम्मद सईद एन्ड कम्पनी, अछल्दा।
८—श्री राम रतन राम प्रकाश, लखना।
९—श्री होती लाल अग्रवाल, भरथना।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६–१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

१३–२–६० तक जिलेवार चावल तथा गेहूं की खरीद की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा

क्रम-संख्या	जिला	मात्रा मनों में	मूल्य रुपयों में
	चावल—		
१	मिर्जापुर	२९,८४१	४,९९,५६३
२	गोरखपुर	७०,१९१	१२,११,४४८
३	बस्ती	२,१९,६२४	४१,०९,२८३
४	गोंडा	९५,९०१	१५,९०,९५४
५	बहराइच	२,८९,४८४	४७,२३,१२९
६	वाराणसी	२९,२८८	४,७३,२२६
७	कानपुर	१,०७,१६२	१७,६७,३५८
८	फर्रुखाबाद	२१,६७९	३,५२,९०४
९	फतेहपुर	२,६१,२३०	४७,२९,०४२
१०	बांदा	६,९३,७१६	१,१०,३२,५५७
११	इटावा	८,९५,६५२	१,४८,५१,९६०
१२	इलाहाबाद	५००	८,१२५
१३	देहरादून	१८,२५५	३,४९,३८३
१४	सहारनपुर	३,४२,९२३	६७,१२,०५२
१५	मुजफ्फरनगर	७८,६१३	१५,४१,१३८
१६	मैनपुरी	४,२४,८००	६९,३०,४८८
१७	एटा	१८,७६८	३,०६,८७५
१८	आगरा	११,९१३	१,९५,४७१
१९	बाराबंकी	१४९	२,१७६
२०	उन्नाव	९,५१८	१,५९,६५५
२१	रायबरेली	१,३१२	२१,९३२
२२	सीतापुर	१,२२६	२०,६१९
२३	हरदोई	५८,९४५	९,८७,००९
२४	शाहजहांपुर	२,२१,८६८	३७,१६,०५८
२५	लखीमपुर-खीरी	१,३८,२५९	२,३०,१०,०९८
२६	पीलीभीत	४,५४,६३४	७६,१५,११९
२७	बदायूं	१,३६१	२२,५५१
२८	रामपुर	३८,३६०	६,४२,५३०
२९	बरेली	६३,५२१	१०,६३,४८४
३०	मुरादाबाद	२,८४५	४७,९५८
३१	नैनीताल	१,६१,४४२	२७,०३,७०२
३२	लखनऊ	..	..
	कुल योग ..	४७,६२,९८०	८,०६,८८,८४७

१३-२-६० तक जिलेवार चावल तथा गेहूं की खरीद की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा

क्रम-संख्या	जिला			मात्रा मनों में	मूल्य रुपयों में
	गेहूं—				
१	गोंडा	..	..	२०,३३७	२,८४,७१८
२	बहराइच	..	..	६२,०८३	८,६९,१६२
३	कानपुर	..	..	८,३५३	१,१६,९४२
४	फ़र्रुखाबाद	..	..	४,६९८	६५,७७२
५	फ़तेहपुर	..	..	२५१	३,५१४
६	बांदा	..	..	१,७९,५४३	२५,१३,६०२
७	इटावा	..	..	२२,९५२	३,२१,३२८
८	झांसी	..	..	२,१९,१२०	३०,६७,६८०
९	जालौन	..	..	२,९७,२९६	४१,६२,१४४
१०	हमीरपुर	..	..	२,२७,८२८	३१,८९,५९२
११	सहारनपुर	..	..	७,५३२	१,०५,४४८
१२	मुजफ्फरनगर	..	..	३,५९३	५०,३०२
१३	मैनपुरी	..	..	६,९१४	९६,७९६
१४	एटा	..	..	१०,४०६	१,४५,६८४
१५	आगरा	..	..	१०,२६५	१,४३,७१०
१६	मेरठ	..	..	६,०८३	८५,१६२
१७	बुलन्दशहर	..	..	२१,०२४	२,९४,३३६
१८	अलीगढ़	..	..	१२,१२०	१,६९,६८०
१९	मथुरा	..	..	३,५८०	५०,१२०
२०	बाराबंकी	..	..	२	२८
२१	उन्नाव	..	..	१२९	१,८०६
२२	रायबरेली	..	..	६४२	८,९८८
२३	सीतापुर	..	..	३,०५५	४२,७७०
२४	हरदोई	..	..	१,२६१	१७,६५४
२५	शाहजहांपुर	..	..	४,६९६	६५,७४४
२६	लखीमपुर-खीरी	..	..	१३,१९९	१,८४,७८६
२७	पीलीभीत	..	..	१३,१२९	१,८३,८०६
२८	बदायूं	..	..	३६,०७४	५,०५,०३६
२९	रामपुर	..	..	३,७९३	५३,१०२
३०	बरेली	..	..	३,९५१	५५,३१४
३१	मुरादाबाद	..	..	२०,६०९	२,८८,५२६
३२	नैनीताल	..	..	३२,०९९	४,४९,३८६
३३	लखनऊ	..	..	३,६०४	५०,४५६
३४	बिजनौर	..	..	४,२७६	५९,८६४
	कुल योग		..	१२,६४,४९७	१,७७,०२,९५८

नोट—उपर्युक्त मूल्य अनुमानित हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२८ पर)

सस्ते गल्ले के दूकानदारों की नियुक्ति से सम्बन्धित विवरण

जहां तक सम्भव हो सकता है दूकानदारों की नियुक्ति में निम्नलिखित रूप से प्राथमिकता दी जाती है, यदि प्रार्थी (संस्था अथवा व्यक्ति विशेष) उसी स्थान का है जहां दूकान खोलने का प्रस्ताव हो:

(१) कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव एण्ड डेवलपमेंट फेडरेशन--यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और वह दूकान को दक्षता से चलाने में समर्थ हैं।

(२) शिक्षा संस्थायें--यदि वे स्वयं दूकान चलाने में समर्थ है और उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं है।

(३) व्यक्ति विशेष--हरिजन, राजनैतिक पीड़ित तथा पिछड़े वर्ग (इस क्रम से) तथा व्यक्तिगत फुटकर दूकानदार एवं दूसरे अभ्यर्थी--यदि वे दुकान को सुचारु रूप से चलाने के योग्य हैं।

उन दूकानों के सम्बन्ध में जो खाद्यान्नों की बिक्री २५ प्रतिशत अथवा उससे कम हो जाने के कारण स्वयं बन्द हो गई थीं और उनको फिर से प्रचालित करने का प्रस्ताव था, पुराने दूकानदारों को, यदि वे उसी स्थान के निवासी हैं जहां दुकान पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि उनका पिछला रिकार्ड अच्छा रहा है, तो अन्य व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है।

आदेश जारी होने के समय तक जो दूकानदार (संस्था अथवा व्यक्ति विशेष) दूकानें चला रहे थे, उनको उसी प्रकार चलाने की छूट है, यदि उनकी दूकानें किसी कारणवश रद्द नहीं की जाती अथवा उनके स्थान रिक्त नहीं होते।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

कृषि विभाग ने अपने भिन्न भिन्न कार्यालयों के लिये कुल ८ इमारतें किराये पर ले रखी हैं। उन का शेष विवरण इस प्रकार है—

क्रम-संख्या	इमारत का नाम तथा पता	किराये की मासिक धनराशि	जिस तिथि से किराये पर है	कार्यालय का नाम
१	२	३	४	५
		रु० न०पै०		
१	सुल्तानपुर मार्ग, दिलकुशा	९३.७५	१–४–४९	फसल दैहिकविद् कार्यालय।
२	लता निवास, राय बिहारी लाल मार्ग।	४२४.७५	१०–९–५९	उप-संचालक, खाद एवम् उर्वरक।
३	कोटवारा भवन, कैसरबाग	२५०.००	२०–५–५९	राजकीय कृषि मार्केटिंग अधिकारी।
४	७, हरिभवन, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग।	८००.००	१५–१२–५८	१—जूट विकास अधिकारी, २—कपास विकास अधिकारी, ३—मुख्य सांख्यिक, कृषि विभाग।
५	दरियाबाद भवन, .. राय बिहारी लाल मार्ग।	५००.००	२३–७–५७	उप-संचालक, भूमि संरक्षण।
६	१३, चन्द्र भवन, .. गोखले मार्ग।	४०४.५०	१–३–५३	उप-संचालक, उद्यान
७	सैन्डीला भवन, ९, .. कैसरबाग।	२००.००	१–४–५९	उप-संचालक, लखनऊ मंडल, प्लान्ट प्रोटेक्शन सेंटर।
८	मकबरा बिल्डिंग, हजरतगंज (स्टोर के लिये)। ..	३२५.००	१–७–५९	कृषि सूचना ब्यूरो

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर)

उत्तर प्रदेश में १९५५-५६ से १९५८-१९५९ तक प्रत्येक वर्षों में गन्ना, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का और अरहर के उत्पादन की तालिका

फसल	उत्पादन टनों में			
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९
१	२	३	४	५
गन्ना ..	२,९३,९९,५३२	३,४९,७३,२१०	३,०७,०२,२७२	३,०७,६४,७००
मूंगफली	१,३२,८७१	१,७५,९१०	१,४१,८९९	१,४२,५३७
गेहूं ..	३०,४१,२९८	३१,१४,८७५	२७,०६,०५०	३०,३६,२७८
जौ ..	१६,०१,५९८	१५,९६,३८९	१२,५९,८६५	१३,९५,४४९
मक्का ..	६,१५,६५०	९,८६,३४१	७,८५,१५१	६,११,२५५
अरहर ..	७,८७,५०९	१०,५४,५३८	५,९७,७५८	६,५०,४८०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४७ पर)

पद का नाम	संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
१	२	३	४
(क) रीजनल मार्केटिंग आफीसर	९	—	—
(ख) मार्केटिंग इंस्पेक्टर	४२७	४	२५
(ग) सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर	१४०	१	५
(घ) मार्केटिंग हेड क्लर्क	—	—	—
(च) मार्केटिंग क्लर्क	३६७	६	१७
(छ) असिस्टेन्ट मार्केटिंग इन्सपेक्टर	५१	२	४

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४८ पर)

LIST

Sl. no.	Name of Blocks		Multi-purpose Societies	Service Co-operatives	
			Number	Number	
1	Mawai	..	73	1	
2	Banikondar	..	74	17	
3	Puredali	..	84	24	
4	Harakh	..	66	16	
5	Dewa	..	76	27	
6	Rudauli..	..	71	29	
7	Masauli	..	31	33	
8	Daryabad	..	86	35	
9	Bani ..	..	42	36	
10	Ramnagar	..	118	..	
11	Haidergarh	..	87	..	
12	Suratganj	..	128	..	
13	Trivedhiganj	..	81	..	
14	Ninodoora	..	95	..	
15	Fatehpur	..	118	..	
16	Sidhaur	..	119	..	
		Total ..	1,349	218 Total	1,567

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४८ पर)

प्रदेश में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पाया गया गन्ने का क्षेत्रफल और उपज

पंचवर्षीय योजना	वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ में)	गन्ने की उपज (टनों में)	गन्ने की चीनी मिलों में खपत (करोड़ टनों में)
१	२	३	४	५
	१९५१–५२	२९,६५,०४२	३,१६,९२,११४	०.९०
	१९५२–५३	२६,४५,०६१	२,६५,०६,७७३	०.७१
प्रथम	१९५३–५४	१९,७३,०३७	२,०७,३२,३०३	०.५६
	१९५४–५५	२२,९१,७३६	२,८२,७६,९५९	०.९३
	१९५५–५६	२७,१९,५५८	२,९३,९९,५३२	१.०१
	१९५६–५७	३०,६६,१८९	३,४९,७३,२१०	१.११
	१९५७–५८	३०,३१,१३३	३,०७,०२,२७२	०.९४
	१९५८–५९	२७,४६,९११	३,०७,६४,७००	०.९२

नोट––ऊपर दिये गये आकड़ों में कुमायूं कमिश्नरी के पहाड़ी भागों के आंकड़े भी सम्मिलित हैं ।

पी० एस० यू० पी०––ए० पी० १३ एल० ए०––१९६०––८४५ ।